



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
वर्ष 2020-21 के लिए



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
2022 की प्रतिवेदन संख्या 31
(वित्तीय लेखापरीक्षा)

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
वर्ष 2020-21 के लिए**

**संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
2022 की प्रतिवेदन संख्या 31
(वित्तीय लेखापरीक्षा)**

विषयसूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
कार्यकारी सार	iii
अध्याय 1: परिचय	1
अध्याय 2: संघ सरकार के वित्त का अवलोकन	7
अध्याय 3: खातों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथा	45
अध्याय 4: बजटीय प्रबंधन	83
अनुलग्नक	107

प्राक्कथन

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त लेखों और संघ सरकार के विनियोजन लेखों की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले शामिल हैं।

कार्यकारी सार

अध्याय 1 परिचय

संसद में प्रस्तुत संघ सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे और विनियोग लेखे शामिल होते हैं। संघ सरकार के वित्त खाते (यूजीएफए) भारत की संचित निधि (सीएफआई), आकस्मिक निधि और लोक खाते से प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाते हैं। संघ सरकार के विनियोग लेखे खर्च की तुलना संसद द्वारा अधिकृत आवंटन से करते हैं और दोनों के बीच, प्रत्येक अनुदान/ विनियोग के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक अंतर के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं।

संघ सरकार के वित्त पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की यह रिपोर्ट संघ सरकार के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण करती है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार की प्राप्तियों और संवितरण की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति और संरचनात्मक रूपरेखा पर चर्चा करती है।

अध्याय 2: संघ सरकार के वित्त का अवलोकन

वित्तीय वर्ष 21 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) स्थिर कीमतों (आधार वर्ष 2011-12) पर ₹135,58,473 करोड़ और मौजूदा कीमतों पर ₹1,98,00,914 करोड़ था। दोनों ही मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 6.60 प्रतिशत और 1.36 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह वित्तीय वर्ष 20 के दौरान मौजूदा कीमतों पर 6.22 प्रतिशत की वृद्धि और स्थिर कीमतों पर 3.74 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि के प्रतिकूल है। हालांकि, मौजूदा परिदृश्य को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि कोविड महामारी के कारण 2020-21 के दौरान अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

[पैरा 2.1]

वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, संघ सरकार के पास कुल ₹135,36,878 करोड़ के संसाधन थे - ऋण प्राप्तियां (₹81,62,910 करोड़, 60.30 प्रतिशत), सकल गैर-ऋण प्राप्तियां (₹25,27,330 करोड़, 18.67 प्रतिशत) और सार्वजनिक खातों में सकल प्राप्तियां (₹28,48,879 करोड़, 21.05 प्रतिशत)। ऋण की अदायगी (₹61,84,635 करोड़, 45.69 प्रतिशत), सार्वजनिक खाते पर देनदारियों का निर्वहन (₹28,44,653 करोड़, 21.01 प्रतिशत), वास्तविक व्यय (₹39,07,647 करोड़, 28.87 प्रतिशत) और संघ के

कर में राज्यों की हिस्सेदारी (₹5,94,997 करोड़, 4.40 प्रतिशत), इस प्रकार कुल संसाधनों का अनुप्रयोग ₹135,31,932 करोड़ था।

₹25,27,330 करोड़ की सकल गैर-ऋण प्राप्तियों में सकल राजस्व प्राप्तियाँ (₹24,59,510 करोड़) और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (₹67,820 करोड़) शामिल हैं। ₹24,59,510 करोड़ की सकल राजस्व प्राप्तियों में ₹20,27,104 करोड़ की सकल कर प्राप्तियाँ (₹5,94,997 करोड़ के संघ के कर में राज्यों का हिस्सा शामिल है) और ₹4,32,406 करोड़ की गैर-कर प्राप्तियाँ शामिल हैं।

[पैरा 2.3]

₹20,27,104 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों में, प्रत्यक्ष कर ₹9,45,117 करोड़ (46.42 प्रतिशत) और अप्रत्यक्ष कर ₹10,81,987 करोड़ (53.38 प्रतिशत) थे। इसके अलावा, ₹3,99,949 करोड़ का उपकर संग्रह वित्तीय वर्ष 21 में सकल कर प्राप्ति का लगभग पांचवां हिस्सा था।

[पैरा 2.3 और पैरा 2.3.1.1]

वित्तीय वर्ष 21 में, संघ का कुल व्यय ₹39,07,647 करोड़ हुआ था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 28.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि ₹33,14,852 करोड़ के राजस्व व्यय में 26.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, ₹2,49,846 करोड़ के ऋण और अग्रिमों पर व्यय में ₹45,141 करोड़ से 453.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और आर्थिक सेवा क्षेत्र के लिए बढ़े हुए ऋण और अग्रिमों के कारण थी। हालांकि, ₹3,42,949 करोड़ का पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष के ₹3,87,744 करोड़ के आंकड़ों की तुलना में 11.55 प्रतिशत कम हुआ।

[पैरा 2.4 और 2.4.1]

₹33,14,852 करोड़ के राजस्व व्यय में वित्तीय वर्ष 21 में ₹7,20,984 करोड़ (21.75 प्रतिशत) का ब्याज भुगतान शामिल है - आंतरिक ऋण पर (₹6,44,829 करोड़), लघु बचत और भविष्य निधि, आदि पर (₹42,429 करोड़), बाह्य ऋण पर (₹8,204 करोड़) और अन्य दायित्वों पर शेष (₹25,522 करोड़)। राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में, ब्याज भुगतान वित्तीय वर्ष 20 में 33.64 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 21 में 38.67 प्रतिशत हो गया।

[पैरा 2.4.2(ए)]

वित्तीय वर्ष 21 में सब्सिडी पर व्यय 187.81 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में ₹7,54,936 करोड़ हो गया, मुख्य रूप से खाद्य सब्सिडी के बदले भारतीय खाद्य निगम को बकाया भुगतान के कारण। वित्तीय वर्ष 21 में खाद्य सब्सिडी पर वार्षिक वृद्धि 398.06 प्रतिशत थी। इस पर्याप्त वृद्धि के कारण, सब्सिडी पर व्यय राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 20 में 10.03 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 21 में 22.77 प्रतिशत हो गया।

[पैरा 2.4.2(सी)]

पिछले चार वर्षों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान (जीआईए) वित्तीय वर्ष 21 में ₹2,08,394.63 करोड़ था, जबकि पिछले दो साल में वित्त आयोग का अनुदान ₹93,703.58 करोड़ से बढ़कर ₹1,84,062.50 करोड़ हो गया। मुख्य रूप से 'पोस्ट-डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट' में ₹46,026.50 करोड़ की वृद्धि के बाद, वित्त आयोग के अनुदान में वित्तीय वर्ष 21 में 48.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में, जम्मू और कश्मीर को 'विशेष सहायता' के कारण, ₹30,757 करोड़ की वृद्धि हुई।

[पैरा 2.4.2(डी)]

वित्तीय वर्ष 21 में, यूजीएफए के अनुसार कुल देयता ₹122,85,644 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 18 के बाद से कुल देयता में लगातार 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक ऋण (22.88 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 21 में 17.64 प्रतिशत वृद्धि हुई।

[पैरा 2.5]

वित्तीय वर्ष 21 में राजकोषीय घाटा ₹19,75,314 करोड़ था। राजकोषीय घाटे को मुख्य रूप से 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के साथ कुल आंतरिक ऋण से वित्तपोषित किया गया था। वित्तीय घाटे के वित्तपोषण के लिए बाहरी ऋण में भी वित्तीय वर्ष 17 में ₹17,997 करोड़ से वित्तीय वर्ष 21 में ₹89,223 करोड़ तक लगातार वृद्धि देखी गई। वित्तीय वर्ष 21 में ₹19,75,314 करोड़ के राजकोषीय घाटे में संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों की तरफ से ₹1,10,208 करोड़ की उधारी शामिल थी, जो उन्हें जीएसटी मुआवजा उपकर में कमी की भरपाई के लिए बैंक टू बैंक ऋण के रूप में हस्तांतरित की गई थी। वित्तीय वर्ष 21 में ₹19,75,314 करोड़ के राजकोषीय घाटे में से,

₹14,50,339 करोड़ (73.42 प्रतिशत) राजस्व खाते में था, जिसमें साल दर साल 8.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[पैरा 2.7]

अध्याय 3: खातों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथा

यूजीएफए के विवरण 4 में दर्शाई गई गारंटियों की लेखापरीक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को दी गई गारंटियों का खुलासा न करने, यूजीएफए और सीपीएसई के रिकॉर्ड में दर्शाई गई गारंटियों के बीच अंतर और गारंटी शुल्क की गैर-वसूली के उदाहरण सामने आए।

[पैरा 3.2]

यूजीएफए विवरण 11 सांविधिक निगमों, कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों और समितियों आदि में संघ सरकार द्वारा निवेश का विवरण दर्शाता है। संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टों की तुलना में इक्विटी शेयरों की संख्या और सरकारी शेयरधारिता के प्रतिशत से संबंधित जानकारी में अंतर था, कुछ संस्थाओं में निवेश का विवरण नहीं था, लाभांश के भुगतान में कमी और लाभांश का विवरण नहीं था, आदि।

[पैरा 3.3]

उचंत शीर्षों में केवल निवल शेष दर्शाया गया था और इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशि को क्रेडिट और डेबिट शेष के रूप में अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, उचंत खाता (सिविल) के तहत शेष राशि में 91.64 प्रतिशत और पीएसबी उचंत के तहत 58.60 प्रतिशत का अंतर था। जैसा कि खातों से देखा जा सकता है अधिक उचंत शेष का संचय, प्राप्ति, व्यय और नकद शेष की स्थिति की सटीकता को प्रभावित करता है।

[पैरा 3.4.1 और 3.4.2]

निर्दिष्ट आरक्षित निधियों में उपकर/ लेवी की एकत्रित राशि का कम/ गैर-हस्तांतरण, आरक्षित निधियों का उपयोग न होना, इस प्रकार बिना किसी लेनदेन के आरक्षित निधि का अप्रयुक्त रहना और आरक्षित निधि के तहत लेनदेन के लेखांकन में अनुमोदित लेखांकन प्रक्रिया से विचलन के उदाहरण थे।

[पैरा 3.6]

वित्तीय वर्ष 21 के अंत में ₹5,58,394 करोड़ की राशि संघ सरकार द्वारा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और अन्य संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम के रूप में बकाया है। इसमें से, वित्तीय वर्ष 21 के अंत में वसूली (मूलधन और ब्याज) के लिए बकाया राशि ₹63,763 करोड़ थी।

[पैरा 3.7]

वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, यूटीआई (एसयूटीआई) के निर्दिष्ट उपक्रम ने ₹3,124.86 करोड़ (ब्याज और लाभांश आय में से भारत सरकार को प्रेषित राशि ₹1,497.00 करोड़ और एक्सिस बैंक में स्ट्रेटीजिक होल्डिंग की बिक्री के प्रति ₹1,627.86 करोड़ प्रेषित), जिसको गैर-कर प्राप्तियों के रूप में मानने की बजाए, यूजीएफए में एमएच 4000-विविध पूंजी प्राप्तियों के तहत उप- मुख्य शीर्ष-01 के अंतर्गत 'अन्य प्राप्तियां' (लघु शीर्ष 800) के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

[पैरा 3.8.3]

अध्याय 4: बजटीय प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 21 के लिए 101 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत, ₹119,04,054.99 करोड़ के कुल प्रावधानों को मंजूरी दी थी, उस पर कुल खर्च ₹107,52,209.61 करोड़ था, जिसमें कुल बचत, ₹11,51,845.38 करोड़ थी।

[पैरा 4.1.1]

निर्धारित राशि से ₹1,18,651.04 करोड़ का अधिक संवितरण किया गया था जिसमें रक्षा मंत्रालय के दो अनुदान और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित एक अनुदान शामिल था।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को ₹1,18,648.60 करोड़ की अधिकता का मुख्य कारण भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सब्सिडी का भुगतान और एफसीआई को एनएसएसएफ ऋण की बकाया राशि का पुनर्भुगतान था। सरकार ने कहा कि वित्त मंत्रालय के परामर्श से, संसद की मंजूरी प्राप्त करके उचित समय पर अतिरिक्त को नियमित किया जाएगा।

[पैरा 4.2.1]

सभी अनुदानों/ विनियोगों के तहत कुल बचत ₹11,51,845.38 करोड़ थी, जो कुल प्राधिकरणों का 9.68 प्रतिशत है। 77 अनुदानों/ विनियोगों के 113 खंडों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई, जो कुल ₹12,68,488.40 करोड़ थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 21 में ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत के साथ 22 अनुदानों/ विनियोगों में से नौ में वित्तीय वर्ष 19 और वित्तीय वर्ष 20 में भी पर्याप्त बचत थी।

[पैरा 4.2.2 और 4.2.2.1]

97 सिविल अनुदानों/ विनियोगों में से 69 अनुदानों/ विनियोगों के 324 मामलों में लघु- शीर्ष/ उप-शीर्ष स्तर पर ₹500 करोड़ या अधिक की महत्वपूर्ण बचत और न्यूनतम ₹100 करोड़ होने पर आवंटन के 25 प्रतिशत से अधिक की बचत, देखी गई।

[पैरा 4.2.2.2]

आठ अनुदानों के तहत 11 लघु/ उप-शीर्षों में, ₹1,680.17 करोड़ की राशि के अनुपूरक प्रावधान, वित्तीय वर्ष 20 के दौरान उच्च व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे, लेकिन ₹10,219.33 करोड़ का अंतिम व्यय ₹13,017.06 करोड़ के मूल प्रावधानों से कम था।

[पैरा 4.3]

संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना, वित्तीय वर्ष 21 के दौरान वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान' और 'पूँजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान' से संबंधित दो अनुदानों के तहत पांच मामलों में 'नई सेवा'/ 'सेवा के नए साधन' की सीमाओं को आकर्षित करते हुए कुल ₹7.58 करोड़ का व्यय हुआ, जो कुल निर्धारित राशि से अधिक था।

[पैरा 4.8]

1
अध्याय

परिचय

1.1 संघ सरकार के वित्त की संरचना

संघ सरकार के वित्त को तीन भागों में बनाए रखा जाता है:

- क. **भारत की समेकित निधि:** इसमें भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल के माध्यम से जारी सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय ऋण और सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान से प्राप्त राशि शामिल है।
- ख. **भारत की आकस्मिकता निधि:** यह राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में अग्रदाय राशि है, जो वह संसद द्वारा अनुमोदन हेतु लंबित होने पर, तत्काल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम के रूप में प्रयोग कर सके।
- ग. **लोक लेखा:** भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन को लोक लेखा में जमा किया जाएगा। प्राप्तियां और संवितरण जैसे जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण आदि जो भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं हैं, को लोक लेखा में शामिल किया जाता है।

1.2 बजटीय प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संघ की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, संसद के समक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद 113 के अनुसार, अनुदान मांगों/ विनियोगों के रूप में विवरण संसद में रखे जाते हैं और इन विवरणों के अनुमोदन के बाद, भारत की संचित निधि में से आवश्यक राशि के विनियोग के लिए अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक को संसद में पेश किया जाता है। वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान, यदि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए, धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार किसी विशेष सेवा के लिए खर्च की जाने वाली निर्धारित राशि, उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, तो अनुच्छेद 115(1)(ए) के तहत अनुमानित राशि वाले अनुदान के लिए संसद के समक्ष अनुपूरक मांग प्रस्तुत की जाती है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 में अधिनियमित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार को वित्तीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन और मौद्रिक नीति के प्रभावी संचालन में राजकोषीय बाधाओं को दूर करके राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता में इंटरजेनरेशनल इक्विटी सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपना है।

संघ के बजट में, इस अधिनियम के तहत आवश्यकतानुसार राजकोषीय नीति विवरण संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। अधिनियम की धारा 7ए के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करते हैं और एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन पर सीएजी द्वारा संसद में एक अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

1.3 संघ सरकार के वार्षिक लेखे

संसद में प्रस्तुत संघ सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे और विनियोग लेखे शामिल होते हैं। संघ सरकार के वित्त खाते (यूजीएफए) समेकित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखों से प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे संसद द्वारा निर्धारित राशि से व्यय की तुलना करते हैं और दोनों के बीच, प्रत्येक अनुदान/ विनियोग के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा से अधिक व्यय के अंतर के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। ये खाते नकद आधार पर तैयार किए जाते हैं, अर्थात् सरकारी खातों में लेनदेन, वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों और संवितरण को दर्शाते हैं।

1.3.1 वित्त लेखा

संघ सरकार के वित्त खातों में समग्र रूप से केंद्र सरकार के खाते शामिल होते हैं और इसमें सिविल मंत्रालयों/ विभागों, रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय और डाक और दूरसंचार विभागों के लेनदेन शामिल होते हैं। ये वित्तीय वर्ष के लिए संघ सरकार की प्राप्तियों और व्यय के खातों के साथ-साथ विभिन्न खातों में प्रस्तुत वित्तीय परिणामों और जांच के तहत आने वाले अन्य आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। इन खातों में राजस्व और पूंजीगत खाते, लोक ऋण खाता और अन्य देनदारियां और परिसंपत्तियां शामिल हैं जो खातों में शेष राशि से निकली हैं।

1.3.2 विनियोग खाते

विनियोग लेखे संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों की राशियों की तुलना में एक वित्तीय वर्ष में सरकार के व्यय को दर्शाते हैं। इन खातों में विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में स्वीकृत प्रावधान के पुनर्विनियोजन, इन विनियोगों के प्रति बचत और व्यय की अधिकता के साथ-साथ पूरक अनुदानों के संबंध में जानकारी होती है। विनियोग लेखा, संसद और लोक लेखा समिति (पीएसी) के लिए बजट प्रावधानों के प्रति सरकार द्वारा किए गए निष्पादन का पता लगाने में सहायक है।

इसके अलावा, सिविल मंत्रालयों, रक्षा, रेलवे और डाक विभाग के लिए चार विनियोग खाते हैं। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) सिविल मंत्रालयों के लिए विनियोग लेखा तैयार करता है, जबकि रक्षा मंत्रालय, रेलवे और डाक विभाग अपने संबंधित अनुदानों के विनियोग खाते तैयार करते हैं। यह संसद द्वारा प्राधिकृत व्यय के प्रावधानों के अनुदान/ विनियोग-वार सारांश और उनके प्रति भारत की संचित निधि (सीएफआई) से वास्तविक व्यय की तुलना करते हैं। वित्तीय वर्ष 21 में, सिविल मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित 97 अनुदान थे (रक्षा से संबंधित दो अनुदानों सहित - रक्षा मंत्रालय (सिविल) और रक्षा पेंशन), रेलवे और डाक विभाग से संबंधित एक-एक अनुदान, और रक्षा से संबंधित दो अनुदान।

1.3.3 लेनदेन का वर्गीकरण

संघ सरकार के खातों के भाग के रूप में लेनदेन कार्यात्मक लेखांकन वर्गीकरण के अनुसार दर्ज किए जाते हैं।

तालिका 1.1: लेन-देन के लेखांकन का वर्गीकरण

लेन-देन	वर्गीकरण
कार्य - शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि।	अनुदान के तहत मुख्य शीर्ष (4 अंक)
उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2 अंक)
कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3 अंक)
योजना	उप-शीर्ष (2 अंक)
उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (2 अंक)
लेन-देन की प्रकृति	वस्तु शीर्ष - वेतन, लघु कार्य, आदि (2 अंक)

इस प्रकार, उपरोक्त के अनुसार, प्रत्येक लेनदेन 15 अंकों में दर्ज किया जाता है।

1.4 खाते तैयार करना

1.4.1 वित्त लेखा तैयार करना

वित्त खातों में दो भाग होते हैं - भाग I और भाग III। भाग I में राजस्व, पूंजी, ऋण, जमा, उचंत और प्रेषण लेनदेन और आकस्मिक निधि के संबंध में पांच संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किए गए हैं, जबकि भाग II में अन्य संबंधित विवरणों के साथ इन लेनदेन के संबंध में 11 विस्तृत विवरण हैं।

उपर्युक्त 16 विवरणों के निर्माण खंड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा तैयार किए गए 'केंद्रीय लेनदेन का विवरण' (एससीटी) हैं, जो मार्च के अनुपूरक लेनदेन सहित वर्ष के दौरान सभी लेनदेन के प्रगतिशील प्रभाव को दर्शाते हैं। केंद्रीय लेनदेन के विवरण लघु शीर्ष-वार तैयार किए जाते हैं।

सीजीए, विभिन्न नियंत्रकों से प्राप्त सभी एससीटी के डेटा को संकलित करता है, जर्नल प्रविष्टियों के माध्यम से खातों में सुधार करता है और इस प्रकार, संघ सरकार के वित्त खाते तैयार किए जाते हैं।

1.4.2 विनियोग खातों की तैयारी

प्रत्येक अनुदान के लिए विनियोग लेखा संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा कई चरणों में तैयार किया जाता है। चरण I विनियोग खातों में केवल प्रावधान होते हैं। व्यय के आंकड़े और बचत/ अतिरिक्त चरण II में शामिल किए जाते हैं। चरण III, चरण II खातों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के आधार पर परिवर्तन, यदि कोई हो, को शामिल करने के बाद चरण II खातों का अद्यतन है। पीएसी की सिफारिशों और सीएजी की सलाह के आधार पर, विनियोग खातों को संसद में प्रस्तुत करने के लिए सीजीए द्वारा समेकित किया जाता है। समेकित खातों में लोक लेखा समिति द्वारा अनुशंसित वित्तीय सीमा के आधार पर संबंधित अनुदानों/ विनियोग में महत्वपूर्ण अंतर (बचत/ अतिरिक्त) शामिल होते हैं।

1.5 संघ सरकार के लेखाओं की लेखापरीक्षा

संघ सरकार के वित्त और विनियोग खातों की लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों और वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा नियमावली में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार

आयोजित की जाती है। सीएजी ने 15 दिसंबर 2021 को वित्तीय वर्ष 21 के लिए संघ के वित्त और विनियोग खातों को प्रमाणित किया है।

1.5.1 संघ सरकार के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अध्याय 1 में संघ सरकार के खातों और लेखापरीक्षा प्रक्रिया का परिचय दिया गया है; **अध्याय 2** संघ के वित्त का अवलोकन प्रदान करता है; **अध्याय 3** में खातों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली पर टिप्पणियां शामिल हैं; और **अध्याय 4** में बजटीय प्रबंधन पर टिप्पणियां हैं।



2

अध्याय

संघ सरकार के
वित्त का अवलोकन

2.1 भारत का सकल घरेलू उत्पाद

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक निश्चित अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है। जीडीपी की वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक अवधि में देश के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है। पिछले पांच वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति इस प्रकार है।

तालिका 2.1: स्थिर और वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

सकल घरेलू उत्पाद	वित्तीय वर्ष 17	वित्तीय वर्ष 18	वित्तीय वर्ष 19	वित्तीय वर्ष 20	वित्तीय वर्ष 21
स्थिर कीमतों पर	123,08,193	131,44,582	139,92,914	145,15,958	135,58,473
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	8.26	6.80	6.45	3.74	-6.60
मौजूदा कीमतों पर	153,91,669	170,90,042	188,99,668	200,74,856	198,00,914
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	11.76	11.03	10.59	6.22	-1.36

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय(एनएसओ) प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31 जनवरी 2022 और 31 मई 2022।

वित्तीय वर्ष 21 के अंत में देश का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों (आधार वर्ष 2011-12) पर ₹1,35,58,473 करोड़ और मौजूदा कीमतों पर ₹1,98,00,914 करोड़ था। दोनों ही मामलों में क्रमशः 6.60 प्रतिशत और 1.36 प्रतिशत की गिरावट थी। वित्तीय वर्ष 20 के दौरान यह स्थिर कीमतों पर 3.74 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि और मौजूदा कीमतों पर 6.22 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति है। हालांकि मौजूदा परिदृश्य को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि 2020-21 के दौरान कोविड महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से नुकसान उठान पड़ा।

इस रिपोर्ट में प्रतिशत और अनुपात निकालने के लिए मौजूदा कीमतों पर जीडीपी पर विचार किया गया है।

2.2 केंद्रीय वित्त का स्नैपशॉट -बी ई और आर ई के साथ तुलना

यह वित्तीय वर्ष 21 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों के अनुसार व्यय के साथ-साथ बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) दोनों चरणों में बजटीय प्राप्तियों और संवितरण को दर्शाता है। मुख्य राजकोषीय संकेतकों के लिए नियोजित और वास्तविक मूल्यों का भी वर्णन किया गया है। इन विवरणों को तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: केंद्रीय वित्त का स्नैपशॉट - बीई और आरई के साथ तुलना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	पिछले वर्ष के वास्तविक (वित्तीय वर्ष 20)	बजट अनुमान (बीई) ^क	संशोधित अनुमान (आरई) ^क	वास्तविक वित्तीय वर्ष 21	वित्तीय वर्ष 21 के वास्तविक की विविधता		
						वित्तीय वर्ष 21 के बीई से	वित्तीय वर्ष 21 के आरई से	वित्तीय वर्ष 20 के वास्तविक से
1	राजस्व प्राप्तियां	19,48,083	23,31,445	17,97,188	18,64,513	-20.00%	3.75%	-4.29%
	कर राजस्व ^क	13,59,382	16,38,839	13,50,321	14,32,107	-12.61%	6.06%	5.35%
	गैर-कर राजस्व ^क	5,88,701	6,92,606	4,46,867	4,32,406	-37.57%	-3.24%	-26.55%
2	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	50,349	2,10,000	32,000	37,897	-81.95%	18.43%	-24.73%
3	ऋण और अग्रिम की वसूली	18,647	66,342	25,997	29,923	-54.90%	15.10%	60.47%
4	कुल गैर-ऋण प्राप्तियां (1+2+3)	20,17,079	26,07,787	18,55,185	19,32,333	-25.90%	4.16%	-4.20%
5	लोक ऋण की प्राप्ति	73,01,387	77,07,535	84,85,183	81,62,910	5.91%	-3.80%	11.80%
6	सीएफआई में कुल प्राप्तियां (4+5)	93,18,466	103,15,322	103,40,368	100,95,243	-2.13%	-2.37%	8.34%
7	लोक खाता प्राप्तियां ^घ	21,36,115			28,48,879			33.37%
8	कुल प्राप्तियां (6+7)	114,54,581			129,44,122			13.00%
9	आकस्मिक निधि	0	0	0	0	-	-	-
10	राजस्व व्यय	26,15,320	29,40,739	32,53,951	33,14,852	12.72%	1.87%	26.75%
11	पूंजीगत व्यय	3,87,744	3,91,322	3,59,369	3,42,949	-12.36%	-4.57%	-11.55%

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

12	ऋण और अग्रिम	45,141	98,685	2,57,556	2,49,846	153.18%	-2.99%	453.48%
13	कुल व्यय (10+11+12)	30,48,205	34,30,746	38,70,876	39,07,647	13.90%	0.95%	28.20%
14	लोक ऋण की चुकोती	63,26,549	68,90,922	64,81,710	61,84,635	-10.25%	-4.58%	-2.24%
15	सीएफआई से कुल संवितरण (13+14)	93,74,754	103,21,668	103,52,586	100,92,282	-2.22%	-2.51%	7.65%
16	लोक खाता संवितरण ^घ	20,84,799			28,44,653			36.45%
17	कुल संवितरण (15+16)	114,59,553			129,36,935			12.89%

क - बीई और आरई के आंकड़े वार्षिक वित्तीय विवरणों (वित्तीय वर्ष 22) से लिए गए हैं।

ख - संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत राज्यों को सौंपी गई आय पर कर शामिल नहीं है।

ग - इसमें सहायता अनुदान और ₹1,752 करोड़ का योगदान शामिल है।

घ - उचत और विविध और प्रेषण के संबंध में, एएफएस में कोई बीई/ आरई आंकड़ा नहीं दिखाया गया है।

स्त्रोत: यू जी एफ ए - वित्तीय वर्ष 21 और वित्तीय वर्ष 20, और वार्षिक वित्तीय विवरण - वित्तीय वर्ष 22

इस प्रकार, जबकि कर राजस्व वित्तीय वर्ष 20 (₹13,59,382 करोड़) की तुलना में वित्तीय वर्ष 21 में ₹14,32,107 करोड़ अधिक था, गैर-कर राजस्व (₹4,32,406 करोड़) और विविध पूंजीगत प्राप्तियां (₹37,897 करोड़) दोनों ही काफी काम थे। वित्तीय वर्ष 21 में संघ का कुल व्यय, ₹39,07,647 करोड़, पिछले वर्ष की तुलना में एक चौथाई (28.20 प्रतिशत) से अधिक बढ़ गया, राजस्व व्यय (₹33,14,852 करोड़) और ऋण व अग्रिम (₹2,49,846 करोड़ के साथ) यह वृद्धि पूंजीगत व्यय (₹3,42,949 करोड़) के रूप में पिछले वर्ष (₹3,87,744 करोड़) की तुलना में कम हो गई। नतीजतन, गैर-ऋण प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 20 में 66.17 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 21 में कुल व्यय का 49.45 प्रतिशत कवर करने में सक्षम थीं, जिससे सरकारी व्यय के वित्तपोषण के लिए ऋण प्राप्तियों पर निर्भरता बढ़ गई।

2.3 निधि के स्रोत और उपयोग

संघ सरकार द्वारा जुटाए गए संसाधन तीन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं - ऋण प्राप्तियां, गैर-ऋण प्राप्तियां और लोक लेख में प्राप्तियां। इनमें से, ऋण और गैर-ऋण प्राप्तियां भारत के समेकित कोष (सीएफआई) में जाती हैं। गैर-ऋण प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और बाहरी एजेंसियों से सहायता अनुदान

शामिल हैं, जबकि गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्त आय और ऋण और अग्रिम की वसूली शामिल है।

वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, संघ सरकार के पास कुल ₹1,35,36,878 करोड़ के संसाधन थे, जिन्हें विभिन्न उद्देश्यों¹ के लिए निम्नानुसार लागू किया गया था।

तालिका 2.3: वित्तीय वर्ष 21 में निधि का स्रोत

(₹ करोड़ में)

1	अथ नकद शेष	-2,241
2	ऋण प्राप्तियां*	81,62,910
3	सकल गैर-ऋण प्राप्तियां**	25,27,330
	क) सकल राजस्व प्राप्तियां	24,59,510
	ख) पूंजीगत प्राप्तियां	37,897
	ग) ऋण और अग्रिम की वसूली	29,923
4	लोक खाते में सकल प्राप्तियां	28,48,879
	कुल	135,36,878

* वर्ष 2020-21 के दौरान संघ सरकार की ऋण प्राप्तियां ₹81,62,910 करोड़ थी और वर्ष के दौरान ऋण की चुकौती ₹61,84,635 करोड़ थी। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ सरकार की शुद्ध ऋण प्राप्तियां ₹19,78,275 करोड़ थी

** राज्यों को नियत आय पर कर का ₹5,94,996.76 करोड़ शामिल है।

तालिका 2.4: वित्तीय वर्ष 21 की वित्तीय वर्ष 20 के साथ तुलना

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> ✓ सकल राजस्व प्राप्तियों में 5.36 प्रतिशत की कमी आई, जबकि शुद्ध राजस्व प्राप्तियों में 4.29 प्रतिशत की कमी आई। ✓ सकल कर प्राप्तियों में 0.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि शुद्ध कर प्राप्तियों में 5.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ✓ गैर-कर प्राप्तियों (जीआईए और अंशदान सहित) में 26.55 प्रतिशत की कमी आई। ✓ जबकि सकल राजस्व प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 12.95 प्रतिशत से घटकर 12.42 प्रतिशत हो गईं, शुद्ध राजस्व प्राप्तियां 9.70 प्रतिशत से घट गईं से 9.42 प्रतिशत।
पूंजीगत प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ऋण प्राप्तियों में 11.80 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 1.70 प्रतिशत की कमी हुई। ✓ विविध पूंजी प्राप्तियों में 24.73 प्रतिशत की कमी हुई।

¹ इस खंड में उपयोग किए गए आंकड़े सकल राशि हैं, जो कि तालिका 2.2 में राशियों के साथ भिन्न हो सकते हैं, जो कि शुद्ध आंकड़ों पर आधारित है।

जुटाए गए संसाधनों का उपयोग ऋण की चुकौती, सरकार के व्यय और लोक खाते पर देनदारियों के निर्वहन के लिए किया जाता है। वर्ष के दौरान, संघ सरकार ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए ₹135,31,932 करोड़ का उपयोग किया, जिससे ₹4,946 करोड़ का अंतिम नकद शेष रह गया।

तालिका 2.5: निधियों का प्रयोग

(₹ करोड़ में)

1	ऋण की चुकौती	61,84,635
2	लोक लेखों पर देनदारियों का निर्वहन	28,44,653
3	वास्तविक व्यय	39,07,647
	क) राजस्व व्यय	33,14,852
	ख) पूंजीगत व्यय	3,42,949
	ग) ऋण और अग्रिम	2,49,846
4	संघ के करों में राज्यों का हिस्सा	5,94,997
5	अंतिम नकद शेष	4,946
निधि का कुल प्रयोग		135,36,878

तालिका 2.6: वित्तीय वर्ष 21 की वित्तीय वर्ष 20 के साथ तुलना

राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 26.75 प्रतिशत की वृद्धि			
	✓ पर राजस्व व्यय			
	सामान्य सेवाएं	सामाजिक सेवा	आर्थिक सेवाएं	सहायता अनुदान
	6.97 प्रतिशत ↑	26.15 प्रतिशत ↑	71.39 प्रतिशत ↑	10.16 प्रतिशत ↑
पूंजीगत व्यय	✓ पूंजीगत व्यय में 11.55 प्रतिशत की कमी			
	✓ पूंजीगत व्यय			
	सामान्य सेवाएं	सामाजिक सेवा	आर्थिक सेवाएं	
	14.36 प्रतिशत ↑	23.11 प्रतिशत ↓	23.91 प्रतिशत ↓	

वित्तीय वर्ष 21 में राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 26.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई, पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 11.55 प्रतिशत की कमी आई। क्षेत्रवार वृद्धि/ कमी ऊपर दर्शाई गई है।

₹25,27,330 करोड़ की सकल गैर-ऋण प्राप्तियों में सकल राजस्व प्राप्तियाँ (₹24,59,510 करोड़) और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (₹67,820 करोड़) शामिल हैं। सकल कर प्राप्तियों (₹20,27,104 करोड़)² और गैर-कर प्राप्तियों (₹4,32,406 करोड़)³

² यह आंकड़ा राज्यों को सौंपी गई आय पर कर (₹5,94,996.76 करोड़) शामिल है, जिसे तालिका 2.2 में शामिल नहीं किया गया था।

³ बाहरी सहायता/ सहायता अनुदान और ₹1,752 करोड़ की राशि के योगदान सहित।

सहित ₹24,59,510 करोड़ की सकल राजस्व प्राप्तियां ने कुल संसाधनों का 18.17 प्रतिशत योगदान दिया। कर प्राप्तियों के तहत, प्रत्यक्ष कर ₹9,45,117 करोड़ (46.42 प्रतिशत) और अप्रत्यक्ष कर ₹10,81,987 करोड़ (53.38 प्रतिशत) थे। गैर-कर राजस्व प्राप्तियों के मुख्य घटकों में रेलवे राजस्व (₹1,40,784 करोड़), लाभांश और लाभ (₹96,889 करोड़), ब्याज प्राप्तियाँ (₹59,540 करोड़), अन्य संचार सेवाएँ (₹45,501 करोड़) और विविध सामान्य सेवाएँ (₹18,322 करोड़) शामिल थीं।

ऋण प्राप्तियां (₹81,62,910 करोड़), जो भविष्य के भुगतान दायित्वों का निर्माण करती हैं, ने वर्ष की कुल सकल प्राप्तियों का 60.30 प्रतिशत योगदान दिया। ₹67,820 करोड़ की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां (₹37,897 करोड़) और ऋण और अग्रिम की वसूली (₹29,923 करोड़) शामिल हैं। विविध पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से ₹29,720 करोड़ शामिल हैं। लोक लेखा प्राप्तियाँ संसाधन जुटाने का 21.05 प्रतिशत थी।

क. संसाधन सृजन की प्रवृत्ति

तालिका 2.7 वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 21 की अवधि में संसाधन सृजन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।


तालिका 2.7: संसाधन सृजन की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल राजस्व प्राप्तियां*	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	लोक लेखों में सकल प्राप्तियां	सकल प्राप्तियाँ
वित्तीय वर्ष 17	22,23,988	88,714	61,34,137	12,73,949	97,20,788
	22.88%	0.91%	63.10%	13.11%	
वित्तीय वर्ष 18	23,64,148	1,70,687	65,54,002	14,34,393	105,23,230
	22.47%	1.62%	62.28%	13.63%	
वित्तीय वर्ष 19	25,67,917	1,25,236	67,58,482	17,45,217	111,96,852
	22.93%	1.12%	60.36%	15.59%	
वित्तीय वर्ष 20	25,98,760	68,996	73,01,387	21,36,115	121,05,258
	21.47%	0.57%	60.32%	17.65%	
वित्तीय वर्ष 21	24,59,510	67,820	81,62,910	28,48,879	135,39,119
	18.17%	0.50%	60.29%	21.04%	

नोट: प्रतिशत में आंकड़े सकल प्राप्तियों के अनुपात के रूप में दिखाते हैं।

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



जीडीपी के प्रतिशत के रूप में

अवधि	सकल राजस्व प्राप्तियां	गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	लोक लेखों में सकल प्राप्तियां	सकल प्राप्तियाँ
वित्तीय वर्ष 17	14.45%	0.58%	39.85%	8.28%	63.16%
वित्तीय वर्ष 18	13.83%	1.00%	38.35%	8.39%	61.58%
वित्तीय वर्ष 19	13.59%	0.66%	35.76%	9.23%	59.24%
वित्तीय वर्ष 20	12.95%	0.34%	36.37%	10.64%	60.30%
वित्तीय वर्ष 21	12.42%	0.34%	41.22%	14.39%	68.38%

*राज्यों को सौंपे गए करों और शुल्कों के आंकड़े (चालू वर्ष के लिए ₹5,94,997 करोड़) शामिल हैं। केंद्र को शुद्ध राजस्व प्राप्तियां चालू वर्ष में ₹18,64,513 करोड़ थी, जैसा कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

जैसा कि तालिका 2.7 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 21 के दौरान सकल प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी, जिसमें वित्तीय वर्ष 21 में 11.84 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि ऋण प्राप्तियों में पर्याप्त वृद्धि और लोक लेखों में सकल उपार्जन के कारण थी। दूसरी ओर, वित्तीय वर्ष 21 में सकल राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के मामले में वृद्धि नकारात्मक थी।

वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, सकल राजस्व प्राप्तियां जीडीपी के प्रतिशत के रूप में धीरे-धीरे 14.45 प्रतिशत से घटकर 12.42 प्रतिशत हो गई। वित्तीय वर्ष 21 में 60.30 की तुलना में वित्तीय वर्ष 21 के दौरान सकल प्राप्तियाँ जीडीपी की 68.38 प्रतिशत थी।

ख. वित्तीय वर्ष 20 के साथ तुलना

वित्तीय वर्ष 21 में वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में कुल प्राप्तियों में 11.84 प्रतिशत (₹14,33,861 करोड़) की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 21 में वित्तीय वर्ष 20 की तुलना

में गैर-ऋण प्राप्तियों में 5.26 प्रतिशत (₹1,40,426 करोड़) की कमी और वित्तीय वर्ष 21 में वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में ऋण प्राप्तियों में 11.80 प्रतिशत (₹8,61,523 करोड़) की वृद्धि हुई और वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 21 के दौरान 33.07 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

पिछले वर्ष की तुलना में गैर-ऋण प्राप्तियों में कमी निम्नलिखित मामलों में महत्वपूर्ण थी

- i. गैर-कर राजस्व वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में ₹1,56,295 करोड़ (26.55 प्रतिशत) कम था, जिसमें से लाभांश/लाभ से प्राप्तियों में ₹89,253 करोड़ (47.95 प्रतिशत), भारतीय रेलवे में ₹33,911 करोड़ (19.41 प्रतिशत) पेट्रोलियम में ₹5,179 करोड़ (43.74 प्रतिशत) और अन्य संचार सेवाओं से ₹24,346 करोड़ (34.86 प्रतिशत) की कमी आई। लाभांश/लाभ के तहत प्राप्तियां मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (₹90,860 करोड़) से अधिशेष/लाभांश की कम प्राप्तियों और भारतीय जीवन बीमा निगम (₹2,611 करोड़) से लाभ के हिस्से की कम प्राप्ति के कारण कम हुई, यह आंशिक रूप पीएसयू (₹3,988 करोड़) से लाभांश से अधिक प्राप्ति द्वारा पूरा किया गया था।
- ii. गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में ₹1,176 करोड़ कम थीं। कमी के कारणों में विनिवेश से 38.38 प्रतिशत कम आय शामिल थी, जिसे ऋण और अग्रिम की वसूली में 60.47 प्रतिशत की वृद्धि से आंशिक रूप से पूरा किया गया था।

2.3.1 राजस्व प्राप्तियां

कर और गैर-कर प्राप्तियों सहित राजस्व प्राप्तियां वित्तीय संसाधनों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राजस्व प्राप्तियों के घटकों की चर्चा अनुवर्ती अनुभागों में की गई है।

तालिका 2.8 राजस्व प्राप्तियों के संबंध में सकल और शुद्ध दोनों के संबंध में संघ सरकार के वित्त का एक अवलोकन प्रस्तुत करता है।


तालिका 2.8: राजस्व प्राप्तियां: सकल और निवल

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल कर राजस्व	राज्य का हिस्सा	शुद्ध कर राजस्व	गैर-कर राजस्व#	शुद्ध राजस्व प्राप्तियां	सकल राजस्व प्राप्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)= (2)+(5)
वित्तीय वर्ष 17	17,15,968 (77.16%)	6,08,000	11,07,968	5,08,020 (22.84%)	16,15,988	22,23,988
वित्तीय वर्ष 18	19,19,183 (81.18%)	6,73,005	12,46,178	4,44,965 (18.82%)	16,91,143	23,64,148
वित्तीय वर्ष 19	20,80,465 (81.02%)	7,61,454	13,19,011	4,87,451 (18.98%)	18,06,462	25,67,916
वित्तीय वर्ष 20	20,10,059 (77.35%)	6,50,677	13,59,382	5,88,701 (22.65%)	19,48,083	25,98,760
वित्तीय वर्ष 21	20,27,104 (82.42%)	5,94,997	14,32,107	4,32,406 (17.58%)	18,64,513	24,59,510

नोट: प्रतिशत में आंकड़े सकल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में दिखाते हैं।

बाहरी एजेंसियों से सहायता अनुदान और योगदान शामिल है।



जैसा कि तालिका 2.8 से देखा गया है, सकल कर राजस्व में वृद्धि की दर वित्तीय वर्ष 17 (17.86 प्रतिशत) से वित्तीय वर्ष 19 (8.40 प्रतिशत) तक घटती प्रवृत्ति को दर्शाती है, जिसमें वित्तीय वर्ष 20 (-3.38 प्रतिशत) में वृद्धि नकारात्मक रही है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 21 में, वित्तीय वर्ष 20 से मामूली सकारात्मक वृद्धि दर (0.85 प्रतिशत) थी। राज्यों की हिस्सेदारी के संबंध में, वित्तीय वर्ष 17 (20.11 प्रतिशत) में उच्चतम

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि देखी गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 20 (-14.55 प्रतिशत) और वित्तीय वर्ष 21 (-8.56 प्रतिशत) में वृद्धि नकारात्मक रही।

वित्तीय वर्ष 2017-21 के दौरान सरकार के गैर-कर राजस्व ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई, जबकि लाभांश और लाभ (₹89,253 करोड़), भारतीय रेलवे (₹33,911 करोड़), अन्य संचार सेवाएं (₹24,346 करोड़) और पेट्रोलियम (₹5,179 करोड़) के संबंध में वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 21 में कम प्राप्तियों के कारण पर्याप्त कमी (-26.55 प्रतिशत) देखी गई।

2.3.1.1 कर राजस्व

कर राजस्व में दो घटक होते हैं- प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। निगम कर, निगम कर के अलावा आय पर कराधान, आदि प्रत्यक्ष करों का हिस्सा हैं, और माल और सेवा कर (जीएसटी), सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, आदि अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा हैं। तालिका 2.9 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व के घटकों के साथ-साथ उनकी वार्षिक वृद्धि दर को निरपेक्ष रूप से दर्शाता है।

तालिका 2.9: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	जीएसटी	अन्य
वित्तीय वर्ष 19	20,80,465	6,63,572	4,61,652	1,17,813	2,30,993	4,86,479	1,19,956
वित्तीय वर्ष 20	20,10,059	5,56,876	4,80,348	1,09,283	2,39,452	5,03,196	1,20,904
वित्तीय वर्ष 21	20,27,104	4,57,719	4,70,633	1,34,750	3,89,667	4,56,334	1,18,001

साल दर साल वृद्धि (प्रतिशत)



जीडीपी के प्रतिशत के रूप में							
अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	जीएसटी	अन्य
वित्तीय वर्ष 19	11.01%	3.51%	2.44%	0.62%	1.22%	2.57%	0.63%
वित्तीय वर्ष 20	10.01%	2.77%	2.39%	0.54%	1.19%	2.51%	0.60%
वित्तीय वर्ष 21	10.24%	2.31%	2.38%	0.68%	1.97%	2.30%	0.60%


नोट: जीएसटी 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। तालिका 2.9 में विश्लेषण पूरे वर्ष की तुलना के लिए 2018-19 से आगे के लिए किया गया है।

वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 21 में सकल कर राजस्व में वृद्धि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 62.73% की प्रयाप्त वृद्धि के कारण थी, यह वृद्धि सड़क व अवसंरचना उपकरणों में बढ़ी हुई प्राप्त के कारण थी। वित्तीय वर्ष 21 के दौरान सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 10.24 प्रतिशत रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 20 के दौरान यह 10.01 प्रतिशत था।

इसके अलावा, ₹3,99,949 करोड़ का उपकर संग्रह, वित्तीय वर्ष 21 में ₹20,27,104 करोड़ के सकल कर राजस्व का लगभग पांचवां हिस्सा था। जैसा कि ग्राफ 2.10 में दिखाया गया है। उपकरणों में आयकर और निगम कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण, तंबाकू वस्तुओं, मोटर वाहनों आदि जैसे कुछ सामानों पर जीएसटी मुआवजा उपकरण, डीजल और पेट्रोल पर सड़क उपकरण, और आयातित वस्तुओं पर समाज कल्याण अधिभार शामिल हैं।

ग्राफ 2.10: विभिन्न कर राजस्व के हिस्से के रूप में उपकरण संग्रह

(₹ करोड़ में)



स्रोत: यूजीएफए का विवरण संख्या 8

2.3.1.2 उपकर संग्रह

उपकर एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए धन जुटाने के लिए सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त कर है। उपकर संग्रह शुरू में सीएफआई में जमा किया जाता है। माल और सेवा कर (जीएसटी) जुलाई 2017 से लागू किया गया है। जीएसटी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, प्रवेश कर, चुंगी, आदि उपकर जैसे कृषि कल्याण उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, स्वच्छ ऊर्जा उपकर और चाय, चीनी और जूट आदि पर उपकर शामिल हैं।

संघ सरकार ने हाल के वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न उपकरणों को समाप्त कर दिया है, जबकि वित्तीय वर्ष 18 से प्रभावी प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण और प्रत्यक्ष करों पर माध्यमिक शिक्षा उपकरण, और सीमा शुल्क में शिक्षा उपकरण के स्थान पर समाज कल्याण अधिभार, पर नए उपकरण लगाए हैं।

इसके अलावा, आयातित माल पर शिक्षा उपकरण, आयातित माल पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकरण, कच्चे पेट्रोलियम तेल पर उपकरण, मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सड़क उपकरण), हाई स्पीड डीजल तेल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सड़क उपकरण), मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, निर्दिष्ट आयातित और उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर सड़क और अवसंरचना उपकरण, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क और कच्चे पेट्रोलियम तेल, यूनिवर्सल एक्सेस लेवी और समाज कल्याण अधिभार, आदि लगाया जाना जारी है।

वित्तीय वर्ष 21 में विभिन्न उपकरणों⁴ का कुल संग्रह ₹3,99,949 करोड़ (वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में 36.06 प्रतिशत की वृद्धि) और उनकी वृद्धि दर तालिका 2.11 में दर्शाई गई है।

⁴ स्वदेशी मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सड़क और अवसंरचना उपकरण, मोटर वाहनों पर अवसंरचना उपकरण, उच्च गति वाले डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और तेल पर उपकरण। 'अन्य' में निर्यात पर उपकरण, चाय पर उपकरण, बीड़ी पर उपकरण, स्वच्छ भारत उपकरण, कृषि कल्याण उपकरण, अनुसंधान एवं विकास उपकरण अधिनियम, 1986 के तहत प्राप्ति, चीनी पर उपकरण, आदि।

तालिका 2.11: उपकर संग्रह

(₹ करोड़ में)

अवधि	जीएसटी मुआवजा उपकर	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर*	समाज कल्याण अधिभार	कच्चे तेल पर उपकर	सड़क उपकर	वैश्विक सेवा दायित्व (यूएसओ)	अन्य	कुल
वित्तीय वर्ष 18	62,612	31,656	1,222	13,579	84,038	7,019	22,182	2,22,308
वित्तीय वर्ष 19	95,081	41,310	8,871	17,814	1,10,854	6,912	2,121	2,82,963
वित्तीय वर्ष 20	95,553	39,241	8,796	14,062	1,22,440	7,962	5,901	2,93,955
वित्तीय वर्ष 21	85,192	35,895	13,447	10,894	2,35,783	9,471	9,267	3,99,949

* एमएच 0037, 0038 और 0044 के तहत प्राथमिक शिक्षा उपकर (₹61.85 करोड़) और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर (₹11.42 करोड़) शामिल हैं

वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 21 में सड़क उपकर में वृद्धि सड़क एवं अवसंरचना उपकर के तहत उच्च संग्रह, हाई स्पीड डीजल ऑयल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और स्वदेशी मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के कारण थी। 'अन्य' के मामले में, मुख्य रूप से 'निर्यात पर उपकर' (₹9,215 करोड़) के तहत अधिक संग्रह के कारण 57.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, जीएसटी मुआवजा उपकर, कच्चे तेल पर उपकर, और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के तहत संग्रह में नकारात्मक वृद्धि अंतर्निहित बुनियादी करों में कम वृद्धि को दर्शाती है।

2.3.1.3 गैर-कर राजस्व


गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, न्यायपालिका, पुलिस, मुद्रा और सिक्का, लाभांश और लाभ जैसे संप्रभु कार्यों से आय, और रेलवे, डाक और विभागीय उपक्रमों द्वारा एकत्र किए गए उपयोगकर्ता शुल्क शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 21 में कुल गैर-कर राजस्व में 26.55 प्रतिशत की काफी कमी आई। गैर-कर राजस्व की संरचना तालिका 2.12 में दी गई है।

तालिका 2.12: गैर-कर राजस्व की संरचना

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल गैर-कर राजस्व#	सकल राजस्व प्राप्तियों के % के रूप में	ब्याज प्राप्तियां	लाभांश और लाभ	सामाजिक सेवा	आर्थिक सेवाएं	अन्य**
वित्तीय वर्ष 17	5,08,020	22.84%	43,496	1,23,021	11,998	2,86,597	42,908
वित्तीय वर्ष 18	4,44,965	18.82%	45,732	91,367	3,081	2,58,592	46,193
वित्तीय वर्ष 19	4,87,451	18.98%	27,166	1,13,427	3,167	2,94,445	49,246
वित्तीय वर्ष 20	5,88,701	22.65%	56,964	1,86,142	3,507	2,94,717	47,371
वित्तीय वर्ष 21	4,32,406	17.58%	59,540	96,889	3,878	2,29,491	42,608

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



बाहरी एजेंसियों से सहायता अनुदान और योगदान शामिल है

**वित्तीय सेवाएं, सामान्य सेवाएं और सहायता अनुदान और योगदान

स्रोत: यूजीएफए वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 21 तक

वित्तीय वर्ष 21 में गैर-कर राजस्व (53.07 प्रतिशत) का सबसे बड़ा हिस्सा आर्थिक सेवाओं से प्राप्त हुआ। लाभांश और लाभ गैर-कर राजस्व का 22.41 प्रतिशत, जबकि ब्याज प्राप्ति का हिस्सा 13.77 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में, वित्तीय वर्ष 21 में सकल कर राजस्व में ₹1,56,295 करोड़ की पर्याप्त कमी मुख्य रूप से लाभांश, लाभ और आर्थिक सेवाओं में कमी से प्रेरित थे, इसमें क्रमशः ₹89,253 करोड़ और ₹65,226 करोड़ की कमी हुई।

सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत प्राप्ति में प्रसारण सेवाओं (₹876 करोड़) की उच्च प्राप्ति के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 10.58 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। नकद शेष राशि (₹4,859 करोड़) और बाजार ऋण से ब्याज (₹1,240 करोड़) के उच्च निवेश के कारण वित्तीय वर्ष 21 के दौरान ब्याज प्राप्ति में भी 4.52 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

इसके अलावा, आर्थिक सेवाओं से प्राप्ति, जोकि गैर-कर राजस्व के आधे से अधिक के लिए थीं, में निम्नलिखित घटक थे जैसा कि तालिका 2.13 में दिखाया गया है।

तालिका 2.13: आर्थिक सेवाओं से प्राप्त के घटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	भारतीय रेलवे- वाणिज्यिक लाइनें	डाक प्राप्तियां	अन्य संचार सेवाएं	अन्य	कुल आर्थिक सेवाएं
वित्तीय वर्ष 17	1,61,583	11,511	70,241	43,262	2,86,597
वित्तीय वर्ष 18	1,76,779	12,833	32,066	36,914	2,58,592
वित्तीय वर्ष 19	1,87,738	13,196	40,816	52,695	2,94,445
वित्तीय वर्ष 20	1,72,021	13,558	69,846	39,292	2,94,717
वित्तीय वर्ष 21	1,38,264	10,632	45,501	35,094	2,29,491

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि चालू वर्ष के दौरान आर्थिक सेवाओं की प्राप्तियों में वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में ₹65,226 करोड़ (22.13 प्रतिशत) की कमी आई है, हालांकि, यह कुल गैर-कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में 3.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 20 के दौरान 103 संस्थाओं से प्राप्त ₹1,86,142 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, संघ सरकार ने ₹1,15,767 करोड़ के निवेश के साथ 89 संस्थाओं से ₹96,889 करोड़ का लाभांश/ अधिशेष प्राप्त किया, जैसा कि तालिका 2.14 में दिखाया गया है।

तालिका 2.14: लाभांश और लाभ की संरचना

(₹ करोड़ में)

अवधि	आरबीआई से अधिशेष लाभ का हिस्सा	सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश	राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभ का हिस्सा	अन्यों से लाभांश	कुल लाभांश और लाभ
वित्तीय वर्ष 17	65,876	53,195	1,445	2,505	1,23,021
वित्तीय वर्ष 18	40,659	46,495	1,826	2,387	91,367
वित्तीय वर्ष 19	68,000	43,049	108	2,270	1,13,427
वित्तीय वर्ष 20	1,47,988*	35,509	0	2,645	1,86,142
वित्तीय वर्ष 21	57,128	39,497	0	264	96,889

*बिमल जालान समिति की सिफारिशों की स्वीकृति के बाद जालान समिति आरबीआई के संबंध में मौजूदा आर्थिक पूंजीगत रूपरेखा की समीक्षा करेगी

प्राप्त लाभांश और लाभ में से, अकेले आरबीआई (₹57,128 करोड़) से प्राप्त अधिशेष का हिस्सा इस शीर्ष के तहत कुल प्राप्तियों का लगभग 58.96 प्रतिशत है। लाभांश देने वाली अन्य संस्थाएं कोल इंडिया लिमिटेड (₹5,095 करोड़), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹5,091 करोड़), हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (₹4,717 करोड़), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹3,502 करोड़), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹2,824 करोड़) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹2,413 करोड़) थीं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश का हिस्सा वित्तीय वर्ष 20 में ₹35,509 करोड़ (गैर-कर राजस्व का 6.03 प्रतिशत) से बढ़कर वित्तीय वर्ष 21 में ₹39,497 करोड़

(गैर-कर राजस्व का 9.13 प्रतिशत) हो गया, यह मुख्य रूप से हिंदुस्तान जिंक से उच्च लाभांश के कारण लिमिटेड (₹4,717 करोड़), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (₹2,545 करोड़), इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (₹1,485 करोड़), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (₹1,224 करोड़), और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹1,177 करोड़) से उच्च लाभांश के कारण था।

2.3.1.4 नकद शेष के निवेश पर ब्याज प्राप्ति

31 मार्च 2021 की समाप्ति पर संघ सरकार के पास ₹2,32,572 करोड़ का नकद शेष था और ब्याज आय के रूप में ₹6,281 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। जबकि 31 मार्च 2020 के अंत में, नकद शेष ₹50,573 करोड़ था, जिस पर ब्याज आय ₹1,422 करोड़ थी।

2.3.2 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां


गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजी प्राप्तियां और ऋण और अग्रिम की वसूली शामिल है। पूर्व में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त आय शामिल थी।

तालिका 2.15: गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

अवधि	विविध पूंजीगत प्राप्तियां		ऋण और अग्रिम की वसूली	कुल गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां
	विनिवेश से आय	अन्य		
वित्तीय वर्ष 17	35,470	12,273	40,971	88,714
वित्तीय वर्ष 18	88,970	11,078	70,639	1,70,687
वित्तीय वर्ष 19	72,620	22,359	30,257	1,25,236
वित्तीय वर्ष 20	48,234	2,115	18,647	68,996
वित्तीय वर्ष 21	29,720	8,177	29,923	67,820

साल-दर-साल वृद्धि(प्रतिशत)



वर्ष के दौरान, सरकार को वित्तीय वर्ष 20 में ₹48,234 करोड़ की तुलना में पीएसयू में अपनी इक्विटी के विनिवेश से ₹29,720 करोड़ प्राप्त हुए। ये प्राप्तियां मुख्य रूप से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (₹2,802 करोड़) की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकशों से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (₹4,924 करोड़), भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (₹771 करोड़), आईआरसीटीसी लिमिटेड (₹4,474 करोड़), सेल लिमिटेड (₹2,738 करोड़), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (₹676 करोड़) की बिक्री के लिए प्रस्ताव), टीसीएल (₹8,847 करोड़), आरवीएनएल (₹552 करोड़) और सात सीपीएसई (₹3,936 करोड़) द्वारा शेयरों की वापस खरीद (बाय बैक) प्रस्ताव से प्राप्त हुई।

2.4 संवितरण

क. संवितरण की प्रवृत्ति


वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में सी एफ आई से कुल संवितरण में 7.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ₹129,36,935 करोड़ के कुल संवितरण में से, सीएफआई से संवितरण 78.01 प्रतिशत था और शेष 21.99 प्रतिशत संवितरण लोक लेखा से था जैसा कि तालिका 2.16 में वर्णित है।

तालिका 2.16: संवितरण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 17	वित्तीय वर्ष 18	वित्तीय वर्ष 19	वित्तीय वर्ष 20	वित्तीय वर्ष 21
सीएफआई से संवितरण	79,21,324	84,19,941	87,80,706	93,74,754	100,92,282
सार्वजनिक खाते से संवितरण	11,82,568	14,34,375	16,53,371	20,84,799	28,44,653
<i>सीएफआई से संवितरण</i>					
सार्वजनिक ऋण की चुकौती	56,78,823 (71.69)	58,72,604 (69.75)	60,64,945 (69.07)	63,26,549 (67.48)	61,84,635 (61.28)
ऋण और अग्रिम (एलए)	60,011 (0.76)	82,136 (0.97)	54,667 (0.62)	45,141 (0.48)	2,49,846 (2.47)
पूंजीगत व्यय (सीई)	2,49,472 (3.15)	3,25,116 (3.86)	3,99,523 (4.55)	3,87,744 (4.14)	3,42,949 (3.40)
राजस्व व्यय (आरई)	19,33,018 (24.40)	21,40,085 (25.42)	22,61,571 (25.76)	26,15,320 (27.90)	33,14,852 (32.85)
कुल खर्च (सीई + आरई + एलए)	22,42,501	25,47,337	27,15,761	30,48,205	39,07,647

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन




कोष्ठकों में आंकड़े सीएफआई से संवितरण के प्रतिशत के रूप में दिखाते हैं

तालिका 2.16 से, यह देखा जा सकता है कि सीएफआई से संवितरण में से, सार्वजनिक ऋण की चुकौती 61.28 प्रतिशत थी और कुल व्यय 38.72 प्रतिशत था। सीएफआई संवितरण के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण चुकौती पिछले पांच वर्षों में 71.69 प्रतिशत से घटकर 61.28 प्रतिशत हो गई। राजस्व व्यय का हिस्सा बढ़ रहा था।


इसके अलावा, तालिका 2.17 सीएफआई से कुल संवितरण में लोक ऋण चुकौती और ब्याज भुगतान की हिस्सेदारी को दर्शाता है।

तालिका 2.17: सीएफआई में लोक ऋण चुकौती और ब्याज भुगतान का हिस्सा



इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 20 के दौरान थोड़ी घटती प्रवृत्ति को देखने के बाद सीएफआई से कुल संवितरण में ऋण चुकौती और ब्याज भुगतान से संबंधित संवितरण की हिस्सेदारी में वित्तीय वर्ष 21 में महत्वपूर्ण गिरावट आई।

ग्राफ 2.18: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यय



इस प्रकार, जैसा कि ग्राफ 2.18 से देखा जा सकता है, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय में वृद्धि हुई (वित्तीय वर्ष 20 में 15.18 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 21 में 19.73 प्रतिशत), और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में भी वृद्धि हुई (वित्तीय वर्ष 20 में 13.03 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 21 में 16.74 प्रतिशत)। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 20 में 1.93 प्रतिशत से घट कर वित्तीय वर्ष 21 में 1.73 प्रतिशत हो गया।

2.4.1 क्षेत्रीय व्यय

संघ सरकार के लेखों में, व्यय को विभिन्न मुख्य शीर्षों के तहत रखा जाता है, जिसे बदले में, चार क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात् 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' और 'सहायता अनुदान और योगदान'।

तालिका 2.19 क्षेत्रीय व्यय (राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों) का विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 2.19: संघ सरकार का क्षेत्रीय व्यय

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रीय व्यय	वित्तीय वर्ष 17	वित्तीय वर्ष 18	वित्तीय वर्ष 19	वित्तीय वर्ष 20	वित्तीय वर्ष 21
राजस्व व्यय	9,26,181	10,10,124	11,02,022	12,12,505	12,96,967
पूंजीगत व्यय	99,380	1,06,529	1,13,089	1,24,994	1,42,949
ऋण और अग्रिम	0	0	0	0	0
लघु योग	10,25,561	11,16,653	12,15,111	13,37,499	14,39,916
साल दर साल वृद्धि (%)	14.40	8.88	8.82	10.07	7.66
सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में	6.66	6.53	6.43	6.66	7.27

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

सामाजिक सेवा	राजस्व व्यय	97,210	1,01,337	1,07,414	1,35,769	1,71,271
	पूँजीगत व्यय	5,315	9,771	9,823	9,899	7,611
	ऋण और अग्रिम	13,498	10,561	11,924	14,449	6,992
	लघु योग	1,16,023	1,21,669	1,29,161	1,60,117	1,85,874
	साल दर साल वृद्धि (%)	15.24	4.87	6.16	23.97	16.09
	सकल घरेलू उत्पाद के% के रूप में	0.75	0.71	0.68	0.80	0.94
आर्थिक सेवाएं	राजस्व व्यय	6,18,626	6,47,099	6,69,423	7,36,314	12,61,988
	पूँजीगत व्यय	1,44,777	2,08,816	2,76,611	2,52,851	1,92,388
	ऋण और अग्रिम	27,326	53,018	18,132	4,839	93,364
	लघु योग	7,90,729	9,08,933	9,64,166	9,94,004	15,47,740
	साल दर साल वृद्धि (%)	1.91	14.95	6.08	3.09	55.71
	सकल घरेलू उत्पाद के% के रूप में	5.14	5.32	5.10	4.95	7.82
कुल योग		19,32,313	21,47,255	23,08,438	24,91,620	31,73,530
साल दर साल वृद्धि (%)		8.98	11.12	7.51	7.94	27.37

स्रोत: वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 21 तक यूजीएफए

नोट: क्षेत्रीय वर्गीकरण में विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋण और सहायता अनुदान के कारण राजस्व व्यय शामिल नहीं है।

जैसा कि तालिका 2.19 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, आर्थिक सेवाओं में 55.71 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि देखी गई, जिसका कारण खाद्य, भंडारण और भंडारण के लिए ₹4,40,476 करोड़ का उच्च व्यय, और ग्रामीण रोजगार पर बढ़ा हुआ व्यय (₹39,490 करोड़) था, और उद्योग (₹34,169 करोड़)। सामाजिक क्षेत्र पर व्यय में 16.09 प्रतिशत की दूसरी उच्चतर वृद्धि देखी गई, जो सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर व्यय में ₹31,816 करोड़ और आवास पर ₹7,554 करोड़ व्यय में वृद्धि के कारण थी।

इसके अलावा, सामान्य क्षेत्र पर व्यय में वित्तीय वर्ष 21 में वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में ₹1,02,417 करोड़ की वृद्धि देखी गई (7.66 प्रतिशत की वृद्धि, तीन क्षेत्रों में सबसे कम)। यह मुख्य रूप से ब्याज भुगतान और ऋण शोधन पर ₹65,613 करोड़ और पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर ₹24,518 करोड़ की वृद्धि के कारण था।

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पिछले पांच वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर व्यय एक प्रतिशत से भी कम रहा।

2.4.2 राजस्व व्यय का विश्लेषण

सरकार विभिन्न सेवाओं, अपने व्यय पर ब्याज का भुगतान, पेंशन, सब्सिडी आदि के लिए सरकारी विभागों के सामान्य दैनिक व्यय के लिए राजस्व व्यय करती है। संघ

सरकार के लिए राज्य सरकारों और अन्य को दिए गए सभी अनुदान भी राजस्व व्यय की श्रेणी में आते हैं।


राजस्व मदों में से ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन भुगतान प्रतिबद्ध व्यय हैं।

तालिका 2.20: राजस्व व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	राजस्व व्यय	वेतन#	ब्याज भुगतान	पेंशन**	राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान	अन्य##
वित्तीय वर्ष 17	19,33,018	1,77,153 (9.16)	5,04,512 (26.10)	1,31,401 (6.80)	2,85,876 (14.79)	8,34,076 (43.15)
वित्तीय वर्ष 18	21,40,085	1,93,503 (9.04)	5,43,707 (25.41)	1,45,745 (6.81)	3,76,502 (17.59)	8,80,628 (41.15)
वित्तीय वर्ष 19	22,61,571	2,18,022 (9.64)	5,95,552 (26.33)	1,60,212 (7.08)	3,75,997 (16.63)	9,11,788 (40.32)
वित्तीय वर्ष 20	26,15,320	2,27,627 (8.70)	6,55,371 (25.06)	1,83,955 (7.03)	5,22,911 (19.99)	10,25,456 (39.21)
वित्तीय वर्ष 21	33,14,852	3,33,816 (10.07)	7,20,984 (21.75)	2,08,473 (6.29)	5,76,881 (17.40)	14,74,698 (44.49)

साल दर साल वृद्धि (प्रतिशत में)



स्रोत: व्यय प्रोफाइल; ** एमएच-2071 के तहत नागरिक और रक्षा पेंशन, ## अन्य में रक्षा, रेलवे और विविध सामान्य सेवाओं पर व्यय शामिल है।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े राजस्व व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

तालिका 2.20 से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का सबसे बड़ा एकल घटक था, जो कुल 21.75 प्रतिशत था। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 21 में राजस्व व्यय के प्रत्येक घटक में सकारात्मक वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई थी। वित्तीय वर्ष 21 में उच्चतम विकास दर (46.65 प्रतिशत) वेतन में थी।

क. ब्याज भुगतान

यह शीर्ष सार्वजनिक ऋण (आंतरिक और बाहरी दोनों) और सरकार की अन्य ब्याज-असर वाली देनदारियों पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रदान करता है, जिसमें बीमा और पेंशन निधि, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा और विभिन्न कंपनियों और निगम को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज शामिल हैं। इसमें ऋण की कमी या परिहार पर व्यय भी शामिल है।

तालिका 2.21: राजस्व व्यय के लिए ब्याज भुगतान

अवधि	ब्याज भुगतान (आईपी)	राजस्व प्राप्ति (आरआर)	राजस्व व्यय (आरई)	कुल व्यय (टीई)	आईपी का		टीई को	
					विकास	आर आर को आईपी का हिस्सा	आईपी का हिस्सा	आईपी का हिस्सा
				(₹ करोड़ में)		(प्रतिशत में)		
वित्तीय वर्ष 17	5,04,512	16,15,988	19,33,018	22,42,501	10.33	31.22	26.10	22.50
वित्तीय वर्ष 18	5,43,707	16,91,143	21,40,085	25,47,337	7.77	32.15	25.41	21.34
वित्तीय वर्ष 19	5,95,552	18,06,462	22,61,571	27,15,761	9.54	32.97	26.33	21.93
वित्तीय वर्ष 20	6,55,371	19,48,083	26,15,320	30,48,205	10.04	33.64	25.06	21.50
वित्तीय वर्ष 21	7,20,984	18,64,513	33,14,852	39,07,647	10.01	38.67	21.75	18.45

वित्तीय वर्ष 21 के दौरान ब्याज भुगतान में आंतरिक ऋण पर ब्याज भुगतान (₹6,44,829 करोड़, 89.44 प्रतिशत), लघु बचत और भविष्य निधि पर ब्याज, आदि (₹42,429 करोड़), बाहरी ऋण पर ब्याज भुगतान (₹8,204 करोड़) शामिल हैं। आरक्षित निधियों पर ब्याज (₹490 करोड़), अन्य दायित्वों पर ब्याज (₹15,985 करोड़) और ऋण की कमी या परिहार के लिए विनियोग (₹9,047 करोड़) शामिल है।

वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 21 के दौरान ब्याज भुगतान में अर्धवमुखी की प्रवृत्ति के कारणों के लिए वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 21 तक आंतरिक ऋण पर ब्याज की देनदारी में निरंतर वृद्धि, वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 20 के दौरान बाहरी ऋण

पर ब्याज में वृद्धि और वित्तीय वर्ष 19 से वित्तीय वर्ष 21 के दौरान ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया गया है।

ख. पेंशन भुगतान


तालिका 2.22 से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 21 में पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 9.94 प्रतिशत बढ़कर ₹2,66,668 करोड़ हो गया।

तालिका 2.22: पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

अवधि	रक्षा	सिविल	रेलवे	डाक	कुल
वित्तीय वर्ष 17	87,826 (48.95)	43,575 (24.29)	40,463 (22.55)	7,547 (4.21)	1,79,411
वित्तीय वर्ष 18	92,000 (46.11)	53,745 (26.94)	45,275 (22.69)	8,511 (4.27)	1,99,531
वित्तीय वर्ष 19	1,01,775 (47.20)	58,437 (27.10)	46,718 (21.66)	8,706 (4.04)	2,15,636
वित्तीय वर्ष 20	1,17,810 (48.57)	66,144 (27.27)	49,188 (20.28)	9,419 (3.88)	2,42,561
वित्तीय वर्ष 21	1,28,066 (48.02)	80,407 (30.15)	48,435 (18.16)	9,760 (3.66)	2,66,668

वार्षिक वृद्धि दर(प्रतिशत में)



स्रोत: सिविल और रक्षा पेंशन के लिए, आंकड़े वित्त लेखा (मुख्य शीर्ष 2071) से हैं। रेलवे और डाक के लिए, आंकड़े उनके विनियोग लेखों से हैं।

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर कुल व्यय के अनुपात को दर्शाते हैं।

जैसा कि देखा जा सकता है, जबकि रक्षा पेंशन की हिस्सेदारी में लगभग 48 प्रतिशत का उतार-चढ़ाव हुआ, रेलवे पेंशन और डाक पेंशन के शेयरों में वित्तीय वर्ष 19 के बाद से घटती प्रवृत्ति दिखाई दी। वित्तीय वर्ष 21 के दौरान सिविल पेंशन में 21.56

प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, जबकि रेलवे पेंशन में 1.53 प्रतिशत की कमी आई।

ग. सब्सिडी

सब्सिडी राजस्व व्यय का 22.77 प्रतिशत थी। तालिका 2.23 बजट के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी का विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 2.23: संघ सरकार के बजट में सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

अवधि	खाद्य	उर्वरक* (यूरिया)	उर्वरक # (विनियंत्रित)	पेट्रोलियम सब्सिडी	अन्य **	कुल सब्सिडी	राजस्व व्यय के % के रूप में राजसहायता
वित्तीय वर्ष 17	1,10,173 (-20.98)	51,257 (1.54)	15,056 (-31.37)	27,539 (-8.20)	28,777 (72.98)	2,32,802 (-9.93)	12.04
वित्तीय वर्ष 18	1,00,282 (-8.98)	64,756 (26.34)	22,244 (47.74)	24,460 (-11.18)	34,334 (19.31)	2,46,076 (5.70)	11.50
वित्तीय वर्ष 19	1,01,327 (1.04)	46,514 (-28.17)	24,090 (8.30)	24,837 (1.54)	28,210 (-17.84)	2,24,978 (-8.57)	9.95
वित्तीय वर्ष 20	1,08,688 (7.26)	54,755 (17.72)	26,369 (9.46)	38,529 (55.13)	33,963 (20.39)	2,62,304 (16.59)	10.03
वित्तीय वर्ष 21	5,41,330 (398.06)	90,549 (65.37)	37,372 (41.73)	36,755 (-4.60)	48,930 (44.07)	7,54,936 (187.81)	22.77

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वार्षिक वृद्धि का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्वदेशी व आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी जाने वाली सब्सिडी को दर्शाता है।

विनियंत्रित उर्वरकों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को दर्शाता है। 2011-12 से यह पोषक तत्व आधारित सब्सिडी है।

**अन्य में ब्याज सब्सिडी, उपभोक्ता मामले के विभाग में मूल्य स्थिरीकरण कोष, 2017-18 से 2019-20 सीजन तक चीनी मिलों को सहायता योजना आदि शामिल हैं।

इस शीर्ष के तहत अधिकांश व्यय खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी की ओर था जो मुख्य सब्सिडी की श्रेणी में आते हैं। वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में, वित्तीय वर्ष 21 में सब्सिडी पर कुल व्यय 187.81 प्रतिशत बढ़ गया, जिसका मुख्य कारण खाद्य सब्सिडी पर 398.06 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि थी, जो भारतीय खाद्य निगम को बकाया के भुगतान के कारण था।

कुल मिलाकर, राजस्व व्यय में सब्सिडी पर व्यय का हिस्सा वित्तीय वर्ष 19 तक घटती प्रवृत्ति और वित्तीय वर्ष 20 से बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 20 में 10.03 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 21 में 22.77 प्रतिशत हो गई, जो खाद्य सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई।

घ. राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान

तालिका 2.24: विधायिका वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राज्यों को अनुदान				विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान		
	केंद्र प्रायोजित योजनाओं	वित्त आयोग अनुदान	अन्य	राज्यों को कुल अनुदान	केंद्र प्रायोजित योजनाओं	अन्य	केंद्र शासित प्रदेशों को कुल अनुदान
वित्तीय वर्ष 18	1,96,088.05	92,244.47	84,409.52	3,72,742.04	1,014.25	2,745.55	3,759.80
वित्तीय वर्ष 19	2,03,150.66	93,703.58	71,318.12	3,68,172.36	791.68	7,033.24	7,824.92
वित्तीय वर्ष 20	2,08,543.68	1,23,709.87	1,62,721.91	4,94,975.46	3,577.05	24,359.05	27,936.10
वित्तीय वर्ष 21	2,08,394.63	1,84,062.50	1,33,757.11	5,26,214.24	7,885.93	42,781.16	50,667.09

जैसा कि तालिका 2.24 से देखा जा सकता है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित सहायता अनुदान पिछले चार वर्षों में स्थिर हो गया और वित्तीय वर्ष 21 में ₹2,08,394.63 करोड़ था, जबकि वित्त आयोग अनुदान वित्तीय वर्ष 19 में ₹93,703.58 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 21 में ₹1,84,062.50 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में, वित्तीय वर्ष 21 में वित्त आयोग के अनुदान में 48.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई, मुख्य रूप से 'पोस्ट-डिवॉल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट' में ₹46,026.50 करोड़ की वृद्धि के कारण। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में वृद्धि, जम्मू और कश्मीर को ₹30,757 करोड़ की 'विशेष सहायता' के कारण हुई थी।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

वित्तीय वर्ष 21 में, संघ सरकार द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय ₹3,42,948.83 करोड़ था। तालिका 2.25 पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तालिका 2.25: पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

अवधि	वित्तीय वर्ष 17	वित्तीय वर्ष 18	वित्तीय वर्ष 19	वित्तीय वर्ष 20	वित्तीय वर्ष 21
सामान्य सेवाएं	99,380.05	1,06,529.29	1,13,089.17	1,24,993.89	1,42,949.38
रक्षा सेवाएं	86,370.92	90,445.23	95,230.59	1,11,092.43	1,34,304.92
अन्य	13,009.13	16,084.06	17,858.58	13,901.46	8,644.46
सामाजिक सेवा	5,314.85	9,771.12	9,822.59	9,899.09	7,611.00
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	2,780.29	5,113.14	3,794.82	4,688.20	3,058.51

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

अन्य	2,534.56	4,657.98	6,027.77	5,210.89	4,552.49
आर्थिक सेवाएं	1,44,776.95	2,08,815.55	2,76,611.06	2,52,851.13	1,92,388.45
यातायात	92,446.05	99,882.23	1,27,281.02	1,39,481.50	1,22,734.41
सामान्य आर्थिक सेवाएं*	32,777.06	87,683.79	1,23,845.38	81,115.76	46,837.05
अन्य	19,553.84	21,249.53	25,484.66	32,253.87	22,816.99
कुल	2,49,471.85	3,25,115.96	3,99,522.82	3,87,744.11	3,42,948.83

*सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, आदि में निवेश।



जैसा कि तालिका 2.25 से देखा गया है, वित्तीय वर्ष 20 से वित्तीय वर्ष 21 में पूंजीगत व्यय में कमी मुख्य रूप से सामान्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय में कमी के कारण थी। गिरावट का मुख्य कारण वित्तीय वर्ष 19 में बैंक पुनर्पूजीकरण पर ₹1,06,000 करोड़ से वित्तीय वर्ष 21 में ₹20,000 करोड़ का कम व्यय था। वित्तीय वर्ष 21 में, रक्षा सेवाओं को छोड़कर सभी मुख्य श्रेणियों में पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में काफी कमी आई है।

वित्तीय वर्ष 21 दौरान मुख्य रूप से जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास के पूंजीगत लेखों पर कम व्यय के कारण सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 23.11 प्रतिशत की कमी आई।

2.4.3.1 निवेश

सांविधिक निगमों, कंपनियों, बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों, सहकारिता आदि में संघ सरकार का कुल निवेश वित्तीय वर्ष 21 के अंत में ₹12,42,740 करोड़ रहा, जो वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में ₹1,14,572 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 2.26: निवेश पर प्रतिलाभ

(₹ करोड़ में)

अवधि	सांविधिक निगम/ कंपनियों/ बैंकों/ अंतर्राष्ट्रीय निकायों आदि में संघ का कुल निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश और लाभ	निवेश पर प्रतिफल	निवेश पर वापसी (आरबीआई से अधिशेष हस्तांतरण को छोड़कर)
वित्तीय वर्ष 20	11,28,168	1,86,141.57	16.50%	3.38%
वित्तीय वर्ष 21	12,42,740	96,888.52	7.80%	3.20%

इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों में संघ सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में ₹3,06,440 करोड़ का निवेश किया था, जैसा कि तालिका 2.27 में दिखाया गया है।

तालिका 2.27: राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी किए गए निवेश और प्रतिभूतियां

(₹ करोड़ में)

अवधि	वर्ष के अंत में राष्ट्रीयकृत बैंकों में संघ सरकार का कुल निवेश।	वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में संघ सरकार का निवेश	वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी प्रतिभूतियां
वित्तीय वर्ष 17	1,30,528	24,997	-
वित्तीय वर्ष 18	2,20,521	90,000	80,000
वित्तीय वर्ष 19	3,26,507	1,06,000	1,10,500
वित्तीय वर्ष 20	3,91,946	65,443	75,848
वित्तीय वर्ष 21	4,11,946	20,000	20,000
कुल		3,06,440	2,86,348

₹3,06,440 करोड़ के निवेश के प्रति, बैंकों को जारी की गई प्रतिभूतियों की राशि ₹2,86,348 करोड़ हो गई, जिससे ₹20,092 करोड़ का अंतर रह गया। पांच वर्षों की इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने केंद्र सरकार को अपने लाभ के हिस्से के रूप में कुल ₹3,379 करोड़ हस्तांतरित किए (जिसमें क्रमशः वित्तीय वर्ष 20 और वित्तीय वर्ष 21 से संबंधित केवल ₹1,000 शामिल हैं)।

2.5 केंद्र सरकार के दायित्व

यूजीएफए का विवरण संख्या 2 संघ सरकार की ऋण स्थिति का सार प्रदान करता है। यूजीएफए में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) का विवरण शामिल नहीं था, जिनका प्रकटीकरण केंद्रीय बजट के व्यय प्रोफाइल के विवरण 27 में किया गया है। वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 21 तक जुटाए गये ईबीआर ₹1,38,535.50 करोड़ है। (2016-17 में ₹9,167 करोड़, 2017-18 में ₹15,095 करोड़, 2018-19 में ₹65,602.10 करोड़, 2019-20 में ₹22,006.30 करोड़, और 2020-21 में ₹26,665.10 करोड़)।

तालिका 2.28 यूजीएफए में दर्शाई गई संघ सरकार की बकाया देनदारियों पर चर्चा करती है।

तालिका 2.28: संघ सरकार की बकाया देयताएं

(₹ करोड़ में)

साल	लोक ऋण		लोक लेखा देयताएं		संघ सरकार की देयताएं (यूजीएफए के अनुसार)
	आंतरिक ऋण	वित्तीय वर्ष के अंत में मौजूदा कीमतों पर बाहरी ऋण	छोटी बचत, भविष्य निधि आदि।	आरक्षित निधि और जमा	
वित्तीय वर्ष 17	57,41,709	4,08,108	13,11,628	2,08,099	76,69,544
वित्तीय वर्ष 18	64,01,275	4,45,282	13,94,422	2,52,758	84,93,737
वित्तीय वर्ष 19	70,74,941	4,74,439	15,09,506	3,02,510	93,61,396
वित्तीय वर्ष 20	80,20,490	5,44,394	15,74,289	3,04,444	104,43,617
वित्तीय वर्ष 21	99,09,543	6,14,829	14,27,324	3,33,948	122,85,644

साल दर साल वृद्धि (प्रतिशत में)



इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 18 से कुल देनदारियों में लगातार 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई और सार्वजनिक ऋण में वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 21 में 17.64 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई।

क. लोक लेखा देयताएं


संघ सरकार की लोक लेखा देनदारियां एक उधारकर्ता के बजाय एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में उत्पन्न होती हैं। इनमें लघु बचत (भविष्य निधि, बीमा निधि), आरक्षित निधि और जमा शामिल हैं। ये सभी देनदारियां या तो उनके पुनर्भुगतान के संदर्भ में या निर्दिष्ट व्यय करने के लिए सरकार के दायित्व हैं। इन लेन-देनों का सार यूजीएफए के विवरण 13 और 14 में दिया गया है।

जैसा तालिका 2.29 में दिखाया गया है, 31 मार्च 2021 को केंद्र सरकार की कुल लोक लेखा देनदारी ₹17,61,272 करोड़ थी। कुल लोक लेखा देनदारियों में से, ₹7,54,795 करोड़ राष्ट्रीय लघु बचत कोष के खाते में थे, जिसमें राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों

(₹4,15,507 करोड़) और सरकारी उपक्रमों (₹1,25,636 करोड़), लघु बचत और भविष्य निधि के एनएसएसएफ में संचित घाटा (₹78,524 करोड़) और एनएसएसएफ में ₹1,35,128 करोड़ का क्रेडिट शेष, राज्य भविष्य निधि के लेखों में ₹2,46,944 करोड़, विशेष जमा और लेखों के कारण ₹3,27,514 करोड़, ₹3,33,948 करोड़ आरक्षित निधियों और जमाओं के कारण, ₹93,452 करोड़ डाकघर बीमा निधि के खाते में और ₹4,619 करोड़ अन्य दायित्वों⁵ के कारण।

ग्राफ 2.29: वित्तीय वर्ष 21 में लोक लेखा देयताएं

(₹ करोड़ में)



राष्ट्रीय लघु बचत कोष में बचत जमा जैसे डाकघर बचत खाता, डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर समय जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि खाते, बचत प्रमाण पत्र जैसे डाकघर प्रमाण पत्र और लोक भविष्य निधि शामिल हैं। विशेष जमा और खातों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा विशेष जमा, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, भारतीय खाद्य निगम को जारी विशेष प्रतिभूतियां, उर्वरक कंपनियों के लिए विशेष बांड आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, तालिका 2.30 एनएसएसएफ निधियों से किए गए निवेश और संचित घाटे की प्रवृत्ति (आय और व्यय का शुद्ध) को दर्शाता है।


⁵ ट्रस्ट और बंदोबस्ती, बीमा और पेंशन निधि और अन्य जमा और लेखों के कारण देयताएं।

तालिका 2.30: एनएसएसएफ का निवेश

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल जमा	निवेश	संचित घाटा
वित्तीय वर्ष 17	11,32,490	9,89,943	1,00,994
वित्तीय वर्ष 18	12,89,604	11,53,164	1,07,638
वित्तीय वर्ष 19	15,01,608	13,51,761	1,13,652
वित्तीय वर्ष 20	17,81,883	16,55,903	1,09,462
वित्तीय वर्ष 21	20,87,447	18,73,794	78,524

साल दर साल वृद्धि



वित्तीय वर्ष 21 के अंत में, एनएसएसएफ के तहत कुल जमा राशि ₹20,87,447 करोड़ थी, जिसके मुकाबले कुल निवेश ₹18,73,794 करोड़ था, इसमें ₹2,13,653 करोड़ की बिना निवेश वाली जमा राशि को शामिल नहीं किया गया। हालांकि, ₹78,524 करोड़ के संचित घाटे को समायोजित करने के बाद, निवेश ना की गई जमा राशि ₹1,35,128 करोड़ हो गई। संचित घाटा जो वित्तीय वर्ष 2017-20 के दौरान ₹1,00,000 करोड़ से ऊपर था, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में किए गए निवेश से उच्च ब्याज आय के कारण वित्तीय वर्ष 21 (₹78,524 करोड़) में 28.26 प्रतिशत की कमी आई।

2.5.1 आरक्षित निधि

संघ सरकार के लोक लेखा में आरक्षित निधि को ब्याज और गैर-ब्याज असर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लोक लेखा में 59 आरक्षित निधियों में से 22 ब्याज वाली और 37 गैर-ब्याज वाली हैं। ब्याज वाली आरक्षित निधि पर ₹490 करोड़ का ब्याज का भुगतान वित्तीय वर्ष 21 के दौरान किया गया था। वर्ष के दौरान, 59 में से 14

आरक्षित निधियों का संचालन नहीं किया गया। यूजीएफए में, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एकत्र किए गए उपकरणों, लेवी और शुल्क के संग्रह और उपयोग के लिए लेखांकन हेतु सात आरक्षित निधि मौजूद हैं। एक निधि-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष (एससीएफ)-वित्तीय वर्ष 21 के दौरान चालू की गई थी।

क. आरक्षित निधियों के अंतर्गत अंतरण का विश्लेषण

संविधान का अनुच्छेद 266 लोक लेखा को उन निधियों के रूप में परिभाषित करता है जो भारत सरकार की ओर से प्राप्त की जाती हैं। भविष्य निधि, लघु बचत संग्रह, सड़क विकास, प्राथमिक शिक्षा, आरक्षित/ विशेष निधि इत्यादि जैसी विशिष्ट वस्तुओं पर व्यय के लिए सरकार की आय के मामले में सरकार द्वारा ट्रस्ट में रखे गए धन को लोक लेखा में रखा जाता है। ये निधियां सरकार की नहीं होती हैं और इन्हें अंततः उन लोगों को लौटाना होता है जिन्होंने इन्हें जमा किया था। ऐसे भुगतानों के लिए संसदीय प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, जब संसद के अनुमोदन से संचित निधि से पैसा निकाला जाता है और किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए खर्च के लिए लोक लेखा में रखा जाता है, तो इसे संसद में वोट के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

लोक लेखा के अंतर्गत नौ आरक्षित निधियाँ⁶ थीं जिनके लिए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 21 में आरक्षित निधियों में अंतरण और उससे होने वाले व्यय के लिए बजट प्रावधान किए थे। नौ में से छः आरक्षित निधियों⁷ में, ₹97,247 करोड़ का कम हस्तांतरण था।


यह भी ध्यान दिया गया कि बजटीय आंकड़ों की तुलना में नौ आरक्षित निधियों में से आठ (यूएसओएफ को छोड़कर) में ₹1,02,247 करोड़ का कम उपयोग किया गया था। आठ आरक्षित निधियों में से माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष और प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के संबंध में यद्यपि, इन निधियों से एकत्रित और उपयोग किए गए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरणों के क्रमशः ₹20,567 करोड़ और ₹20,000 करोड़ हस्तांतरित किये जाने थे, इन दो निधियों को लोक लेखा में बनाया नहीं गया था।

⁶ सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ), जीएसटी मुआवजा फंड, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष, राष्ट्रीय राजमार्ग कोष का मुद्रीकरण, राष्ट्रीय निवेश कोष, निर्भया कोष, प्रारम्भिक शिक्षा कोष, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन फंड और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि

⁷ जीएसटी मुआवजा फंड, निर्भया फंड और यूएसओ फंड में हस्तांतरण में कोई कमी नहीं

ग्राफ 2.31: आरक्षित निधि से किए गए व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



ग्राफ 2.31 से देखा गया है कि वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 21 की अवधि के दौरान आरक्षित निधि से प्राप्तियों और संवितरण में लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है।

2.6 लोक ऋण प्रबंधन

यूजीएफए का विवरण 14 आंतरिक और बाहरी ऋण की विस्तृत स्थिति बताया है जो एक साथ संघ सरकार के लोक ऋण का गठन करते हैं और सीएफआई में सुरक्षित हैं। आंतरिक ऋण में मुख्य रूप से बाजार ऋण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल और एनएसएसएफ, डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी संघ सरकार की विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। बाहरी ऋण विदेशी सरकारों और बहुपक्षीय निकायों से प्राप्त ऋण को दर्शाते हैं।

क. आंतरिक ऋण



तालिका 2.32 आंतरिक ऋण के घटकों को प्रस्तुत करता है, अर्थात् संबंधित वित्तीय वर्षों के अंत में बाजार ऋण, ट्रेजरी बिल, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां, मुआवजा और अन्य बांड।

तालिका 2.32: आंतरिक ऋण - संघटन और प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	बाजार ऋण	ट्रेजरी बिल*	जारी की गई प्रतिभूतियां			मुआवजा और अन्य बांड	अन्य	कुल आंतरिक ऋण
			अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान को	राष्ट्रीय लघु बचत कोष को	डाक जीवन बीमा को			
वित्तीय वर्ष 17	46,49,487 (80.98)	4,91,372 (8.56)	1,08,740 (1.89)	3,81,291 (6.64)	20,894 (0.36)	20,325 (0.36)	69,600 (1.21)	57,41,709 (100)
वित्तीय वर्ष 18	50,70,744 (79.21)	5,36,321 (8.38)	1,04,370 (1.63)	4,83,919 (7.56)	20,894 (0.33)	44,531 (0.70)	1,40,496 (2.19)	64,01,275 (100)
वित्तीय वर्ष 19	55,00,141 (77.74)	5,43,218 (7.68)	1,06,523 (1.51)	6,08,919 (8.61)	20,894 (0.30)	46,854 (0.66)	2,48,392 (3.51)	70,74,941 (100)
वित्तीय वर्ष 20	59,86,127 (74.64)	6,13,321 (7.65)	1,01,909 (1.27)	8,48,919 (10.58)	20,894 (0.26)	53,212 (0.66)	3,96,108 (4.94)	80,20,490 (100)
वित्तीय वर्ष 21	71,35,144 (72.00)	8,96,526 (9.05)	1,00,301 (1.01)	13,32,652 (13.45)	20,894 (0.21)	72,893 (0.74)	3,51,133 (3.54)	99,09,543 (100)

31 मार्च 2021 को बकाया, ये एक वर्ष से कम के हैं




कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल आंतरिक ऋण का प्रतिशत दर्शाते हैं। 'अन्य' में विशेष प्रतिभूतियों के रूपांतरण में जारी बाजार प्रतिभूतियां, स्वर्ण मुद्राकरण योजना, संप्रभु स्वर्ण बांड, बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां आदि शामिल हैं।

जैसा कि तालिका 2.32 से देखा गया है, बाजार ऋण प्राथमिक घटक थे, जोकि वित्तीय वर्ष 21 में आंतरिक ऋण का 72.00 प्रतिशत था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 21 के दौरान इसका अनुपात लगातार 80.98 से घटकर 72.00 प्रतिशत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, पीएलआई और अन्य ऐसे घटक थे जिन्होंने वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में चालू वर्ष में आंतरिक ऋण के अनुपात में कमी देखी। दूसरी ओर, ट्रेजरी बिल और एनएसएसएफ ने वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में चालू वर्ष में आंतरिक ऋण के अनुपात में वृद्धि देखी और आंतरिक ऋण का क्रमशः 9.05 प्रतिशत और 13.45 प्रतिशत था। इसके अलावा, संघ सरकार का कुल आंतरिक ऋण वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में 23.55 प्रतिशत बढ़ा, इसमें पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक साल दर साल वृद्धि थी। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, बाजार ऋण, जो वित्तीय वर्ष 12 से वित्तीय वर्ष 20 के दौरान लगभग 29-31 प्रतिशत कम अथवा अधिक रहा था, वित्तीय वर्ष 21 में बढ़कर 36.03 प्रतिशत हो गया।

सात वर्षों के भीतर (31 दिसंबर 2027 तक) मोचन के लिए देय बाजार ऋण ₹27,89,739 करोड़ (बाजार ऋण का 39.10 प्रतिशत) था, जैसा कि ग्राफ 2.33 में दिखाया गया है।

ग्राफ 2.33: बाजार ऋणों की परिपक्वता रूपरेखा


(₹ करोड़ में)



वर्ष 2021 में, सबसे लंबी परिपक्वता अवधि के साथ अनुबंधित दिनांकित प्रतिभूतियां 40 वर्ष की थीं।

ग्राफ 2.34 एक से चालीस वर्ष तक की पूर्ण होने की अवधि वाले बाजार ऋणों की बकाया राशि को दर्शाता है। सबसे बड़ा भाग दस वर्ष की पूर्ण अवधि के बाजार ऋण का होता है, इसके बाद तीस साल की परिपक्वता के बाजार ऋण हैं।

ग्राफ 2.34: बाजार ऋण की परिपक्वता अवधि




ख. विदेशी कर्ज

ग्राफ 2.35 पिछले पांच वर्षों के लिए ऐतिहासिक विनिमय दरों और वर्तमान विनिमय दरों पर संघ सरकार के बाहरी ऋण को प्रस्तुत करता है।

ग्राफ 2.35: बाह्य ऋण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



ऐतिहासिक दर पर बाहरी ऋण की वृद्धि दर (मुद्रा दर जब ऋण शुरू में अनुबंधित किया गया था) वित्तीय वर्ष 21 में सबसे अधिक थी, जबकि वर्तमान दर (31 मार्च 2021 को संबंधित मुद्रा पर लागू) पर यह वित्तीय वर्ष 20 में सबसे अधिक थी।

तालिका 2.36 पिछले पांच वर्षों के लिए लोक ऋण प्राप्ति और चुकौती को दर्शाता है।

तालिका 2.36: लोक ऋण प्राप्ति और चुकौती

(₹ करोड़ में)

अवधि	आंतरिक ऋण की चुकौती और सर्विसिंग		बाहरी ऋण की चुकौती और सर्विसिंग		सार्वजनिक ऋण की कुल चुकौती और सर्विसिंग	सार्वजनिक ऋण की कुल प्राप्ति	कॉलम 6 से कॉलम 7 का प्रतिशत
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज			
1	2	3	4	5	6	7	8
वित्तीय वर्ष 17	56,52,628	4,48,928	26,195	5,144	61,32,895	61,34,137	99.98
वित्तीय वर्ष 18	58,45,919	4,87,527	26,685	5,951	63,66,082	65,54,002	97.13
वित्तीय वर्ष 19	60,34,206	5,33,265	30,739	8,150	66,06,360	67,58,482	97.75
वित्तीय वर्ष 20	62,92,658	5,78,186	33,891	9,420	69,14,155	73,01,387	94.70
वित्तीय वर्ष 21	61,49,920	6,44,829	34,715	8,204	68,37,668	81,62,910	83.77

तालिका 2.36 से, यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 20 के दौरान लोक ऋण की चुकौती और सर्विसिंग कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति का लगभग 95 से 100 प्रतिशत था, यह वित्तीय वर्ष 21 में घटकर 83.77 प्रतिशत हो गया।

2.7 राजकोषीय पैरामीटर

एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अनुसार, राजकोषीय घाटे का अर्थ है ऋण की चुकौती को छोड़कर एक वित्तीय वर्ष के दौरान, भारत की समेकित निधि से कुल संवितरण का आधिक्य, निधि में कुल प्राप्ति (ऋण प्राप्ति को छोड़कर) से अधिक। तालिका 2.37 में यूजीएफए के विवरण संख्या 1 में निहित जानकारी के आधार पर राजकोषीय घाटे की गणना की गई है।

तालिका 2.37: राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

व्यय	राशि	राजकोषीय पैरामीटर	प्राप्तियां	राशि
राजस्व व्यय	33,14,852	राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति	18,64,513
		14,50,339		
पूंजीगत व्यय	3,42,949		विविध पूंजी प्राप्ति	37,897
ऋण और अग्रिम	2,49,846		ऋण और अग्रिम की वसूली	29,923
कुल संवितरण	39,07,647	राजकोषीय घाटा	कुल गैर-ऋण प्राप्ति	19,32,333
		19,75,314		

राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण या तो अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक या बाहरी) द्वारा किया जाता है या लोक खाते से अधिशेष निधियों का उपयोग करके किया जाता है जैसा कि तालिका 2.38 में वर्णित है।

तालिका 2.38: वित्तीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत


(₹ करोड़ में)

अवधि	आंतरिक ऋण (शुद्ध)		बाह्य ऋण (शुद्ध)		लोक खाता (नेट)		कैश ड्रा डाउन		राजकोषीय घाटा
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	
वित्तीय वर्ष 17	4,37,317	81.32	17,997	3.35	91,381	16.99	-8,896	-	5,37,799
वित्तीय वर्ष 18	6,59,566	96.22	21,832	3.18	18	0.00	4,091	0.60	6,85,507
वित्तीय वर्ष 19	6,73,666	85.92	19,871	2.53	91,846	11.71	-1,321	-	7,84,062
वित्तीय वर्ष 20	9,45,549	91.70	29,290	2.84	51,317	4.98	4,970	0.48	10,31,126
वित्तीय वर्ष 21	18,89,052	95.63	89,223	4.52	4,227	0.21	-7,188	-	19,75,314

वित्तीय वर्ष 21 में जीएसटी मुआवजा उपकर में कमी की भरपाई के लिए संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों की ओर से ₹1,10,208 करोड़ का उधार लेना भी शामिल है, जो उन्हें एक के बाद एक ऋण के रूप में हस्तांतरित किया गया था। राजकोषीय घाटे को मुख्य रूप से शुद्ध आंतरिक ऋण से वित्तपोषित किया गया था, जिसकी वित्तीय वर्ष 21 में लगभग 95.63 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। वित्तीय वर्ष 21 में राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बाहरी ऋण की राशि में वृद्धि हुई। राजकोषीय घाटे के घटकों को ग्राफ 2.39 में दर्शाया गया है।

ग्राफ 2.39: राजकोषीय घाटे के घटक

(प्रतिशत में)



स्रोत: यू जी एफ ए वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 21 तक

वित्तीय वर्ष 21 में ₹19,75,314 करोड़ के राजकोषीय घाटे में से, ₹14,50,339 करोड़ राजस्व खाते में था, जिसमें वर्ष दर वर्ष 8.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 21 में शुद्ध पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी आधे से अधिक घट गई।

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 21 में राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए लिया गया बाजार उधार मुख्य रूप से राजस्व अंतर को भरने में चला गया क्योंकि राजस्व प्राप्तियां केंद्र सरकार के राजस्व व्यय से कम हो गईं। यह मुख्य रूप से अधिक खर्च और कोविड-19 महामारी के कारण कम राजस्व संग्रह के कारण था।

3

अध्याय

खातों की गुणवत्ता
और वित्तीय
रिपोर्टिंग प्रथा

3.1 परिचय

संघ सरकार के वित्त लेखों (यूजीएफए) में 16 विवरण हैं जो वर्ष के लिए संघ की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों, राजस्व और पूंजी लेखों द्वारा बताए गए वित्तीय परिणामों और लोक ऋण, देनदारियों और परिसंपत्तियों के लेखों को प्रस्तुत करते हैं।

यह अध्याय यूजीएफए में पूर्णता, पारदर्शिता, सटीकता और प्रकटीकरण के मुद्दों के संदर्भ में वित्तीय जानकारी की प्रस्तुति पर चर्चा करता है। संघ सरकार के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विशेषता दर्शाये जाने के बावजूद कुछ मुद्दे बने हुए हैं।

3.2 गारंटी

संविधान के अनुच्छेद 292 के तहत, भारत सरकार (भारत सरकार) ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटी दे सकती है, यदि कोई हो, जैसा कि संसद कानून के द्वारा तय कर सकती है। सितंबर 2010 में लाई गई मौजूदा गारंटी नीति, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के उधारों के लिए गारंटी प्रदान करती है।

विवरण 4 में गारंटी की अधिकतम राशि शामिल है जिसके लिए सरकार ने समझौते किए थे और वर्ष के अंत में बकाया गारंटीकृत राशि करोड़ रुपये में उल्लिखित है। 31 मार्च 2021 को विवरण (i) उधारों की अदायगी और उस पर ब्याज के भुगतान, (ii) शेयर पूंजी की चुकौती और न्यूनतम लाभांश के भुगतान, (iii) सरकारी कंपनियों/ निगमों, रेलवे, केन्द्र शासित प्रदेशों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों आदि की ओर से क्रेडिट आधार पर सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौते के प्रति भुगतान के लिये संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटी की स्थिति को दर्शाता है। ये गारंटी भारत की समेकित निधि में आकस्मिक देयता होती है।

लेखापरीक्षा द्वारा वित्त मंत्रालय (डीईए) के साथ-साथ संबंधित मंत्रालय स्तर पर गारंटी की विस्तृत संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला।

3.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं- एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड को दी गई गारंटियों का खुलासा न करना

अक्टूबर 2019 में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएचएल) द्वारा ₹14,985 करोड़ की राशि के भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए गए थे। विवरण तालिका 3.1 में दिखाया गया है।

तालिका 3.1: एआईएचएल को दी गई गारंटी

राशि (₹ करोड़ में)	जारी करने की तिथि	आरओआई %	चुकोती की तिथि	भारत सरकार की गारंटी	गारंटी डीड पर हस्ताक्षर किए
7000	14.10.2019	7.39	12.10.2029	आश्वासन पत्र	30.08.2019 को
7985	22.10.2019	7.39	22.10.2029	आश्वासन पत्र	30.08.2019 को

यह वित्तीय वर्ष 21 के विवरण 4 में नहीं दर्शाया गया था। विवरण 4 में एआईएचएल को दी गई गारंटी के गैर-चित्रण को स्वीकार करते हुए, नागरिक उड्यन मंत्रालय ने सूचित किया कि एमओएफ द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण पत्र/ आश्वासन में कुछ व्याख्या मुद्दों के कारण, गारंटी की सूचना नहीं दी गई थी। हालांकि, एआईएचएल द्वारा जुटाये गए उपरोक्त ₹14,985 करोड़ के लिए भारत सरकार की गारंटी वित्तीय वर्ष 22 की तिमाही के लिए दर्ज की गई थी।

3.2.2 विवरण 4 और सीपीएसई के रिकॉर्ड में दिखाई गई गारंटियों के बीच अंतर

सरकारी गारंटी नीति 2010 और जीएफआर 2017 के नियम 278 (iv) के अनुसार, भारत सरकार की गारंटी मूल राशि और सामान्य ब्याज को कवर करेगी। इन उधारदाताओं से सीपीएसई द्वारा लिए गए ऋणों की गारंटी के लिए संघ सरकार और संबंधित ऋणदाताओं (विश्व बैंक, एडीबी, जेआईसीए आदि) के बीच हस्ताक्षरित गारंटी समझौतों से ब्याज सहित मूलधन को कवर करने वाली सरकारी गारंटी का पता चला। तथापि, विद्युत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उपरोक्त प्रावधान का पालन नहीं किया गया था और मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त लेखों में ऋण की केवल बकाया मूल राशि को दर्शाया था।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 21 के लिए संघीय वित्त लेखों और नौ सीपीएसई के वार्षिक लेखों में दर्शाए गए बकाया गारंटी के आंकड़ों के बीच ₹81.09 करोड़ रुपये का अंतर था, जैसा कि अनुलग्नक-3.1 में वर्णित है। गारंटी शुल्क की सही गणना और प्रभार के लिए समाधान की आवश्यकता है।

3.2.3 गारंटी शुल्क से संबंधित मुद्दे

जी एफ आर 2017 के नियम 279 में प्रावधान है कि गारंटी शुल्क की दरें बजट प्रभाग, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), एमओएफ द्वारा अधिसूचित के अनुसार होंगी। गारंटी शुल्क गारंटी देने से पहले और उसके बाद हर साल पहली अप्रैल को लगाया जाना चाहिए। गारंटी शुल्क की दर गारंटी वर्ष की शुरुआत में बकाया राशि पर लागू की जानी है। जहां देय तिथि पर गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, चूक की अवधि के लिए सामान्य दरों से दोगुना शुल्क लिया जाना चाहिए। सरकारी गारंटी नीति (सितंबर 2010) के अनुसार, बाहरी उधारों के संबंध में भी मूलधन और ब्याज की बकाया राशि पर गारंटी शुल्क लगाया जाना है। बाहरी फंडिंग एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच हस्ताक्षरित और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों के मामले में, गारंटी शुल्क संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के पास जमा करना आवश्यक है।

गारंटी शुल्क के संग्रहण के साथ-साथ शास्ति के उद्ग्रहण के संदर्भ में नमूना जांच किये गये मंत्रालयों की समीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

क. गारंटी शुल्क की गैर/ कम वसूली

वित्तीय वर्ष 21 के दौरान तीन मंत्रालयों/ विभागों से ₹2,065.09 करोड़ की गारंटी शुल्क प्राप्त किया जा सकता था, हालांकि इन मंत्रालयों/ विभागों से गारंटी के प्रति गारंटी शुल्क के केवल ₹11 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे, जैसा कि तालिका 3.2 में वर्णित है।

तालिका 3.2: गारंटी शुल्क की गैर/ कम वसूली

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/ विभाग	प्राप्य शुल्क	शुल्क प्राप्त हुआ	गारंटी शुल्क की वसूली न होना
1	औषधि विभाग	91.94	0.00	91.94
2	रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग	17.00	8.50	8.50
3	नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय	1,956.15	2.50	1,953.65
	कुल	2,065.09	11.00	2,054.09

यह भी देखा गया कि आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने वित्तीय वर्ष 21 में वित्तीय वर्ष

20 से संबंधित ₹19.90 करोड़ की गारंटी शुल्क का भुगतान शास्ति भुगतान के बिना किया।

बजट प्रभाग, एमओएफ ने उत्तर दिया कि रसायन और पेट्रो रसायन विभाग और एमएमआरडीए ने शास्ति शुल्क की माफी के लिए अनुरोध किया था, जबकि अन्य दो मंत्रालयों-नागरिक उड्डयन और पर्यटन, और फार्मास्यूटिकल्स से बकाया गारंटी शुल्क की वसूली के लिए पत्र जारी किया गया था।

ख. भारत सरकार के निर्देशों से गारंटी समझौतों में विचलन

जीएफआर 2017 के नियम 279(2) के अनुसार, गारंटी शुल्क गारंटी देने से पहले और उसके बाद हर साल पहली अप्रैल को लगाया जाना चाहिए। गारंटी शुल्क की दर गारंटी वर्ष की शुरुआत में बकाया राशि पर लागू की जाती है। इसके अलावा, नियम 278 (iv) के अनुसार, भारत सरकार की गारंटी केवल मूल राशि और सामान्य ब्याज को कवर करेगी। विनिमय दर जोखिम सहित अन्य सभी जोखिम ऋण समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच साझा किए जाएंगे।

विद्युत मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए गारंटी समझौतों की समीक्षा में, यह पाया गया कि कुछ गारंटी समझौतों में, उधारकर्ताओं के भुगतान दायित्व की शर्तें उपरोक्त नियमों के अनुसार नहीं थीं, जो निम्नानुसार हैं।

तालिका 3.3 गारंटी समझौतों में भिन्नता

क्र. स.	सीपीएसई	ऋण राशि (लाखों में)	ऋणदाता	गारंटी समझौते की तारीख	भुगतान की शर्तें संबंधित गारंटी/ काउंटर गारंटी समझौते के अनुसार उधारकर्ता के लिए दायित्व
1	पीजीसीआईएल	172.26 एफएफ	फ्रांसीसी गणराज्य का सरकार	12-01-2021	उधारकर्ता पिछले वित्तीय वर्ष के पूरा होने के एक महीने के भीतर गारंटी शुल्क का भुगतान करने का वचन देता है।
2	पीजीसीआईएल	8,497 येन	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक (जेबीआईसी)	12-01-2021	यह जीएफआर 2017 के नियम 279(2) के भिन्नता में है, जो हर साल पहली अप्रैल को गारंटी शुल्क लगाने का प्रावधान करता है।
3	एनटीपीसी	19,817 येन		16-02-2021	
4	एनटीपीसी	12,194 येन		16-02-2021	
5	एनटीपीसी	27,473 येन		16-02-2021	
6	एनटीपीसी	5,684 येन		16-02-2021	
7	पीजीसीआईएल	400 अमरीकी डालर	एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	18-04-2006	जीएफआर के अनुसार 01 अप्रैल के बजाय प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को या उससे पहले गारंटी शुल्क का भुगतान करने का वचन उधारकर्ता देता है।
8	पीजीसीआईएल	250 अमरीकी डालर		18-04-2006	
9	पीएफसी	150 अमरीकी डालर		16-05-2005	

जीएफआर के प्रावधानों के आलोक में उपरोक्त समझौतों की समीक्षा की जा सकती है।

3.2.4 गारंटियों का दस्तावेजीकरण और वार्षिक समीक्षा

जीएफआर 2017 के नियम 281(1) में प्रावधान है कि मंत्रालयों/ विभागों के वित्तीय सलाहकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष सभी गारंटियों की समीक्षा की जाए और बजट प्रभाग, वित्त मंत्रालय को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

इसके अलावा, जीएफआर 2017 के नियम 281 (2) और (3) के अनुसार, संबंधित मंत्रालय को (i) गारंटियों का रिकॉर्ड रखने चाहिए: (ii) गारंटियों के संबंध में समय-समय पर अपेक्षित जानकारी रखने (iii) यह देखने के लिए कि ये नियमित रूप से की जाती हैं, वार्षिक समीक्षाओं का रिकॉर्ड रखने और (iv) प्रत्येक वर्ष विधिवत अद्यतन प्रपत्र जीएफआर 25 में निहित डेटा को डीईए, एमओएफ के बजट प्रभाग को भेजने के लिए फॉर्म 25 में गारंटियों का एक रजिस्टर रखना चाहिए।

हालांकि, नमूना जांच किए गए मंत्रालयों/ विभागों⁸ में, लेखापरीक्षा ने पाया कि न तो गारंटियों की समीक्षा नियमित रूप से की गई थी, न ही रिकॉर्ड जैसे कि फॉर्म जीएफआर 25 और/ या फॉर्म जीएफआर 26 में गारंटियों के रजिस्टर जोकि इकाई के प्रचालन मानकों से संबंधित हैं जिनके लिए ऐसी गारंटी जारी की गई थी/ जारी की जानी थी संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के प्रधान लेखांकन कार्यालयों द्वारा रख-रखाव होना चाहिए। इसके कारण, सरकारी गारंटी के जोड़ और विलोपन के आंकड़ों की सटीकता, जैसा कि यूजीएफए के विवरण 4 में सूचित किया गया था, लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.3 विभिन्न संस्थाओं में सरकारी निवेश

संघ सरकार के वित्तलेखों का विवरण 11 सांविधिक निगमों, कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, कौपरेटिव बैंक और सोसायटी आदि में निवेश, विनिवेश, शेयरों के प्रकार, शेयर का अंकित मूल्य, सरकारी हिस्सेदारी और लाभांश आदि का प्रतिशत दर्शाता है।

⁸ विदेश मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और विद्युत मंत्रालय

वित्तीय वर्ष 21 के लिए विवरण की संवीक्षा में संबंधित संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं। संघ सरकार के निवेशों को सही ढंग से दर्शाने के लिए इन विसंगतियों का समाधान किया जा सकता है।

3.3.1 आंकड़ों का बेमेल होना

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), एमओएफ द्वारा प्रस्तुत किए गए विनिवेश विवरण में असंतुलन था और जैसा कि तालिका 3.4 में विवरण के अनुसार विवरण 11 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: विनिवेश के आंकड़ों का असंतुलन होना

(₹ करोड़ में)

इकाई	दीपम के अनुसार विनिवेश	विवरण 11 के अनुसार विनिवेश
टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (विदेश संचार निगम लिमिटेड)	74.45	0
मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	30.30	0

इस प्रकार, तालिका 3.4 में दर्शाई गई सीमा तक, वित्तीय वर्ष 21 के लिए यूजीएफए का विवरण 11 अधूरा था क्योंकि विनिवेश की गई राशि प्रतिबिंबित नहीं हुई थी।

विवरण 11 और सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट की जानकारी में विसंगतियाँ

विवरण 11 के प्रति सत्यापन से कुल निवेशित राशि, इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर होल्डिंग के प्रतिशत में विसंगतियों के 31 उदाहरण सामने आए, जैसा कि अनुलग्नक 3.2 में वर्णित है।

संस्थाओं का वर्गीकरण

संघ सरकार ने तीन संस्थाओं के संबंध में अपनी हिस्सेदारी को पूरी तरह से कम कर दिया था जैसा कि तालिका 3.5 में बताया गया है, लेकिन ये अभी भी विवरण 11 में परिलक्षित होते हैं।

तालिका 3.5: विवरण 11 में संस्थाओं का वर्गीकरण

क्र.सं.	इकाई	अवलोकन	उत्तर
1	उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, शिलांग	संघ सरकार ने वित्तीय वर्ष 20 में अपनी सारी हिस्सेदारी एनटीपीसी को बेच दी।	सीजीए कार्यालय ने बताया (अगस्त 2021) कि संबंधित मंत्रालय द्वारा भी तक उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में विनिवेश का लेखा समायोजन नहीं किया गया है। उक्त विनिवेश के लिए अपेक्षित पीपीए ⁹

⁹ पूर्व अवधि समायोजन

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

क्र.सं.	इकाई	अवलोकन	उत्तर
2	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संघ सरकार ने वित्तीय वर्ष 20 में अपनी सारी हिस्सेदारी एनटीपीसी को बेच दी।	प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। इसकी प्राप्ति के बाद लेखों को अपडेट किया जाएगा।
3	टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड	भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 21 में बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से अपनी सारी हिस्सेदारी बेच दी।	सीजीए के कार्यालय ने कहा (अगस्त 2021) कि वित्तीय वर्ष 21 के लिए वित्त लेखों में सुधार किया जाएगा। लेकिन, कोई सुधार नजर नहीं आया।

इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि 21 संस्थाओं के मामले में भारत सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, लेकिन इन संस्थाओं को गलत तरीके से संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। संस्थाओं का विवरण **अनुलग्नक 3.3** में दर्शाया गया है।

3.3.2 संस्थाओं का नामकरण

क. नवम्बर 2015 में भारत भारी उद्योग लिमिटेड का नाम बदलकर ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड कर दिया गया, लेकिन संस्था का नाम अभी भी भारत भारी उद्योग लिमिटेड के रूप में दिखाया जा रहा था।

ख. फरवरी 1989 में नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड का नाम बदलकर नेपा लिमिटेड कर दिया गया। हालांकि, पुराना नाम अभी भी दर्शाया जा रहा था।

उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में, संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के उत्तर प्रतिक्षित थे (अगस्त 2022)।

ग. मार्च 2018 में हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड का नाम बदलकर एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड कर दिया गया। हालांकि, विवरण 11 में संस्था का नाम नहीं बदला गया था।

इस संबंध में, विभाग ने अशुद्धि की पुष्टि (नवंबर 2021) की, लेकिन विसंगति को अभी तक ठीक नहीं किया गया था।

3.3.3 विवरण 11 में अन्य विसंगतियां

मंत्रालय के विवरण 11 की संवीक्षा में निम्नलिखित विसंगतियां सामने आईं:

तालिका 3.6: विवरण 11 में अन्य विसंगतियां

क्र.सं.	इकाई का नाम	विसंगति
1	सागरमाला विकास निगम लिमिटेड	जहाजरानी मंत्रालय ने सागरमाला विकास निगम लिमिटेड में ₹100 करोड़ का निवेश किया था, लेकिन विवरण 11 में, निवेश को ₹200 करोड़ के रूप में गलत तरीके से दिखाया गया था। मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय (पीआरएओ) ने कहा (नवंबर 2021) कि निवेश की सही राशि को दर्शाने वाले विवरण 11 की एक संशोधित प्रति सूचित की जाएगी, लेकिन सुधार किया जाना बाकी था।
2	दामोदर घाटी निगम	केन्द्र सरकार ने दामोदर घाटी निगम में 31 मार्च 2021 तक 35.04 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ ₹1,820.67 करोड़ का निवेश किया था। तथापि, निगम का नाम संघ सरकार के वित्त लेखों में नहीं दर्शाया गया था। विद्युत मंत्रालय के सीसीए के कार्यालय ने कहा (दिसंबर 2021) कि उसने संघीय वित्त लेखा के विवरण-11 में निवेश के चित्रण के संबंध में सलाह के लिए सीजीए कार्यालय से अनुरोध किया है। हालांकि, ऐसा ही किया जाना बाकी था।
3	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी)	वित्तीय वर्ष 21 के विवरण 11 के टिप्पणी कॉलम में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के शेयरों के संबंध में ₹104.50 करोड़ इक्विटी से हस्तांतरण किए गए थे और इनका निपटान किया जाना था। इसके अलावा, एक फुटनोट के माध्यम से यह खुलासा किया गया था कि वित्तीय वर्ष 16 के दौरान ₹104.50 करोड़ की राशि को डीएमआरटीएस चरण-II परियोजना की संशोधित पूर्णता लागत के लिए भूमि और केन्द्रीय करों हेतु ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण में हस्तांतरित कर दिया गया था, जिसका निपटान किया जाना बाकी था। इसके जवाब में प्रधान एओ, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2021) कि संबंधित प्रभागों से अपेक्षित दस्तावेज/ सूचना अभी भी लंबित थी और मामले में आगे की कार्रवाई पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद ही की जा सकती थी।
4	राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार योजना	वर्ष के दौरान शेयरों के प्रकार और संख्या, प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य, कुल प्रदत्त पूंजी में सरकार के निवेश का प्रतिशत और सरकार के प्राप्त और क्रेडिट किये गये लाभांश/ ब्याज की राशि के बारे में जानकारी यूजीएफ में नहीं दर्शाई गई थी।
5	इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, डीईए, एमओएफ ने कहा कि संबंधित पीएओ से विवरण मांगा गया था और यह प्राप्त होने पर विवरण 11 में शामिल किया जाएगा।
6	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	उद्योग मंत्रालय की संख्या "लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया" का नाम विनियोग लेखों के अनुलग्नक ग में "निधियों की निधि" के रूप में दिखाया गया था। उत्तर में, सीजीए प्राधिकारियों (दिसंबर 2021) ने कहा कि उपक्रम के नाम के संबंध में उद्योग मंत्रालय के साथ पत्राचार किया गया था और उत्तर प्रतीक्षित था।

3.3.4 लाभांश से संबंधित मुद्दे

क. लाभांश के भुगतान में कमी

दीपम (मई 2016) द्वारा जारी सीपीएसई के पूंजीगत पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों के पैरा 5.2 के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 30 प्रतिशत या निवल मूल्य का पांच प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगा जो भी हो

उच्चतर है यह मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन होगा। इसके अलावा, पैरा 5.3 अन्य बातों के साथ-साथ यह बताता है कि सीपीएसई से अपेक्षा की जाती है कि वे उस अधिनियम के तहत अधिकतम लाभांश का भुगतान करें जिसके तहत सीपीएसई की स्थापना की गई है, जब तक कि भुगतान किए जाने के लिए प्रस्तावित कम लाभांश को सीपीएसई के निवल मूल्य के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण के बाद उचित न बताया गया है। इसकी क्षमता प्रशासनिक मंत्रालय के स्तर पर लंबी अवधि का उधार लेने के लिये है। छूट के लिए रिपोर्ट सीपीएसई द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से सचिव, डीईए और सचिव, दीपम को प्रस्तुत की जानी है।

नवंबर 2020 में दीपम ने उपरोक्त को दोहराया और सीपीएसई लाभप्रदता, कैपेक्स आवश्यकताओं और नकद भंडार जैसे कारकों के अधीन उच्च लाभांश का भुगतान करने का प्रयास करने की सलाह दी।

सीपीएसई के वार्षिक लेखों के साथ इस्पात मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के संबंध में विवरण 11 की संवीक्षा से पता चला कि निम्नलिखित संस्थाओं ने वित्तीय वर्ष 20 के लिए या तो कम भुगतान किया या लाभांश का भुगतान नहीं किया, जैसा कि तालिका 3.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: लाभांश का कम भुगतान

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय	सीपीएसई	वित्तीय वर्ष 20 के लिए कर पश्चात लाभ	कुल मूल्य	घोषित किया जाने वाला न्यूनतम लाभांश	भारत सरकार की शेयर होल्डिंग की %	वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार को देय लाभांश	वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश का भुगतान	लाभांश के भुगतान में कमी
इस्पात मंत्रालय	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), नई दिल्ली	2,021.54	39,777.38	1,988.87	75	1,491.65	शून्य	1,491.65
विद्युत मंत्रालय	एनटीपीसी लिमिटेड	10,112.81	1,13,569.44	5,678.47	51.02	2,897.16	1,590.15*	1,307.01

* ₹252.40 करोड़ और ₹1,337.75 करोड़ का भुगतान क्रमशः वित्तीय वर्ष 20 और वित्तीय वर्ष 21 के दौरान किया गया।

इंगित किए जाने पर, इस्पात मंत्रालय ने उत्तर दिया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने छूट के लिए अनुरोध किया था और इस्पात मंत्रालय ने भी इस मामले को दीपम के साथ उठाया था।

इसी तरह, प्रधान लेखा कार्यालय, विद्युत मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2021) कि लाभांश में कमी मुख्य रूप से एनटीपीसी के नीपको और टीएचडीसी में भारत सरकार की शेयरधारिता के अधिग्रहण (सीसीईए¹⁰ के निर्णय के अनुसार) के कारण थी और एनटीपीसी के अनुरोध को मंत्रालय द्वारा अग्रेषित किया गया था। वित्तीय वर्ष 20 में देय लाभांश की पूरी राशि के भुगतान से छूट के लिए जनवरी 2020 में डीईए और दीपम को विद्युत मंत्रालय द्वारा एनटीपीसी का अनुरोध अग्रेषित किया गया था।

तथापि, प्रधान लेखा अधिकारी के उत्तर में दीपम द्वारा एनटीपीसी की छूट के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया था।

3.4 बकाया उचंत शेष

वर्ष के लिए संघीय वित्त लेखों की सटीकता उचंत और विविध शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण शेष राशि लगातार बने रहने से प्रभावित होती है इनमें अंतिम वर्गीकरण और निपटान होना था तथा प्रतिकूल शेष ऋण, जमा और प्रेषण शीर्षों के तहत थे।

उचंत शीर्ष सरकारी लेखों में लेनदेन को दर्शाने के लिए संचालित किए जाते हैं जिन्हें उचित विवरण न होने पर लेखों के अंतिम शीर्ष पर दर्ज नहीं किया जा सकता है। लेखों के इन शीर्षों को अंततः ऋण डेबिट या ऋण क्रेडिट द्वारा समाशोधित किया जाता है जब उनके अंतर्गत राशि उनके संबंधित अंतिम लेखों के शीर्षों में दर्ज की जाती है। यदि इन राशियों को समायोजित नहीं किया जाता है, तो उचंत शीर्षों के अंतर्गत शेष जमा हो जाते हैं और लेखे सरकारी प्राप्तियों, व्यय और नकद शेष की गलत तस्वीर पेश करते हैं।

सिविल लेखा नियमावली (सीएएम) के नियम 5.10 के अनुसार, उचंत शेष के लिए खाता बही उप/ विस्तृत शीर्ष-वार, जैसा आवश्यक हो सकता है वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा रखा जाना है तथा यह पीएओ द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए लघु शीर्ष वार आंकड़ों पर आधारित है। संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय के मुख्य लेखा नियंत्रक को उचंत शेष की समीक्षा करने और निगरानी उद्देश्यों के लिए सीजीए को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। तथापि, सीजीए उचंत लघु शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का वर्ष-वार विवरण नहीं रखता है जिससे ऐसे शेषों के निपटान की निगरानी में बाधा उत्पन्न होती है।

¹⁰ सीसीईए- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति

उचंत और विविध के अंतर्गत शेषों की विस्तृत संवीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

3.4.1 उचंत शेष राशि की नेटिंग

प्राप्तियां और भुगतान जिन्हें आवश्यक जानकारी/ विवरणों के अभाव में लेखों के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है, को क्रमशः उचंत शीर्षों के अंतर्गत क्रेडिट और डेबिट के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। आवश्यक विवरण उपलब्ध होने के बाद क्रेडिट और डेबिट का निपटान माइनस क्रेडिट या माइनस डेबिट द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, प्रत्येक उचंत शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि की एक सटीक तस्वीर देने के लिए क्रेडिट और डेबिट मदों का लेखाबद्ध करना और लेखों में अलग-अलग दिखाना आवश्यक है। वास्तविक उचंत शेष डेबिट और क्रेडिट के तहत उचंत का योग है, उचंत शेष का नेटिंग बकाया उचंत को डेबिट और क्रेडिट उचंत के निचले हिस्से तक कम कर देता है।

विवरण 13, तथापि, उचंत शीर्षों के अंतर्गत केवल निवल शेष को दर्शाता है और इसलिए इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का वास्तविक परिमाण की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत संघ सरकार के लेखों में नहीं की जाती है। पिछले तीन वर्षों के लिए सिविल मंत्रालयों (मुख्य शीर्ष-8658) के संबंध में मुख्य उचंत शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक उचंत शेष की स्थिति, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा परिकल्पित किया गया है, तालिका 3.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: उचंत शेष राशि की नेटिंग

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	वित्तीय वर्ष 19		वित्तीय वर्ष 20		वित्तीय वर्ष 21		वित्तीय वर्ष 21 में नेटिंग के कारण प्रतिशतता में कमी
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	
101 पीएओ उचंत	2,650.67	713.16	11,098.27	478.27	3,920.62	731.42	31.45%
यूजीएफए में दिखाया गया शेष	1,937.51	(डेबिट)	10,620	(डेबिट)	3,189.20	(डेबिट)	
वास्तविक शेष		3,363.83		11,576.54		4,652.04	
102 उचंत खाता (सिविल)	1,140.57	402.86	1,179.60	638.19	1,182.74	1000.24	91.64%
यूजीएफए में दिखाया गया शेष	737.71	(डेबिट)	541.41	(डेबिट)	182.50	(डेबिट)	
वास्तविक शेष		1,543.43		1,817.79		2,182.98	
107 नकद निपटान उचंत खाता शेष	429.76	45.69	487.31	45.69	683.73	45.69	12.53%
यूजीएफए में दिखाया गया शेष	384.07	(डेबिट)	441.61	(डेबिट)	638.04	(डेबिट)	
वास्तविक शेष		475.45		533.00		729.42	
108 पीएसबी उचंत	15,978.79	2,286.75	16,914.60	3,646.16	10,397.65	4,309.04	58.60%
यूजीएफए में दिखाया गया शेष	13,692.04	(डेबिट)	13,268.44	(डेबिट)	6,088.61	(डेबिट)	

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

शीर्ष	वित्तीय वर्ष 19		वित्तीय वर्ष 20		वित्तीय वर्ष 21		वित्तीय वर्ष 21 में नेटिंग के कारण प्रतिशतता में कमी
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	
वास्तविक शेष	18,265.54		20,560.76		14,706.69		
109 रिजर्व बैंक उचंत मुख्यालय	12.27	185.07	12.08	185.07	12.16	185.07	12.33%
यूजीएफए में दिखाया गया शेष	172.8 (क्रेडिट)		172.99 (क्रेडिट)		172.91 (क्रेडिट)		
वास्तविक शेष	197.34		197.15		197.23		
110 रिजर्व बैंक उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय	3,010.13	2,041.09	378.66	1,743.39	71.10	4,543.23	3.08%
यूजीएफए में दिखाया गया शेष	969.04 (क्रेडिट)		-1,364.73 (क्रेडिट)		4,472.13 (क्रेडिट)		
वास्तविक शेष	5,051.22		2,122.05		5,254.25		
129 सामग्री खरीद निपटान उचंत खाता	210.66	60.78	214.11	60.78	214.08	60.78	44.23%
यूजीएफए में दिखाया गया शेष	149.88 (क्रेडिट)		153.33 (क्रेडिट)		153.30 (क्रेडिट)		
वास्तविक शेष	271.44		274.89		274.86		
138 अन्य नामित बैंक निजी क्षेत्र के बैंक 1939 युद्ध से जुड़े उचंत लेनदेन	1,005.85	409.48	1,889.63	391.80	2,558.17	533.51	34.51%
यूजीएफए में दिखाया गया शेष	596.37 (डेबिट)		1,497.83 (डेबिट)		2,024.66 (डेबिट)		
वास्तविक शेष	1,415.33		2,281.43		3,091.68		

इस प्रकार, 102 उचंत लेखा (सिविल), 108 पीएसबी उचंत, और 129 सामग्री खरीद निपटान उचंत खाता के तहत शेष के मामलों में क्रेडिट और डेबिट शेष की नेटिंग के कारण काफी कम बताया गया था।

सीजीए ने कहा (अक्टूबर 2021) कि अगले वर्ष से, डेबिट और क्रेडिट को अलग-अलग दिखाया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक नियंत्रक के लिए डेबिट और क्रेडिट दोनों उचंत प्रवाह उपलब्ध थे। लघु शीर्ष के लिए, क्रेडिट के तहत अथशेष (ओबी) को शून्य माना जाएगा यदि वित्तीय वर्ष 21 के अंत में अंतशेष (सीबी) डेबिट था और इसके विपरीत, और फिर डेबिट शेष को ओबी डेबिट और क्रेडिट शेष में सीबी क्रेडिट और डेबिट पर प्राप्त करने के लिए ओबी क्रेडिट के लिए जोड़ा जाएगा।

3.4.2 उचंत शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि का संचय

क. पीएसबी उचंत

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। जब सरकारी विभागों को पीएसबी को दिए गए निर्देशों के प्रति किए गए भुगतान का विवरण प्राप्त होता है, तो लेनदेन को शुरू में पीएसबी उचंत के प्रति

क्रेडिट एंट्री के रूप में दर्ज किया जाता है। पीएसबी उचंत के इस क्रेडिट का निपटान रिजर्व बैंक डिपॉजिट्स (आरबीडी) शीर्ष में कॉन्ट्रा क्रेडिट द्वारा किया जाता है, जब आरबीआई सरकारी खाते से राशि डेबिट करता है। इसी तरह, पीएसबी से प्राप्तियों की सूचना प्राप्त करने के बाद, संबंधित सरकारी विभाग पीएसबी उचंत को डेबिट कर देता है। जब आरबीआई सरकारी खाते में राशि जमा करता है तो पीएसबी उचंत के इस डेबिट को आरबीडी शीर्ष में कॉन्ट्रा डेबिट द्वारा मंजूरी दे दी जाती है। पीएसबी उचंत को समय पर ढंग से निपटान करने में विफलता के परिणामस्वरूप सरकारी बही में आरबीआई के पास उसके नकद शेष का गलत चित्रण होता है।

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया पीएसबी शेष राशि ₹10,397.65 करोड़ (डेबिट) और ₹4,309.04 करोड़ (क्रेडिट) हो गई। मार्च 2021 के अंत में ₹14,706.69 करोड़ की कुल शेष राशि का निपटान करने की आवश्यकता थी।

केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) ₹3,844.01 करोड़ (डेबिट), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (व्यय) ₹3,313.34 करोड़ (क्रेडिट), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ₹1,101.01 करोड़ (डेबिट), सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (सीबीईसी) ₹631.59 करोड़ (डेबिट), और उच्च शिक्षा ₹114.84 करोड़ (डेबिट), विभागों के प्रति मुख्य शेष बकाया थे।

ख. रिजर्व बैंक उचंत, केंद्रीय लेखा कार्यालय

यह लघु शीर्ष राज्य सरकारों को ऋण, सहायता अनुदान, आयकर के हिस्से और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के हिस्से के भुगतान के लिए संघ सरकार की बही खाते में संचालित होते हैं। जब भुगतान अधिकृत हो जाता है तो संबंधित व्यय शीर्ष को डेबिट कर दिया जाता है और इस उचंत शीर्ष में क्रेडिट कर दिया जाता है। संघ सरकार के लेखों को समायोजित करने वाले आरबीआई से लेखों का मासिक विवरण प्राप्त होने पर, एमएच 8658-उचंत लेखा - 110-रिजर्व बैंक सस्पेंस सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस माइनस क्रेडिट द्वारा निपटान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ऋण की अदायगी और उस पर ब्याज के भुगतान के समय, इस उचंत शीर्ष को ऋण/ ब्याज शीर्ष जमा करके डेबिट किया जाता है। आरबीआई सेंट्रल अकाउंट्स सेक्शन (सीएस), नागपुर से लेखों का मासिक विवरण प्राप्त होने पर, एमएच 8675-डिपॉजिट्स विद आरबीआई-101- सेंट्रल सिविल के कॉन्ट्रा डेबिट द्वारा माइनस डेबिट प्रभावित होता है।

31 मार्च 2021 को इस लघु शीर्ष के तहत बकाया राशि ₹71.10 करोड़ (डेबिट) और ₹4,543.23 करोड़ (क्रेडिट) थी, जिसमें मार्च 2021 के अंत तक ₹4,614.33 करोड़ की कुल शेष राशि का भुगतान किया जाना था। बकाया आरबीआई (सीएओ) उचंत शेष मुख्य रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय ₹1,535.44 करोड़ (क्रेडिट), व्यय विभाग, एमओएफ ₹925.59 करोड़ (क्रेडिट), स्कूल शिक्षा और साक्षरता ₹610.28 करोड़ (क्रेडिट) राजस्व विभाग, एमओएफ ₹539.08 करोड़ (क्रेडिट) शिपिंग मंत्रालय ₹367.99 करोड़ (क्रेडिट) के प्रति थे।

इस प्रकार, लेखों में बड़े उचंत शेष के संचय के कारण संघ सरकार के खातों में नकद शेष राशि की स्थिति बेमेल हो गई जैसा कि वित्त लेखों में दर्शाया गया है। इसने लेखों की शुद्धता को भी संबंधित वर्षों में दर्ज नहीं किए गए व्यय की सीमा तक विकृत कर दिया है।

ग. विदेश में खरीदारी के लिए उचंत खाते

लघु शीर्ष विदेश में खरीद के लिए उचंत लेखे को नियंत्रक सहायता, लेखा व लेखापरीक्षा एमओएफ के खातों में संचालित किया जाता है। सरकार दाताओं को सलाह देती है कि वे भारत में परियोजना प्राधिकरणों/ आयातकों को की गई आपूर्तियों के प्रति विदेशों में पूर्तिकर्ताओं को सीधे भुगतान करें और संबंधित मंत्रालयों/ आयातकों से भुगतान प्राप्त होने तक समान राशि को उचंत शीर्ष के अंतर्गत रखा जाये। इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट शेष, आयातकों/ परियोजना प्राधिकारियों से बकाया वसूली को इंगित करता है, भले ही सरकार ने इन आयातों के लिए पहले ही भुगतान कर दिया हो।

31 मार्च 2021 तक ₹8,032.12 करोड़ (डेबिट) की राशि उचंत में पड़ी थी। 31 मार्च 2021 को मुख्य ऋणी ₹8,032.10 करोड़ (डेबिट) के शेष के साथ सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा था। उचंत मदों का निरंतर अस्तित्व यूजीएफए के विवरण 14 में बाह्य ऋण की प्रस्तुति को प्रभावित करता है।

प्रत्युत्तर में, यह कहा गया कि सीजीए कार्यालय नियमित रूप से सभी मंत्रालयों/ विभागों को उचंत शेष को समाप्त करने के लिए लिखता है। उचंत शेष की प्रगति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बैठकें भी की जाती हैं।

सीजीए का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मुख्य उचंत शीर्ष जैसे विदेश में खरीद के लिए उचंत लेखों (8658-115) के अंतर्गत बकाया राशि में 110.70 प्रतिशत और रिजर्व बैंक

उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय 8658-110 में 117.45 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई थी और पिछले वर्ष की शेष राशि के निपटान के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

3.4.3 रक्षा लेखा के उचंत शीर्षों का परिचालन

सीजीए कार्यालय ने रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) के कार्यालय को सूचित किया (जून 2021) कि 8658 उचंत खातों के सभी लघु शीर्षों के तहत की गई बुकिंग डेबिट और क्रेडिट दोनों को जेई का प्रस्ताव देकर मंजूरी दी जा सकती है क्योंकि यह शीर्ष रक्षा मंत्रालय द्वारा दर्ज करने के लिए अधिकृत नहीं है।

रक्षा मंत्रालय के वित्त लेखाओं के विवरण 5 और 13 की संवीक्षा से पता चला कि ₹50.76 करोड़ का बकाया अंत शेष अभी भी मुख्य शीर्ष 8658-उचंत खातों के तहत दर्शाया गया था।

इसके अलावा, विवरण 13 (एमएच 8659- उचंत लेखा (रक्षा) की जांच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 21 के लिए, ₹6,928 करोड़ (डीआर ₹6,913 करोड़, सीआर ₹15 करोड़) की राशि लंबित मंजूरी के लिए उचंत में पड़ी थी।

अपने उत्तर में, सीजीडीए के कार्यालय ने कहा है कि पीएफएमएस पोर्टल में मुख्य शीर्ष 8659 की अनुपलब्धता के कारण, लेनदेन मुख्य शीर्ष 8658 के तहत दर्ज किये गये थे। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य शीर्ष 8659 के तहत उचंत का संचय और निपटान एक सतत प्रक्रिया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹17,970 करोड़ के उचंत शेष राशि की मंजूरी दी गई थी।

3.4.4 'चेक और बिल' शीर्ष के तहत बकाया राशि

मंत्रालय/ विभाग द्वारा जारी किए गए चेक की राशि/ इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस के लिए चेक और बिल शीर्ष, पीएसबी उचंत और 'रिजर्व बैंक के साथ जमा' शीर्ष जारी किये गए चेक/ इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस के प्रति बैंकों में होने वाले लेनदेन को दर्शाते हैं। चेक और बिल के तहत बकाया शेष चेक/ एडवाइस को दर्शाते हैं जिनके प्रति भुगतान नहीं किया गया है। चैको और बिलों के अंतर्गत जारी बकाया शेष, सरकार की बही में वास्तविक रोकड़ शेष को नहीं दर्शाते हैं।

जब पीएओ/ विभागीय अधिकारी को उपयुक्त बिल फॉर्म में दावे भेजे जाते हैं तो भुगतान को निर्धारित चेक और भुगतान आदेश की रिकॉर्डिंग के बाद चेक जारी करने

के माध्यम से अधिकृत किया जाता है। प्रत्येक महीने के अंत में मुख्य शीर्ष 8670 - चैक और बिल को महीने के दौरान वितरित किए गए चैक की कुल राशि से जमा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ (सीएस) आरबीआई, नागपुर से दिनांक-वार मासिक विवरण (डीएमएस/ शेष का मासिक विवरण प्राप्त होने पर, जारी किए गए चैक के प्रति उनके द्वारा किए गए भुगतान को दर्शाते हुए, शीर्ष 8670-चैक और बिल माइनस क्रेडिट किया जाता है और उचंत शीर्ष 8658.108-पीएसबी उचंत या 8675.101-आरबीआई - सेंट्रल सिविल के साथ जमा को क्रेडिट किया जाता है।

विवरण 13 की संवीक्षा से पता चला कि मार्च 2021 के अंत तक ₹55,124.08 करोड़ की राशि के चैक और बिल बकाया थे, जैसा कि तालिका 3.9 में दिखाया गया है। इसके अलावा, मुख्य शीर्ष चैक और बिल की प्रकृति और नामकरण के अनुसार, इस शीर्ष के तहत शेष राशि जमा रहनी चाहिए। इसके विपरीत, लघु शीर्ष 'ट्रेजरी चैक' के तहत ₹133.46 करोड़ का डेबिट/ प्रतिकूल शेष था।

तालिका 3.9: बकाया चैक और बिल

(₹ करोड़ में)

नामकरण/ मुख्य शीर्ष (8670- चैक और बिल	वित्तीय वर्ष 19	वित्तीय वर्ष 20	वित्तीय वर्ष 21	वित्तीय वर्ष 20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 21 में वृद्धि
102 - वेतन और लेखा कार्यालय चैक	3,477.53 क्रेडिट	2,332.52 क्रेडिट	1,547.24 क्रेडिट	-785.28
104 - ट्रेजरी चैक	129.72 डेबिट	131.21 डेबिट	133.46 डेबिट	2.25
103 - विभागीय चैक	3,254.21 क्रेडिट	1,709.71 क्रेडिट	1,883.18 क्रेडिट	173.47
106 - दूरसंचार लेखा कार्यालय चैक	862.37 क्रेडिट	852.41 क्रेडिट	869.23 क्रेडिट	16.82
107 - डाक चैक	27,272.54 क्रेडिट	37,481.94 क्रेडिट	36,893.15 क्रेडिट	-588.79
108 - रेलवे चैक	1,524.70 क्रेडिट	17,964.12 क्रेडिट	5,169.25 क्रेडिट	-12,794.87
111 - वेतन और लेखा कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस	4,208.28 क्रेडिट	3,465.13 क्रेडिट	4,485.54 क्रेडिट	1,020.41
110 - इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस	1,010.84 CR	2,652.99 CR	3,750.34 CR	1,097.35
अन्य चैक	52.56 CR	0.99 DR	659.61 CR	660.60
कुल चैक और बिल	41,533.31	66,326.62	55,124.08	-11,202.54

* वित्तीय वर्ष 19: 52.56 क्रेडिट (155.72 डेबिट+208.28 क्रेडिट); वित्तीय वर्ष 20: 0.99 डेबिट (207.84 क्रेडिट+208.83 डेबिट); वित्तीय वर्ष 21: ₹659.61 करोड़ (₹659.61 करोड़)

यद्यपि कुल बकाया चैकों और बिलों में समग्र कमी थी, डाक चैकों के अंतर्गत शेष राशि काफी अधिक रही।

डाक विभाग ने कहा (सितम्बर 2021) कि शीर्ष 8670 - चैक और बिल के तहत भारी बकाया राशि एमएच-8670 के तहत दो बार दर्ज करने के कारण थी और कभी-कभी

एमएच-8670 की राशि को एमएच-8677 के तहत दर्ज किया गया था और इसके विपरीत किया गया। प्रतिकूल वर्ष की समाप्ति पर शेष के संबंध में, विभाग ने कहा कि प्रतिकूल शेष सीएसआई में बैंक समाधान करते समय डीडीओ द्वारा गलत लेनदेन कोड और सीएसआई-एफएसआई एकीकरण के समय एमएच-8670 के साथ जीएल की गलत मैपिंग के कारण थे।

तमिलनाडु डाक सर्कल के 8670 चैक और बिलों के तहत बकाया शेष राशि की आगे की नमूना जांच में निम्नलिखित का पता चला:

तालिका 3.10: चैक में बकाया राशि - तमिलनाडु डाक सर्कल

(₹ करोड़ में)

चैकों की संख्या और कुल बकाया राशि	चैक में बकाया राशि			
	6 महीने से कम पुराना	6 महीने से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम	6 महीने से कम पुराना	दो वर्ष से अधिक पुराना
₹7,312.34 करोड़ रुपये के 3,07,631 चैक	1,540.10	1,477.73	2,702.16	1,592.35

तमिलनाडु सर्किल के डाक प्राधिकारियों ने कहा कि सीएसआई¹¹ में समाधान के प्रावधानों की अनुपलब्धता के कारण वित्तीय वर्ष 19 और वित्तीय वर्ष 20 में बकाया राशि उत्पन्न हुई। इसलिए समाधान नहीं किया जा सका। इसके अलावा, सीएसआई से लेखे तैयार करने के लिए निकाले गए आंकड़ों को दर्ज करने की उचित विधि निदेशालय द्वारा सूचित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों से आहरण में बकाया शेष थे।

3.5 प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होता है जैसे (क) जब लेन-देन को डेबिट किए जाने के बजाय गलती से क्रेडिट किया जाता है और इसके विपरीत, (ख) जब डेबिट को एक शीर्ष के तहत और संबंधित क्रेडिट को किसी अन्य शीर्ष के तहत या इसके विपरीत, और (ग) जब आरक्षित निधि से बहिर्वाह/ संवितरण प्राप्तियों/ शेषों से अधिक हो। इस प्रकार ये शेष, त्रुटियों और वित्तीय नियंत्रणों की कमी को दर्शाते हैं और लेखों की गुणवत्ता और सटीकता को प्रभावित करते हैं।

¹¹ सीएसआई (कोर सिस्टम इंटीग्रेशन)- डाक विभाग में प्रयोग होने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर

वित्तीय वर्ष 21 के लिए यूजीएफए में प्रतिकूल शेष राशि के 65 मामले (अनुलग्नक-3.4 में विवरण) शामिल थे। इसमें से 36 पाँच साल से अधिक समय से अनसुलझे थे, जिनमें सबसे अधिक पुराने 46 साल से थे। इसके अलावा, संबंधित मंत्रालय/ विभाग के लेखों के संदर्भ में प्रतिकूल शेष राशि की विस्तृत संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

क) विद्युत मंत्रालय: ऋण शीर्ष 6801.201- जल विद्युत उत्पादन के तहत, ₹118.62 करोड़ (नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, एनएचपीसी से संबंधित ₹1186191 हजार और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टीएचडीसी से संबंधित ₹14 हजार) का प्रतिकूल शेष था।

प्रधान लेखा कार्यालय, मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2021) कि एनएचपीसी ने बताया था कि यह राशि उनकी नहीं थी और इसलिए, उपरोक्त गलत वर्गीकरण को सुलझाने के लिए मामला मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग और सीजीए कार्यालय दोनों के साथ उठाया गया था। तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि उत्तर के साथ संलग्न दस्तावेज इस कथन का समर्थन नहीं करते थे कि एनएचपीसी ने रिपोर्ट किया था कि यह राशि उनकी नहीं थी।

ख) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय: ₹76.75 करोड़ (क्रेडिट) की राशि की प्रतिकूल शेष राशि 6250.60.202-अन्य सामाजिक सेवा के लिए ऋण (आईटीआई के आईएमसी को ऋण) और ₹1.43 करोड़ (डेबिट) 8011.00.103 केन्द्र सरकार के कर्मचारी समूह योजना में दर्ज की गई थी।

मंत्रालय ने कहा (जून 2021) कि 6250.60.202 में प्रतिकूल शेष - अन्य सामाजिक सेवा के लिए ऋण (आईटीआई के आईएमसी को ऋण) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के गठन से पहले श्रम मंत्रालय द्वारा वितरित ऋण राशि के हस्तांतरण के कारण थे। 8011.00.103 - 'केन्द्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना' में प्रतिकूल शेष राशि इसलिए थी क्योंकि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय किया गया भुगतान योगदान से अधिक था, और 8550.104 - स्टेट प्रोवीडेन्ट (अन्य अग्रिम) में प्रतिकूल शेष राशि मृत कर्मचारियों के परिवारों को अंतरिम लाभ दिए जाने के कारण थी।

एमओएसडीएंडई को प्रतिकूल शेष के कारणों की पहचान करने और समयबद्ध तरीके से उन्हें सुधारने में तेजी लानी चाहिए।

ग) बाहरी मामलों का मंत्रालय: प्रतिकूल शेष राशि एमएच 8011.00.103 - केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीआर ₹10.81 करोड़), 8658.00.108- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (सीआर ₹115.17 करोड़), 8443.00.117 - 'सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिए किए गए कार्य के लिए जमा' (डीआर ₹35.26 करोड़), 8782.00.105- आरबीआई प्रेषण (सीआर ₹96.04 करोड़), 8782.00.130- एमईए तथा विदेशी मिशनों के बीच प्रेषण (डीआर ₹368.80 करोड़) के तहत दर्ज की गई थी। मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2021) कि शीर्ष 8011.00.103 के तहत प्रतिकूल शेष गलत बुकिंग/ गलत वर्गीकरण के कारण था जिसकी पहचान की जा रही थी और इसे नियत समय में ठीक किया जाएगा। यह भी कहा गया था कि रिकार्डों का पता लगाया जा रहा था और कारण और उनके सुधार का पता लगाने के लिए मिलान प्रक्रिया की जा रही थी।

घ) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी): विभिन्न लघु शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष मौजूद थे। सीबीआईसी ने अपने उत्तर में प्रतिकूल शेष राशि के लिए विभिन्न कारणों को जिम्मेदार ठहराया जैसे एक पीएओ द्वारा की जा रही वसूली और दूसरे पीएओ द्वारा भुगतान, और पीएओ जिसने वसूली की, उस कार्यालय को राशि स्थानांतरित नहीं की जहां से अग्रिम लिया था, 'बीमा निधि के तहत अधिक भुगतान पीएओ द्वारा किए गए, 'पिछले वर्षों के गलत वर्गीकरण का सुधार', सीबीआईसी के चेक आहरण और संवितरण अधिकारियों से भुगतान की सूची की प्राप्ति न होना', सीबीआईसी के पीएओ द्वारा अधिक हस्तांतरण के मामले और 'पिछले वर्षों की शेष राशि का निपटान'।

3.6 आरक्षित निधि

सरकारी लेखों में किसी भी वैधानिक प्रावधान अथवा अन्यथा के तहत परिसंपत्ति के नवीनीकरण और प्रतिस्थापन, विशिष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधि का गठन किया जाता है। आरक्षित निधि को बजटीय सहायता और/या अनुदान, योगदान, उपकर, या उगाही के माध्यम से समेकित निधि में जुटाया और

एकत्र किया जाता है और इन लेनदेन के बजट के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके सार्वजनिक लेखे में निर्दिष्ट आरक्षित निधि में हस्तांतरित किया जाता है।

3.6.1 उगाही और उपकर संग्रह को नामित निधियों में हस्तांतरित करना

वित्तीय वर्ष 21 के दौरान उपकर और उगाही की संवीक्षा में एकत्रित राशियों के कम/गैर-हस्तांतरण के मामलों का पता चला, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

क. यूनिवर्सल एक्सेस लेवी का कम अंतरण

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन (यूएसओ) निधि की स्थापना अप्रैल 2002 में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं की पहुंच प्रदान करके और इन क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं और ब्रॉड बैंड के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सार्वभौमिक सेवा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई थी। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए संसाधन यूनिवर्सल एक्सेस उगाही (यूएल) के माध्यम से जुटाए जाने थे। इस प्रकार एकत्र की गई उगाही को पहले सीएफआई में जमा किया जाता है और बाद में, संसद द्वारा अनुमोदित विनियोग के आधार पर, सार्वजनिक लेखे में बनाए गए एक गैर-व्यपगत यूएसओ निधि में हस्तांतरित कर दिया जाता है, जिसका उपयोग विशेष रूप से उन उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिसके लिए उगाही की जाती है।

विवरण 8, 9 और 13 की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वित्तीय वर्ष 21 के दौरान यूएल का कुल संग्रह ₹9,471.23 करोड़ था जिसमें से केवल ₹7,200 करोड़ यूएसओ निधि हस्तांतरित किए गए थे। इस प्रकार, यूएसओ निधि में ₹2,271.23 करोड़ की राशि का यूएल में कम हस्तांतरण हुआ।

यूएसओ निधि में उगाही के कम हस्तांतरण का मुद्दा वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 15 के लिए वित्तीय वर्ष 19 (₹2,123 करोड़ का लघु हस्तांतरण) और वित्तीय वर्ष 20 (₹5,035.35 करोड़ का लघु हस्तांतरण) के लिए संघीय लेखों पर सीएजी की पिछली रिपोर्टों में लाया गया है। लेकिन मामला अभी तक सुलझा नहीं है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, सीएजी के कार्यालय ने अपने उत्तर (अगस्त 2021) में कहा कि लोक लेखा में विभिन्न आरक्षित निधियों का हस्तांतरण संबंधित मंत्रालय/ विभाग द्वारा आवश्यक प्रावधान प्राप्त करने के बाद प्रशासनिक मंत्रालय/

विभाग की मंजूरी के आधार पर उनके अनुदानों में प्रासंगिक कार्यात्मक मुख्य/ लघु लेखा शीर्षों के अंतर्गत किया जाता है।

उगाही के वास्तविक संग्रह की तुलना में निर्दिष्ट निधि में अंतरण के लिए संसद से कम प्रावधान प्राप्त करने से निधि की पारदर्शिता प्रभावित होती है।

ख. राष्ट्रीय खनिज ट्रस्ट लेवी का लघु अंतरण

संघ सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के अनुसार वित्तीय वर्ष 16 में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट को भुगतान की गई रॉयल्टी के प्रतिशत के रूप में खनन पट्टों के धारकों द्वारा किए गए भुगतान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है जिसे राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किया जाता है और उसके बाद संघ सरकार को भुगतान किया जाता है। इस प्रकार एकत्रित की गई राशि को लोक लेखा में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि में अंतरित किया जाना है।

अनुमोदित लेखा प्रक्रिया (ओ/ओ सीजए यूओ नंबर 9(8)/2017/टीए/304-307 दिनांक 19 मार्च 2018) के अनुसार, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट सचिवालय/ खान मंत्रालय का संबंधित प्रभाग राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के लिए प्राप्तियों का अनुमान बजट प्रभाग (वित्त मंत्रालय) को देगा ताकि राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट निधि में हस्तांतरण की सुविधा के लिए खान मंत्रालय के तहत उपयुक्त प्रावधान करने में सक्षम बनाया जा सके। लेखांकन प्रक्रिया में यह भी आवश्यक है कि एक वर्ष में संपूर्ण अभिवृद्धि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले निधि में अंतरित किया जाना चाहिए, प्राथमिक आधार पर प्रत्येक माह प्रगतिशील अभिवृद्धि को अंतरित किया जाना चाहिए।

संवीक्षा से पता चला है कि राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट फंड के तहत ₹620.85 करोड़ के संग्रह के प्रति, और ₹150 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति, केवल ₹90.00 करोड़ निधि में हस्तांतरित किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹530.85 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि में संघ खातों पर उगाही के कम हस्तांतरण का मुद्दा सीएजी की पिछली रिपोर्टों में सामने आया है (वित्तीय वर्ष 19: ₹79 करोड़ का कम हस्तांतरण और वित्तीय वर्ष 20: ₹564.85 करोड़ का कम हस्तांतरण) लेकिन मामला सुलझाया जाना बाकी है।

इंगित किए जाने पर, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा (अगस्त 2021) कि राष्ट्रीय खनिज ट्रस्ट उगाही एक कर उदग्रहण नहीं था और निधि में हस्तांतरण प्रशासनिक मंत्रालय की खर्च करने की अवशोषण क्षमता पर आधारित था और सरकार अपनी आवश्यकता के आधार पर राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट निधि को उगाही के संग्रहण के बराबर राशि हस्तांतरित करने पर विचार करेगी। इसने आगे कहा कि मामले में खान मंत्रालय से परामर्श किया गया था, जिसने पुष्टि की कि राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट उगाही के राज्यों द्वारा संग्रह और प्रेषण और निधि में वास्तविक हस्तांतरण के बीच समय अंतराल था।

इस संबंध में, अनुमोदित प्रक्रिया से यह देखा गया कि निधि में अंतरण प्रशासनिक मंत्रालय की अवशोषण क्षमता से जुड़ा नहीं है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 21 के दौरान ₹620.85 करोड़ की संपूर्ण अभिवृद्धि को निधि में हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा, संग्रह, प्रेषण और निधि में वास्तविक हस्तांतरण के बीच समय अंतराल के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि अंतर लेखा हस्तांतरण के लिए उपयुक्त बजट प्रावधान तैयार किया जाना चाहिए और प्रत्येक महीने प्रगतिशील अभिवृद्धि को अधिमानतः निधि में हस्तांतरित किया जाना चाहिए और संपूर्ण अभिवृद्धि एक वर्ष में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले निधि में अंतरित की जानी चाहिए।

ग. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष का गैर-संचालन

वित्त अधिनियम 2018 से चार प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (एचईसी) लगाया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा सहमत साझाकरण पैटर्न के अनुसार, दिनांक 27 नवंबर 2020 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, एकत्रित आय का 75 प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं के लिए उपयोग किया जाना है, शेष का उपयोग स्वास्थ्य योजनाओं के लिए किया जाना है। तदनुसार, एचईसी संग्रह को तीन आरक्षित निधियों, अर्थात् प्रारम्भिक शिक्षा कोष (पीएसके) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में हस्तांतरित किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 21 में, ₹35,821.48 करोड़ एचईसी लेखों में एकत्रित दिखाए गए थे। उपरोक्त तीन आरक्षित निधियों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि जुलाई 2017 में एमयूएसके के निर्माण को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन इसकी लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने के कारण इसे चालू नहीं किया गया है। वित्तीय

वर्ष 21 के लिए आरई में, कुल ₹20,567.12 करोड़ की धनराशि को एमयूएसके में हस्तांतरित करने के लिए अनुमोदित किया गया था। चूंकि निधि का प्रचालन नहीं किया गया था, इसलिए वित्तीय वर्ष 21 के दौरान इस निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन), के संबंध में लेखांकन कार्य प्रक्रियाधीन है।

3.6.2 निष्क्रिय आरक्षित निधि/ जमा

आरक्षित निधि और जमा भारत के लोक लेखा का एक हिस्सा है जिसमें लेनदेन के संबंध में सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए उत्तरदायी होती है और उसके भुगतानों को दर्ज किया जाता है। आरक्षित निधि के निर्माण में आम तौर पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के लिए भारत की समेकित निधि से लोक लेखा में राशि का हस्तांतरण शामिल होता है। दूसरी ओर, सरकार की जमा राशि जमाकर्ताओं द्वारा सुरक्षा के रूप में और/ या जमाकर्ता की ओर से सरकार द्वारा कुछ कार्य निष्पादित करने के लिए की जाती है। निष्क्रिय आरक्षित निधि/ जमा उन निधियों या जमाओं का गठन करती है जो लंबे समय से प्रचालन में नहीं हैं और हो सकता है कि उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई हो।

यूजीएफए के विवरण 13 की संवीक्षा से पता चला है कि वित्तीय वर्ष 21 के अंत में नौ आरक्षित निधियों में ₹308.23 करोड़ के क्रेडिट शेष वाले 13 आरक्षित निधि और चार आरक्षित निधि में ₹370.31 करोड़ के डेबिट शेष, जैसा कि **अनुलग्नक 3.5** में निहित था 02 से 19 वर्ष तक की अवधि के लिए निष्क्रिय पड़े थे।

विवरण 13 की आगे की संवीक्षा से पता चला कि 36 जमा (ब्याज असर के साथ-साथ ब्याज नहीं) 29 जमा खातों में ₹6,882.05 करोड़ और वित्तीय वर्ष 21 के अंत में 07 जमा खातों में ₹201.48 करोड़ के डेबिट शेष 01 से 26 वर्ष की अवधि के लिए निष्क्रिय पड़े थे, जैसा कि **अनुलग्नक 3.6** में निहित था। अधिकांश मामलों में, लघु शेष जो या तो धनात्मक शेष या ऋणात्मक शेष थे, पड़े हुए थे और उनकी समीक्षा और निपटान किए जाने की आवश्यकता है।

3.6.3 स्वीकृत लेखा प्रक्रिया से विचलन

क. कैम्पा निधियों को लोक लेखा से बाहर रखा गया

नई प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के मोड़ की अनुमति देते हुए उपयोगकर्ता एजेंसियों से एकत्र किए गए सभी प्रतिपूरक वनीकरण कोष (सीएएफ) का संरक्षक है। और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इस प्रकार डायवर्ट की गई वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के लिए राशि प्राप्त हुई। इस प्रकार एकत्रित धन को प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के लिए कैम्पा द्वारा लोक लेखा में रखा जाना है और प्रचालन की अनुमोदित वार्षिक योजनाओं के आधार पर संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार को जारी करना आवश्यक है।

प्रतिपूरक वनरोपण निधि के तहत अनुमोदित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) के वेतन और लेखा कार्यालय को कैम्पा के लेखों को बनाए रखने और मिलान करने और शेष के बारे में रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 21 के अंत में, शेष ₹16,693.48 करोड़ (8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि के तहत ₹7,656.17 करोड़, 128 राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष (एनसीएएफ) और 8336-नागरिक जमा के तहत ₹9,037.31 करोड़, 102 राष्ट्रीय मुआवजा वनरोपण जमा थे।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय वर्ष 21 के अंत में ₹666.44 करोड़ की निधि एडहॉक-कैम्पा प्राधिकरण के बैंक खाते में लोक लेखे से अलग पड़ी थी।

इस संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2022)।

ख. राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रीकरण के तहत गलत लेखा-जोखा

अनुमोदित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण की प्राप्तियों को शीर्ष 4000.01.106-राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण की आय के तहत दर्ज किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त राशि को राजस्व शीर्ष - 3054.80.797 - आरक्षित निधि/ जमा लेखा के माध्यम से लेखा शीर्ष - 8225.03.101- राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण के तहत लोक लेखा में राष्ट्रीय राजमार्ग के मुद्रीकरण में हस्तांतरित किया जाना है। निधि से किए गए व्यय को 5054.01.337 - सड़क निर्माण के तहत किए गए बजट प्रावधान के तहत दर्ज किया जाना है और इस प्रकार खर्च की गई राशि को लेखा शीर्ष

5054.01.905 - राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रीकरण से प्राप्त कटौती राशि के माध्यम से निधि से वसूल किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रीकरण के अंतर्गत लेन-देन के गलत तरीके से लेखाबद्ध किया गया था। पंजीगत प्राप्ति शीर्ष 4000.01.106 के तहत ₹5,011 करोड़ की राशि दर्ज की गई थी। हालांकि, स्वीकृत राजस्व शीर्ष 3054.80.797 के बजाय पूंजी शीर्ष 5054.80.797 के माध्यम से ₹7,262 करोड़ (₹10,250 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति) हस्तांतरित किया गया था और निधि से किए गए ₹7,262 करोड़ के व्यय को स्वीकृत शीर्ष 5054.01.337-सड़क निर्माण के स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश शीर्ष 5054.01.190 तहत दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप न केवल व्यय का गलत वर्गीकरण हुआ बल्कि पूंजीगत व्यय को ₹7,262 करोड़ से अधिक भी बताया गया।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के जवाब का इंतजार था। इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि वित्तीय वर्ष 20 के संबंध में निधि में से/ निधि को हस्तांतरण और व्यय की गलत बुकिंग के संबंध में सीएजी की 2021 की रिपोर्ट संख्या 7 में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। तथापि, इस संबंध में मंत्रालय या सीजीए द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

3.7 ऋण और अग्रिम की वसूली न होना

यूजीएफए के विवरण 15 में संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम की जानकारी है। 31 मार्च 2021 को राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों और अन्य संस्थाओं से बकाया ₹5,58,394 करोड़ के कुल ऋण के प्रति, वसूली में ब्याज सहित ₹63,763 करोड़ की राशि, बकाया थी, जैसा कि तालिका 3.11 में वर्णित है। विवरण अनुलग्नक 3.7 में दिया गया है।

तालिका 3.11: बकाया ऋण और अग्रिम का विवरण

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 तक बकाया				
क्र.सं.	ऋणी का नाम	मूलधन	ब्याज	कुल
1.	राज्य सरकार	399	1,769	2,168
2.	केंद्र शासित प्रदेश	2,903	2,493	5,396
3.	अन्य ऋणी *	18,154	38,045	56,199
	कुल	21,456	42,307	63,763

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

ऋण एवं बकाया अग्रिम का अवधि - वार विवरण						
क्र.सं.	ऋणी की श्रेणी	राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों/ संस्थाओं की संख्या	बकाया की अवधि (वर्षों में)	मूलधन	ब्याज	कुल
1.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारें	22	>25	6,27	1,756	2,383
		05	15-25	2,676	2,505	5,181
2.	अन्य संस्थाएं *	80	>25	6,421	26,752	33,173
		35	15-25	5,012	6,678	11,691
		34	5-15	5,793	4,571	10,365
		6	<5	927	44	9,71
कुल		182		21,456	42,307	63,763

*अन्य ऋण संस्थाओं में निगम, सीपीएसई, सोसायटी, चीनी मिल, कैंटीन और निजी संस्थाएं आदि शामिल हैं।

नोट: हालांकि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लेकिन जम्मू-कश्मीर को राज्य के रूप में मानते हुए मुख्य शीर्ष 7601 के तहत ऋण वितरित किए गए थे।

ऋण और अग्रिम की मंत्रालय-वार विस्तृत संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

क) गृह मंत्रालय: 31 मार्च 2021 को ऋण और अग्रिम में ₹10,407.84 करोड़ की राशि बकाया थी। इसके अलावा, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के संबंध में बकाया ऋण के चित्रण में विसंगतियां थीं जैसा कि विवरण 15 और मंत्रालय द्वारा बनाए गए ऋण विवरण रिकॉर्ड में दिखाया गया है। विवरण 15 में 19 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में ऋण विवरण में दर्शाई गई राशि से अधिक कुल ₹28.27 करोड़ की अधिक राशि को दर्शाया गया है जबकि यह 12 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में ऋण विवरण में दर्शाई गई राशि से ₹15.73 करोड़ कम दर्शाता है।

ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय: ₹2,070.23 करोड़ (मूलधन: ₹933.51 करोड़ और ब्याज: ₹1,136.74 करोड़) का बकाया चार ऋणी संस्थाओं से वसूली योग्य था। तीन संस्थाओं के प्रति ऋण अर्थात हिंदुस्तान समाचार, समाचार भारती और आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड 40 से अधिक वर्षों से लंबित थे। मुख्य हिस्सा यानी, 99.97 प्रतिशत बकाया (₹2,070.25 करोड़ में से ₹2,069.73 करोड़) वित्तीय वर्ष 11 से प्रसार भारती से था। मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसंबर 2021) में कहा कि ₹2142.81 करोड़ (3.09.2021 तक बकाया ₹1209.42 करोड़ की ब्याज राशि सहित) के ऋण को सहायता अनुदान में बदलने और उस पर अर्जित ब्याज और शास्ति ब्याज की छूट का प्रस्ताव प्रक्रिया के तहत है और इसे अनुमोदन के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

- ग) युवा मामले और खेल मंत्रालय: 31 मार्च 2021 को अन्य ऋण शीर्ष राष्ट्रमंडल खेल, के तहत ₹1,163.36 करोड़ बकाया थे। उक्त ऋण की मंजूरी के एक दशक बीत जाने के बावजूद ₹1,163.36 करोड़ के मूलधन की वसूली/ निपटान नहीं किया गया। मंत्रालय ने अपने उत्तर (सितंबर 2021) में उक्त ऋण की वसूली न होने का कोई कारण नहीं बताया।
- घ) विवरण 15 से पता चलता है कि लेखा शीर्ष 6801.800-विद्युत बोर्ड को अन्य ऋण के अंतर्गत ₹101.20 करोड़ का ऋण बकाया था। अपने उत्तर (नवंबर 2021) में प्रधान लेखा कार्यालय, एमओपी ने कहा कि मार्च 2021 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सूचित किए गए के अनुसार चूककर्ता राज्य विद्युत बोर्डों/ उत्पादक कंपनियों से कोई प्रतिक्रिया/ वसूली नहीं थी और मामले को अक्टूबर 2021 में सीईए के साथ फिर से उठाया गया था। तथापि, इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

3.8 पारदर्शिता और प्रकटीकरण

3.8.1 फुटनोट्स के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी का चित्रण

वित्तीय वर्ष 21 के लिये यूजीएफए में संबंधित लेनदेन के संदर्भ में उसमें उल्लिखित आंकड़ों पर अतिरिक्त जानकारी का खुलासा करने के लिये कुल 249 फुटनोट डाले गए थे। हालांकि, इन फुटनोटों ने उस हद तक संघ सरकार के वित्त की सही तस्वीर का खुलासा नहीं किया क्योंकि समायोजन की पूर्ण प्रकृति और निहितार्थ और विसंगतियों को दूर करने के लिये की गई कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया था। कुछ फुटनोट प्रकृति में महत्वपूर्ण हैं और फुटनोट के बजाय एक महत्वपूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता है। फुटनोट के माध्यम कुछ महत्वपूर्ण खुलासे इस प्रकार थे:

- क) विवरण 2 'ऋण स्थिति का सारांश' 31 मार्च 2021 को 'लघु बचत और भविष्य निधि' के तहत कुल देनदारियों को ₹7,15,479.43 करोड़ के रूप में दर्शाता है। केन्द्र सरकार की 'अन्य देनदारियों' पर जानकारी जिसमें एनएसएसएफ का ₹4,15,506.35 करोड़ का निवेश एनएसएसएफ का संचित घाटा ₹78,524.46 करोड़ डाकघर बीमा कोष से संबंधित ₹92,177.86 करोड़ का निवेश और विभिन्न सरकारी उपक्रमों में ₹1,25,636 करोड़ एक फुटनोट के माध्यम से प्रदान किये गये थे। इस प्रकार, एक फुटनोट के माध्यम से ₹7,11,844.67

करोड़ की राशि की लघु बचत देयताओं का चित्रण जो न तो विवरण के मुख्य भाग के रूप में या किसी भी स्थान पर समेकित तस्वीर को दर्शाने के संबंध में थी, ने संघ सरकार की लोक लेखा देयताओं की एक उपयुक्त तस्वीर प्रस्तुत नहीं की।

- ख) विवरण 2 और 14 ने विनिमय की ऐतिहासिक दर (₹3,88,472.45 करोड़) पर संघ सरकार के बाहरी ऋण को दिखाया और बाहरी ऋण को वर्तमान विनिमय दर (31 मार्च 2021 को दर) पर फुटनोट के रूप में परिवर्तित के रूप में प्रकट किया (₹6,14,828.65 करोड़)। यह देखा गया कि बाद वाली ऐतिहासिक दर ₹2,26,356.20 करोड़ अधिक थी। केवल फुटनोट के माध्यम से बाह्य ऋण के मूल्य के इसे प्रकटीकरण ने लेखों की पारदर्शिता को प्रभावित किया और इसे एफआरबीएम अधिनियम 2003 के नियम 2 (एए) के आलोक में भी देखा जा सकता है जिसमें संघ सरकार के ऋण की परिभाषा में वर्तमान विनिमय दरों पर बाहरी ऋण का मूल्य शामिल है।
- ग) विवरण 13, जो ऋण, जमा और प्रेषण शीर्षों से संबंधित है, एमएच 8999 के तहत बंद नकद शेष दर्शाता है। आरबीआई के अंतिम नकद शेष के साथ अंतर एक फुटनोट के माध्यम से दिखाया गया था। इस फुटनोट ने सिविल मंत्रालयों, गैर-सिविल मंत्रालयों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच अंतर और मतभेदों के व्यापक कारणों का विवरण दिया। फुटनोट के माध्यम से प्रकटीकरण अपर्याप्त था क्योंकि अंतर का शुद्ध आधार पर दिखाया गया था और इस प्रकार, अलग-अलग क्रेडिट और डेबिट के संदर्भ में इसकी समग्रता पर नियंत्रण नहीं रखा जिससे अंतर बना।
- घ) जांच के तहत लगातार प्रतिकूल/ ऋण शेष में 8551.00.101 रक्षा अग्रिम (₹1,602 करोड़ सीआर) जैसी उच्च मूल्य की वस्तुएं भी शामिल हैं, जिसका अर्थ है कि स्वीकृत अग्रिमों के प्रति अग्रिमों की अधिक प्राप्ति और रेलवे पेंशन फंड - वाणिज्यिक लाइनों में प्रतिकूल शेष राशि का स्पष्टीकरण (₹1,449 करोड़ डीआर), आदि।

उपरोक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 21 के लिये यूजीएफए के 16 विवरणों में लेन-देन के आंकड़ों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी का खुलासा करने और अर्थ शेष व अंत

शेष रखने और उसमें किए गए परिवर्तनों के लिये बड़ी संख्या में फुटनोट डाले गए थे। हालांकि ये फुटनोट महत्वपूर्ण लेन-देन से संबंधित थे, लेकिन इनमें स्पष्टता का अभाव था और कुछ मामलों में बिना समाधान के साल दर साल दोहराया जा रहा था। कुछ ऐसे प्रकार थे जो ग्राफ 3.12 में दर्शाया गए हैं।

ग्राफ 3.12: यूजीएफए में प्रयुक्त फुटनोट्स का विवरण



इस मुद्दे को 2021 की सीएजी रिपोर्ट संख्या 7 में भी उठाया गया है, जिसमें यूजीएफए के हिस्से के रूप में “नोट्स टू अकाउंट्स” सेक्शन या समकक्ष समेकित प्रकटीकरण प्रारूप की शुरुआत पर विचार करने की सिफारिश की गई है, जो अतिरिक्त जानकारी को सक्षम करेगा ताकि (इससे आगे व्यक्तिगत विवरण में दर्शाया गया है) समेकित रूप में यह पठनीय हो और इसमें स्पष्टता लाई जा सके।

अपनी प्रतिक्रिया में, सीजीए प्राधिकारियों ने इस मामले को ‘लेखों के लिये नोट्स’ को शामिल करने के लिये सकारात्मक रूप से देखने के लिये सहमति दी (नवंबर 2021)।

3.8.2 लघु शीर्ष 800 का लगातार उपयोग

लघु शीर्ष 800 का नाम ‘अन्य प्राप्तियों’/‘अन्य व्यय’ के साथ, प्राप्ति और व्यय मुख्य शीर्षों के तहत उपयोग किया जाता है, लेनदेन के लिये लेखे में जो नियमित नहीं हैं और/ या किसी विशिष्ट लघु शीर्ष के तहत लेखा नहीं किया जा सकता है। लेखा बही में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये कुछ परिव्ययों के व्यय को उचित स्तर पर वर्गीकृत करना आवश्यक है, जो प्रबंधन और निगरानी के उद्देश्य से व्यय गतिविधिवार मात्रा को भी सक्षम बनाता है। इसी प्रकार प्राप्तियों को वर्गीकृत करने से सरकार के राजस्व से विशिष्ट स्रोत सामने आते हैं। इसलिये लघु शीर्ष 800 के बार-बार उपयोग से लेखों में अपारदर्शिता होती है और इसे कम करने की आवश्यकता है।

3.8.2.1 लघु शीर्ष 800 के उपयोग की प्रवृत्ति

पिछले तीन वर्षों के दौरान 'अन्य प्राप्तियाँ'/'अन्य व्यय' के तहत लघु शीर्ष 800 के संचालन की प्रवृत्ति इस प्रकार है:

तालिका 3.13: लघु शीर्ष 800 के तहत बुकिंग की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

साल	800- अन्य व्यय	कुल व्यय*	प्रतिशत	800-अन्य प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ #	प्रतिशत
वित्तीय वर्ष 19	33,326	26,61,094	1.25%	37,424	19,01,442	1.97%
वित्तीय वर्ष 20	39,838	30,03,064	1.33%	16,892	19,98,433	0.85%
वित्तीय वर्ष 21	44,461	36,57,801	1.22%	18,428	19,02,409	0.97%

*केवल राजस्व और पूंजीगत व्यय शामिल हैं, # केवल राजस्व प्राप्तियों और विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं

तालिका 3.13 से यह देखा गया है कि लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय के तहत बुकिंग कुल व्यय के अनुपात के रूप में एक संकीर्ण सीमा के भीतर बनी रही और वास्तव में पिछले तीन वर्षों में समग्र रूप से बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। दूसरी ओर, वित्तीय वर्ष 19 की तुलना में पिछले दो वर्षों में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत बुकिंग में काफी कमी आई है।

इसके अलावा, लघु शीर्ष 800 के तहत दर्ज अन्य व्यय और अन्य प्राप्तियों की विस्तृत संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

3.8.2.2 लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत बुकिंग

06 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत, प्रत्येक शीर्ष में व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक, राशि ₹26,893.98 करोड़ (उन मुख्य शीर्षों के तहत ₹30,920.95 करोड़ के कुल व्यय में से 86.98 प्रतिशत) को लघु शीर्ष '800- अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इनमें एमएच 5275-अन्य संचार सेवाओं के तहत रक्षा सेवाओं के लिये ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क (₹8,000 करोड़), एमएच 3275-अन्य संचार सेवाओं के तहत ₹15,047.66 करोड़, और एमएच 2701-मध्यम सिंचाई के तहत ₹3,305.80 करोड़ शामिल था।

इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में, महत्वपूर्ण व्यय (हालांकि संबंधित मुख्य शीर्ष के तहत कुल व्यय के 50 प्रतिशत से कम) को लघु शीर्ष 800 के तहत दर्ज किया गया था। इनमें एमएच 2076 (₹3,149.57 करोड़) के तहत रक्षा सेवाओं-सेना पर अन्य व्यय-और एमएच 2401 के तहत कृषिपालन शामिल (₹2,002.21 करोड़) था।

इंगित किए जाने पर, दूरसंचार विभाग (अक्टूबर 2021) ने कहा कि एमएच 5275.800 के तहत रक्षा सेवाओं के लिये ओएफसी आधारित नेटवर्क क बुकिंग के संबंध में, एमएच 5275 के तहत नया लघु शीर्ष 797 खोला गया है और वित्तीय वर्ष 23 से चालू किया जायेगा।

3.8.2.3 लघु शीर्ष 800 - अन्य प्राप्तियों के तहत बुकिंग

16 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत, प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्तियों, राशि ₹4,378.52 करोड़ की राशि (अन्य मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹4,996.42 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से 87.63 प्रतिशत) को लघु शीर्ष '800- अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इनमें एमएच 0077-डिफेंस सर्विस नेवी (₹1,482.43 करोड़), एमएच 0078-डिफेंस सर्विस एयर फोर्स (₹1,385.10 करोड़), एमएच 0408-खाद्य भंडारण और गोदाम (₹571.57 करोड़), और एमएच 0080-रक्षा सेवा अनुसंधान और विकास (₹368.11 करोड़) शामिल थे।

इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में, महत्वपूर्ण प्राप्तियों (हालांकि कुल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से कम) को लघु शीर्ष 800 के तहत दर्ज किया गया था। इनमें शामिल हैं एमएच 0076-डिफेंस सर्विस आर्मी (₹791.54 करोड़), एमएच 0055- पुलिस (₹775.01 करोड़), आदि।

इसके अलावा, नमूना जांच किए गए मंत्रालयों में लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियों के तहत बुकिंग की विस्तृत जांच से निम्नलिखित का पता चला:

क. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी): सीबीडीटी में ₹353.28 करोड़ और सीबीआईसी में ₹2014.54 करोड़ की प्राप्तियां लघुशीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियों' कर राजस्व प्राप्तियाँ जैसे अन्य मर्दे, विविध/ अन्य प्राप्तियां इत्यादि संबंधित मुख्य शीर्षों के तहत दर्ज नहीं की गईं। ये गैर-कर राजस्व प्रकृति की थीं लेकिन कर राजस्व के मुख्य शीर्षों के तहत गलत वर्गीकृत थीं। इसके अलावा, ब्याज वसूली, शास्ति और कर संग्रह आदि जैसी प्राप्तियों को संबंधित मुख्य शीर्षों के लघु शीर्ष 800 के तहत दिखाया गया था, जबकि अलग-अलग लघु शीर्ष पहले से ही कर राजस्व के पहले वाले/ अन्य मुख्य शीर्षों के तहत मौजूद थे। इंगित किये जाने पर

विभाग ने बताया कि सभी जोनल लेखा कार्यालयों को सभी मामलों में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज प्राप्तियों की जांच करने की सलाह दी गई थी।

ख. अंतरिक्ष विभाग (डीओएस): लघु शीर्ष '800- अन्य प्राप्तियों के तहत बुक किए गए ₹22.57 करोड़ में से ₹19.89 करोड़ की प्राप्तियां लघु शीर्ष-800' अन्य प्राप्तियां से संबंधित नहीं थी। इंगित किये जाने पर, डी.ओ.एस ने बताया (दिसंबर 2021) के विभाग लेखों में अपारदर्शिता को दूर करने के लिये विभागीय प्राप्तियों को सही लेखा-जोखा सुनिश्चित करने के लिये प्रयास कर रहा है।

लघु शीर्ष 800 के तहत बुकिंग की अधिक महत्वता के मामलों के संबंध में, सीजीए अधिकारियों ने कहा (नवंबर 2021) कि ऐसी बुकिंग को कम करने के लिये नए निर्देश जारी किए गए थे (अक्टूबर 2021)।

3.8.3 यूटीआई (एसयूटीआई) के निर्दिष्ट उपक्रम की आय/ प्राप्तियों का उपयोग

यूटीआई का निर्दिष्ट उपक्रम) एसयूटीआई (संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था और इसमें यूटीआई के सभी व्यवसाय ,परिसंपत्ति देनदारियां और संपत्तियां शामिल हैं जो योजनाओं और विकास रिजर्व फंड से संबंधित हैं जैसा कि अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट है। उपक्रम को केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रशासक को हस्तांतरित कर दिया गया था। हालांकि,यूजीएफए में न तो एसयूटीआई और न ही इसकी परिसंपत्ति/ देनदारियों को दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, एसयूटीआई ने ₹3,124.86 करोड़ (₹1,497.00 करोड़ ब्याज और लाभांश आय से भारत सरकार को प्रेषण के लिये और ₹1,627.86 करोड़ एक्सिस बैंक में रणनीतिक होल्डिंग की बिक्री के लिये) प्रेषित किया, जिसे 'अन्य प्राप्तियों' (लघु शीर्ष-800) के रूप में एमएच 4000-विविध पूंजीगत प्राप्तियों के तहत उप-मुख्य शीर्ष-01 के तहत यूजीएफए में शामिल किया गया था। चूंकि एसयूटीआई से प्रेषण ब्याज और लाभांश आय था और एसयूटीआई द्वारा धारित शेयर की बिक्री से प्राप्त आय थी, प्राप्तियों को गैर-कर प्राप्तियों के रूप में माना जाना चाहिए था। गलत वर्गीकरण के कारण, वित्तीय वर्ष 21 के दौरान सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों को अधिक बताया गया और राजस्व प्राप्तियों का कम बताया गया।

उत्तर में, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने सूचित किया (जनवरी 2022) कि 4000.03.190 और 4000.01.190 के तहत एसयूटीआई द्वारा धारित

हिस्सेदारी की बिक्री द्वारा विनिवेश प्राप्तियों की बुकिंग के लिये और 4000.01.800 के तहत ब्याज, लाभांश आदि से अर्जित आय के लिये एसयूटीआई से प्रेषण के लिये मामला पीएओ (मार्च 2021) के समक्ष उठाया गया।

विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा सरोकार का समाधान नहीं करता है। ब्याज और लाभांश आय गैर-कर राजस्व है। इसके अलावा, एसयूटीआई द्वारा धारित हिस्सेदारी की बिक्री से प्राप्त प्राप्तियों को भी पूंजीगत प्राप्तियों के बजाय गैर कर राजस्व के रूप में हिसाब में लिया जाना चाहिए। केवल जब विभिन्न संस्थाओं में एसयूटीआई द्वारा धारित हिस्सेदारी यूजीएफए के विवरण संख्या 11 में परिलक्षित होती है, तब हिस्सेदारी की बिक्री की आय को पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8.4 मुख्य शीर्ष 8450 के अंतर्गत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों का शेष

विवरण 13 में, मुख्य शीर्ष 8450- केन्द्र शासित प्रदेश के शेष लेखे के अंतर्गत विभिन्न लघु शीर्षों के अंतर्गत शेष थे। ये संबंधित थे - पुडुचेरी को 8450.101 (₹40.12 करोड़ डीआर), गोवा, दमन और दीव को 8450.102 (₹16.30 करोड़ डीआर), अरुणाचल प्रदेश को 8450.104 (₹56.82 करोड़ डीआर) मिजोरम को 8450.105 (₹124.41 करोड़ डीआर)। प्रासंगिक रूप से, ये केन्द्र शासित प्रदेश या तो अलग लोक लेखा के साथ विधायिका वाले राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश बन गए थे। ये शेष पुडुचेरी के संबंध में वित्तीय वर्ष 08 के बाद से और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव और मिजोरम के संबंध में वित्तीय वर्ष 03 के बाद से पड़े हैं।

सीजीए कार्यालय ने बताया कि विधायिका वाले राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित एजी को (पूर्ववर्ती केन्द्र शासित प्रदेशों) मुख्य शीर्ष 8450 के तहत शेष राशि के समाधान के लिये पत्र भेजे गये हैं।

सीजीए का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शेष 10 वर्षों से अधिक समय से अनसुलझे थे।

3.8.5 पावर सिस्टम डेवलपमेंट निधि में लेनदेन का नेटिंग

मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के पैरा 3.4 में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि “आरक्षित निधि/ जमा लेखा से वित्तपोषित राशि को लघु शीर्ष ‘कटौती - राशि (आरक्षित निधि/ जमा लेखा का नाम) से अलग कोड ‘902’, आदि, प्राप्त राशि के तहत कटौती प्रविष्टि के रूप में दिखाया जाएगा। राजस्व, पूंजी या ऋण अनुभाग में कार्यात्मक मुख्य/ उप-मुख्य शीर्ष के तहत जहां वास्तविक व्यय के तहत डेबिट किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 21 के लिये विद्युत मंत्रालय के समेकित/ वर्गीकृत सार से पता चला है कि ₹821.42 करोड़ की राशि को लेखा के शीर्ष 2801.05.797 से पावर सिस्टम डेवलपमेंट निधि विकास कोष (पीएसडीएफ) में हस्तांतरित किया गया था। इसके अलावा, ₹821.42 करोड़ के व्यय का प्रावधान शीर्ष 2801.05.106 के तहत किया गया था, और उसी शीर्ष का उपयोग कटौती प्रविष्टि करने के लिये किया गया था। इसके बजाय कटौती प्रविष्टि 2801.05.902 के तहत की जानी थी। नतीजतन, कार्यात्मक शीर्ष 2801.05.106 के तहत लेनदेन का शुद्ध प्रभाव शून्य था। इसलिये, यूजीएफए के विवरण 9 में ₹821.42 करोड़ और (-)₹821.42 करोड़ के लेन-देन के शुद्धिकरण के कारण शीर्ष 2801.05.106 के तहत कोई लेनदेन शामिल नहीं था।

पीआरएओ, एमओपी ने उत्तर दिया (नवंबर 2021) कि पावर सिस्टम डेवलपमेंट निधि की लेखांकन प्रक्रिया के प्रारंभिक कार्यान्वयन के दौरान ऐसा शीर्ष या तो सीएजी के कार्यालय या सीजीए कार्यालय द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 'मुख्य और लघु शीर्षों की सूची मंत्रालयों/ विभागों को मौजूदा खातों के शीर्षों को संचालित करने का आधिकार देती है, जिसमें कटौती प्रविष्टियों को दर्शाना भी शामिल हैं और यह मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए था।

3.8.6 नई प्रविष्टि वाउचरों को समायोजित करने के लिए जर्नल प्रविष्टि का उपयोग

रक्षा लेखा कोड के अनुच्छेद 29 के अनुसार, वार्षिक खातों को बंद करने के बाद, यदि कोई सुधार/ पुनर्समायोजन आवश्यक है, तो असाधारण मामलों में सीजीए के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा। इसके अलावा, रक्षा खाता संहिता के अनुच्छेद 168 के अनुसार, वर्ग V के वाउचर नकद खातों के लिए उपयोग किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ग V के वाउचर से संबंधित ₹56.62 करोड़ जो मूल प्रविष्टियां थीं और संशोधन/ पुनर्समायोजन के लिए नहीं, जर्नल प्रविष्टि के माध्यम से वित्तीय वर्ष 21 के लिए खाते में दर्ज की गई थीं। यह रक्षा लेखा कोड में निर्धारित जर्नल प्रविष्टि के उपयोग के उल्लंघन में था।

अपने उत्तर में, सीजीडीए कार्यालय ने कहा है कि इकाइयों/ संरचनाओं के दूरस्थ स्थान के कारण, अग्रदाय धारकों के खाते संबंधित नियंत्रक के कार्यालय तक नहीं पहुंच सके और मार्च (अंतिम) खातों में श्रेणी V के वाउचरों की बुकिंग की अनुमति नहीं थी।

3.8.7 मुख्य/ लघु शीर्षों के संचालन में विचलन

भारत के महानियंत्रक द्वारा जारी मुख्य और लघु शीर्षों की सूची में मुख्य शीर्ष, उप-मुख्य शीर्ष और लघु शीर्ष आदि के प्रारम्भ और समापन को निर्धारित किया गया है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 21 के लिये संघ सरकार के वित्त लेखों की जांच से निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला:

- क) मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुसार लेखा शीर्ष 5225- 'दूरसंचार पर पूंजीगत परिव्यय' उप-मुख्य शीर्ष '01' से '05' और '80' के साथ-साथ उसके अंतर्गत लघु शीर्षों को 01 अप्रैल 2019 से नए लेनदेन के लिये परिचालित करना बंद कर दिया गया है। हालांकि, ये उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष के साथ अभी भी बिना किसी बुकिंग के यूजीएफए में वित्तीय वर्ष 21 के लिये लक्षित हो रहे हैं। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, सीजीए कार्यालय ने कहा कि दूरसंचार विभाग द्वारा विभिन्न हितधारकों के परामर्श से शीर्षों में सुधार की प्रक्रिया चल रही थी।
- ख) उप-मुख्य शीर्ष-05 मुख्य शीर्ष 1225 के तहत दूरसंचार सेवाएं- दूरसंचार प्राप्तियों को लघु शीर्षों के साथ सम्मिलित किया जाना है: 101-लाइसेंस शुल्क और यूनिवर्सल एक्सेस लेवी, 102- वायरलेस प्राप्तियां, 103- सार्वभौमिक सेवा दायित्व के तहत प्राप्तियां, 104- स्पेक्ट्रम नीलामी, और 800- अन्य प्राप्तियां 900- कटौती वापसी। हालांकि, वित्तीय वर्ष 21 के लिये यूजीएफए में ऐसा कोई मुख्य शीर्ष 1225- 'दूरसंचार प्राप्तियां नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, सीजीए कार्यालय ने कहा कि दूरसंचार विभाग द्वारा विभिन्न हितधारकों के परामर्श से शीर्षों में सुधार की प्रक्रिया चल रही थी।
- ग) 01 अप्रैल 2019 से मुख्य शीर्ष 1275 अन्य संचार सेवाएं के तहत लघु शीर्ष 102,103,104 और 105-से नए लेनदेन के लिये प्रचालन में नहीं हैं। हालांकि, वित्तीय वर्ष 21 के दौरान ₹45,215 करोड़ की प्राप्तियाँ लघु शीर्षों - 103,104 और 105 के तहत दर्ज की गईं।

सीजीए कार्यालय ने उत्तर दिया कि दूरसंचार विभाग द्वारा शीर्षों में सुधार की प्रक्रिया चल रही थी।

घ) लघु शीर्ष 101- वायरलेस योजना और समन्वय, 102-मॉनिटरिंग सेवा और 103-सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिये सेवा प्रदाता को मुआवजा, मुख्य शीर्ष 3275-अन्य संचार सेवाओं के तहत 01 अप्रैल 2019 से नए लेनदेन के लिये प्रचालन बंद हो गया। हालांकि, व्यय उक्त सुधार पर्ची के विपरीत इन लघु शीर्षों के तहत ₹6,970.31 करोड़ की राशि बुक की गई थी।

सीजीए कार्यालय ने उत्तर दिया कि दूरसंचार विभाग द्वारा शीर्षों में सुधार की प्रक्रिया चल रही थी।

डीओटी के उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि इन लेखा शीर्षों को बंद करने के बजाय गैर प्रचालनात्मक लेखों शीर्षों का उपयोग किया जा रहा है।

ड) वित्तीय वर्ष 21 के दौरान उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) में इक्विटी के रूप में कुल ₹200 करोड़ का निवेश किया। यह राशि एमएच 4202 के तहत लघु शीर्ष '190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश' में पूंजीगत व्यय के तहत दर्ज की जानी चाहिए थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि लघु शीर्ष 190 के बजाय, व्यय को लघु शीर्ष 203 मुख्य शीर्ष 4202, उप मुख्य शीर्ष 01, स्टेटमेंट 10 में दर्ज किया गया था। इस संबंध में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2022)।

च) जीएसटी संग्रह के लेखांकन के लिये मुख्य शीर्ष '0007- यूटीजीएसटी' के तहत उप मुख्य शीर्ष '07-लद्दाख' और लघु शीर्ष वित्तीय वर्ष 21 से चालू किये जाने थे। हालांकि, वित्तीय वर्ष 21 के लिये यूजीएफए में ऐसा नहीं पाया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, सीजीए कार्यालय ने इसे स्वीकार किया और आगे कहा कि इसी तरह की टिप्पणी केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ की गयी थी जिसके लिये उत्तर प्रतीक्षित था।

3.8.8 आरबीआई और यूजीएफए के नकद शेष के बीच संचयी अंतर

विवरण 13 की संवीक्षा में ₹1,194.34 करोड़ (सीआर)-नागरिक मंत्रालयों ₹529.99 करोड़ (सीआर), केन्द्र शासित प्रदेशों ₹264.93 करोड़ (सीआर) और गैर-सिविल मंत्रालयों ₹399.42 करोड़ (सीआर) के नकद शेष रिज़र्व बैंक जमा और वित्तीय लेखों के बीच शुद्ध संचयी अंतर का पता चला।

इस संबंध में, सीजीए प्राधिकारियों ने कहा कि संघ सरकार की प्राप्तियों को लेखों में संबंधित शीर्षों के तहत जमा किया जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा आरबीआई के साथ निपटान के बाद, संबंधित डेबिट को मुख्य शीर्ष 8675- रिजर्व बैंक के साथ जमा, के तहत बुक किया जाता है। इसी तरह, सभी भुगतान लेखों में संबंधित व्यय शीर्ष के तहत डेबिट किए जाते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा आरबीआई के साथ निपटान के बाद, संबंधित क्रेडिट रिजर्व बैंक के साथ मुख्य शीर्ष 8675 जमा के तहत बुक किए जाते हैं। चूंकि आरबीआई प्राप्तियों को क्रेडिट और भुगतान को डेबिट के रूप में मानता है, आरबीआई की पुस्तकों में एक वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध क्रेडिट शेष को सकारात्मक नकद शेष के रूप में लिया जाता है। हालाँकि, उत्तर मतभेदों के कारण को नहीं बताता है।

इसके अलावा, नमूना जांच किए गए मंत्रालयों/ विभागों में विवरण 13 और भारतीय रिजर्व बैंक (केन्द्रीय लेखा अनुभाग) नागपुर की बीच अंत शेष में अंतर के संदर्भ में नकद शेष की विस्तृत जांच से निम्नलिखित का पता चला:

तालिका 3.14: आरबीआई और यूजीएफए के नकद शेष के बीच अंतर

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अंतर राशि (₹ करोड़ में)	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
1	ऊर्जा मंत्रालय	208.13	पीएओ विद्युत मंत्रालय (सितंबर 2021) और पीएओ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2021) कि भारत कोष के माध्यम से गैर-कर राजस्व (एनटीआर) पोर्टल पर ऑफ लाइन किए गए लेन-देन को ई-लेखा ¹² में दर्शाये जाने के लिए एनटीआर पोस्टल पर लेनदेन के विशिष्ट लेनदेन संदर्भ संख्या (यूटीआरएन) को अद्यतित करने की आवश्यकता है। हालांकि, कुछ जमाकर्ता, एनटीआर पोर्टल पर अपने यूटीआरएन के तहत जमा नहीं कर सके और ऐसे मामले ई-लेखा पर प्रदर्शित नहीं हुए, जिसके कारण आरबीआई के आंकड़ों और ई-लेखा के आंकड़ों के बीच अंतर हो गया।
2	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	10.74	
3	दूरसंचार विभाग	(-) 38.29	विभाग ने कहा (अक्टूबर 2021) कि अंतर बैंकों से वाउचर/स्कॉल प्राप्त न होने, अन्य मंत्रालयों/

¹² आईटी प्रणाली का उपयोग संघ खाते तैयार करने के लिए किया जाता है

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

			विभागों से संबंधित वाउचर/ स्कॉल की प्राप्ति के साथ-साथ एनईएफटी/ आरटीजीएस इत्यादि के माध्यम से भुगतान करने के बाद जमाकर्ताओं द्वारा यूटीआर नंबरों को अपडेट न करने के कारण था।
4	सीबीआईसी	12,428.60 (डेबिट) 21.88 (क्रेडिट)	विभाग ने विभिन्न कारणों को जिम्मेदार ठहराया जैसे पीएओ आरबीआई से देर से स्कॉल प्राप्त करने के कारण अपना खाता बुक करने में सक्षम नहीं थे, भविष्य में/ अगले महीने में समायोजन आदि पीएओ द्वारा बुक करते हुये लंबित रखना।
5	सीबीडीटी	(-)38.20 (डेबिट) 759.99 (क्रेडिट)	विभाग ने कहा कि सभी जोनल लेखा कार्यालयों को शेष राशि/ अंतर को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।"

4

अध्याय

बजटीय प्रबंधन

4.1 विनियोग खातों का अवलोकन

संसद द्वारा अधिनियमित विनियोग अधिनियम सरकार को संविधान के अनुच्छेद 114 के संदर्भ में विभिन्न अनुदानों के तहत पहचान की गई गतिविधियों और कार्यों के लिए भारत की संचित निधि (सीएफआई) से निर्दिष्ट राशि निकालने और सीएफआई पर प्रभारित संवितरण के लिए अधिकृत करता है। संसद संविधान के अनुच्छेद 115 के अनुसार बाद के विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदानों को मंजूरी देती है।


उन मांगों के प्रति विनियोग किए जाते हैं जो पूरी तरह से सीएफआई से 'प्रभारित' की जाती हैं। अनुदान उन मांगों के लिए दिया जाता है जो या तो पूरी तरह से 'दत्तमत' या आंशिक रूप से 'दत्तमत' और आंशिक रूप से 'प्रभारित' होती हैं। वित्तीय वर्ष 21 में छह विनियोग और 95 अनुदान थे।

संसद द्वारा प्राधिकरण, सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) और बजट प्रभाग, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मंत्रालयों और विभागों द्वारा तैयार किए गए बजट अनुमान (बीई) पर आधारित होते हैं। इन निर्देशों में उल्लिखित किया गया है कि बीई सभी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वास्तविक रूप से तैयार हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि अव्ययित शेष से बचा जाए। बजट दस्तावेजों में शामिल करने से पहले बीई की एमओएफ द्वारा जांच की जाती है।

4.1.1 प्रावधानों और व्यय का विवरण

वित्तीय वर्ष 21 के लिए विनियोग खातों में कुल ₹119,04,054.99 करोड़ स्वीकृत प्रावधानों को कवर किया गया है और उस पर कुल व्यय ₹107,52,209.61 करोड़ है।

ग्राफ 4.1: व्यय का ब्यौरा



ग्राफ 4.1 वित्तीय वर्ष 21 के दौरान मंत्रालयों/विभागों- सिविल, रेलवे, रक्षा और डाक में व्यय का विवरण दिखाता है, तथा खंड -वार विवरण²⁵ अनुबंध 4.1 में दिया गया है। कुल सकल व्यय का बड़ा हिस्सा, अर्थात् 92.50 प्रतिशत, सिविल मंत्रालयों द्वारा वहन किया गया था।

तालिका 4.2: प्रावधान, संवितरण और बचत²⁶

(₹ करोड़ में)

विनियोग खाते (अनुदान की संख्या)	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	संवितरण	बचत(-) (प्रतिशत में)
सिविल (97)	1,01,39,291.95	8,42,500.80	1,09,81,792.75	99,46,155.40	-10,35,637.35 (9.43%)
रेलवे (1)	5,21,608.06	956.01	5,22,564.07	4,17,238.92	-1,05,325.15 (20.16%)
रक्षा (2)	3,43,733.69	20,776.05	3,64,509.74	3,58,656.68	-5,853.06 (1.61%)
डाक (1)	35,188.43	--	35,188.43	30,158.61	-5029.82 (14.29%)
कुल	110,39,822.13	8,64,232.86	1,19,04,054.99	1,07,52,209.61	-11,51,845.38 (9.68%)

²⁵ प्रत्येक अनुदान/विनियोग के चार खंड हो सकते हैं - राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत), पूंजी (प्रभारित), और पूंजी (दत्तमत)।

²⁶ विनियोग खातों में, भिन्नताओं को संसद द्वारा स्वीकृत राशियों के संदर्भ में समझाया गया है, जिसमें अनुपूरक अनुदान या विनियोग और उसके प्रति व्यय शामिल हैं। नकारात्मक विविधताओं को 'बचत' और सकारात्मक विविधताओं को 'अतिरिक्त' कहा जाता है।

इस प्रकार, ₹119,04,054.99 करोड़ के कुल प्रावधान की तुलना में ₹107,52,209.61 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 21 में ₹11,51,845.38 करोड़ (9.68 प्रतिशत) का अव्ययित प्रावधान हुआ।

इसके अतिरिक्त, रेल मंत्रालय ने अनुदान स्तर पर अधिक व्यय के अनुमान में ₹956.01 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया था। तथापि, अंतिम व्यय मूल प्रावधान से भी कम था।

4.1.2 प्रभारित और दत्तमत संवितरण

संविधान के अनुच्छेद 112(2) के अनुसार, प्रभारित और दत्तमत व्यय के बीच अंतर किया गया है। प्रभारित किए गए व्यय को संविधान के अनुच्छेद 112(3), 273, 275(1) और 293(2) में परिभाषित किया गया है। प्रभारित व्यय का अनुमान संविधान के अनुच्छेद 113(1) के अनुसार संसद के मत के अधीन नहीं है, लेकिन संसद में इस पर चर्चा की जा सकती है।

कुल मिलाकर, प्रभारित व्यय वित्तीय वर्ष 21 में सीएफआई से कुल संवितरण का 66.24 प्रतिशत था, जैसा कि तालिका 4.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3: प्रभारित और दत्तमत संवितरण


(₹ करोड़ में)

विनियोग	कुल प्रावधान	संवितरण	बचत
प्रभारित			
सिविल	78,59,389.51	71,21,333.92	7,38,055.59
रेलवे	935.63	727.28	208.35
रक्षा	368.02	268.12	99.90
डाक	0.80	0.57	0.23
उप-कुल	78,60,693.96 (66.03%)	71,22,329.89 (66.24%)	7,38,364.07 (64.10%)
दत्तमत			
सिविल	31,22,403.24	28,24,821.48	2,97,581.76
रेलवे	5,21,628.44	4,16,511.64	1,05,116.80
रक्षा	3,64,141.72	3,58,388.56	5,753.16
डाक	35,187.63	30,158.04	5,029.59
उप-कुल	40,43,361.03 (33.97%)	36,29,879.72 (33.76%)	4,13,481.31 (35.90%)
कुल	1,19,04,054.99	1,07,52,209.61	11,51,845.38

वित्तीय वर्ष 21 में, सिविल मंत्रालयों/ विभागों के संबंध में, मुख्य प्रभारित संवितरण में दो विनियोग शामिल थे अर्थात् ऋण का पुनर्भुगतान और ब्याज का भुगतान, तथा अनुदान-राज्यों को हस्तांतरण।

ग्राफ 4.4: सिविल मंत्रालयों/विभागों में प्रभारित और दत्तमत संवितरण

(₹ करोड़ में)



जैसा कि ग्राफ 4.4 से देखा जा सकता है, जबकि वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 20 तक लगातार वृद्धि दिखाने के बाद प्रभारित व्यय में वित्तीय वर्ष 21 में थोड़ी कमी आई थी, वित्तीय वर्ष 17 के बाद से दत्तमत व्यय लगातार बढ़ता गया, वित्तीय वर्ष 21 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

इसके अलावा, प्रतिशत के संदर्भ में सिविल मंत्रालयों/ विभागों का प्रभारित संवितरण वित्तीय वर्ष 17 के बाद से वित्तीय वर्ष 21 में 82.42 प्रतिशत से 71.60 प्रतिशत तक थोड़ा लेकिन लगातार घट रहा था।

इस अध्याय के बाद के पैराग्राफों में विनियोग खातों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल हैं। संसद द्वारा नियमितीकरण की आवश्यकता वाले अधिक व्यय से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्पणियां; महत्वपूर्ण बचत; अनावश्यक पुनर्विनियोग; आवश्यकता के बिना प्राप्त पूरक प्रावधान; निधि विलंब से वापस करना और वापस नया करना; निधि के पर्याप्त प्रावधान के बिना किया गया व्यय; और व्यय का गलत वर्गीकरण।

4.2 अधिकृत व्यय में अंतर

संविधान के अनुच्छेद 114(3) में प्रावधान है कि कानून द्वारा किए गए विनियोगों के अलावा सीएफआई से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 57(3) में कहा गया है कि आकस्मिक निधि से अनुपूरक अनुदान या अग्रिम प्राप्त करने के अलावा, कोई भी व्यय, जिसके कारण कुल अनुदान या विनियोग के तहत निर्धारित राशि से अधिक व्यय हो, ऐसा व्यय नहीं किया जाएगा। अधिक व्यय, यदि कोई हो, को संविधान के अनुच्छेद 115(1)(बी) के तहत संसद द्वारा नियमित करने की आवश्यकता है।

लोक लेखा समिति (पीएसी) (10^{वीं} लोकसभा 1993-94) ने अपनी 60^{वीं} रिपोर्ट में देखा था कि ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत दोषपूर्ण बजट प्रबंधन के साथ-साथ अनुदान या विनियोग में बजट निष्पादन में कमी का संकेत है। अपनी 16^{वीं} रिपोर्ट में, पीएसी (13^{वीं} लोकसभा 2000 -2001) ने फिर से देखा कि ऐसी बचत अविवेकपूर्ण बजट बनाने के परिणामस्वरूप है और यह माना गया कि यथार्थवादी बजटीय अनुमान बनाकर इन्हें काफी कम किया जा सकता था। परिणामस्वरूप, एमओएफ ने मंत्रालयों/विभागों को योजनाओं का अधिक सावधानीपूर्वक बनाने और निधि की आवश्यकता का वास्तविक मूल्यांकन करने की सलाह²⁷ दी।

उपरोक्त के बावजूद, हर साल महत्वपूर्ण बचत और बजटीय प्रावधानों से अधिक के मामले देखे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 21 के लिए इस तरह के बदलावों की चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

4.2.1 अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय

तीन अनुदानों ने वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संसदीय प्राधिकरण से अधिक ₹1,18,651.04 करोड़ का व्यय दिखाया।

²⁷ एमओएफ ने 20 जुलाई 2001 को एडवाइजरी जारी की और 22 जुलाई 2015 को इसे फिर से जारी किया।

तालिका 4.5: अनुदानों/विनियोगों पर अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान का विवरण	कुल प्रावधान	कुल व्यय	अधिक व्यय
1.	15-खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (दत्तमत राजस्व)	4,35,596.24	5,54,244.84	1,18,648.60 (118648,59,80,000)
<p>अतिरिक्त²⁸ का मुख्य घटक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को देय सब्सिडी के कारण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सरकार ने एफसीआई को एनएसएसएफ ऋण अनुदान की बकाया राशि का पूर्ण पुनर्भुगतान यह कहते हुए किया था कि अतिरिक्त को एमओएफ के परामर्श से संसद की मंजूरी प्राप्त करके उचित समय पर नियमित किया जाएगा।</p> <p>लेखापरीक्षा ने देखा कि जबकि मूल प्रावधान ₹77,982.54 करोड़ था, विभाग को एफसीआई को एनएसएसएफ ऋण के नियमित पुनर्भुगतान/अग्रिम की अदायगी के लिए 26 मार्च 2021 को अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच के माध्यम से ₹2,50,162.13 करोड़ आवंटित किए गए थे। बाद में, 30 मार्च 2021 को, वित्त मंत्रालय ने विभाग को एफसीआई को एनएसएसएफ के पूरे बकाया ऋण को चुकाने के लिए ₹1,18,712.00 करोड़ की और राशि जारी करने का निर्देश दिया।</p> <p>यह मानते हुए कि ऋण विवरण ज्ञात मात्रा थे, अधिक व्यय किए जाने का कारण ऋण की पूर्ण अदायगी के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के माध्यम से संसद की मंजूरी लेने के अवसर के बावजूद किए गए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता को स्पष्ट नहीं करता है।</p> <p>यह भी देखा गया है कि अनुदान स्तर पर यह कम से कम पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक अतिरिक्त व्यय रहा है।</p>				
2.	18-रक्षा मंत्रालय (सिवल) (पूँजीगत दत्तमत)	8,805.00	8,806.92	1.92 (1,91,62,184)
<p>विभाग ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य शीर्ष-4552 से कार्यात्मक शीर्ष के लिए निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए और सीमा सड़क संगठन द्वारा किए गए अधिक कार्यों के कारण था।</p>				
3.	21-रक्षा पेंशन (राजस्व प्रभारित)	7.31	7.83	0.52 (52,22,461)
<p>विभाग ने बताया कि आधिक व्यय अनुमान से अधिक अदालती मामलों को अंतिम रूप देने के कारण था।</p>				
कुल				1,18,651.04

4.2.2 बचत का विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, सभी अनुदानों/ विनियोगों के तहत कुल बचत ₹11,51,845.38 करोड़²⁹ थी और यह कुल अधिकृत राशि का 9.68 प्रतिशत थी। 77 अनुदानों/ विनियोगों के 113 खंडों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई और राशि ₹12,68,488.40 करोड़ थी। विवरण **अनुलग्नक 4.2** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण बचत वाले अनुदानों की जांच की और उनके विश्लेषण की चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

²⁸ ₹1,18,758.63 करोड़ से अधिक उप-शीर्ष 2408.01.102.10- 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न लेनदेन पर एफसीआई और अन्य को देय सब्सिडी' के तहत था।

²⁹ यह तालिका 4.5 में दिए गए अतिरिक्त व्यय को घटाए बिना है।

4.2.2.1 अनुदान/विनियोग स्तर पर महत्वपूर्ण बचत

लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 21 के दौरान 22 अनुदानों/विनियोगों में अनुदान/विनियोग स्तर पर ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत देखी जैसा कि तालिका 4.6 में दिखाया गया है।

तालिका 4.6: अनुदान स्तर पर महत्वपूर्ण बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	बचत ³⁰
1.	83-रेलवे	5,22,564.07	4,17,238.92	1,05,325.15
2.	19-रक्षा सेवाएं (राजस्व)	2,29,999.74	2,24,351.76	5,647.98
3.	21-रक्षा पेंशन	1,33,826.41	1,28,065.88	5,760.53
4.	12-डाक विभाग	35,188.43	30,158.61	5,029.82
5.	38-राज्यों को हस्तांतरण	3,97,790.23	3,52,369.11	45,421.12
6.	42-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	1,40,805.82	95,191.71	45,614.11
7.	27-आर्थिक मामलों का विभाग	60,830.72	26,855.69	33,975.03
8.	01-कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	1,34,607.81	1,08,622.51	25,985.30
9.	13-दूरसंचार विभाग	79,431.71	53,510.82	25,920.89
10.	59-उच्च शिक्षा विभाग	59,779.06	34,681.10	25,097.96
11.	58-स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	1,06,040.78	84,013.96	22,026.82
12.	57-आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	67,786.29	53,410.65	14,375.64
13.	48-पुलिस	1,06,633.39	93,187.35	13,446.04
14.	29-वित्तीय सेवा विभाग	60,780.64	48,939.16	11,841.48
15.	100-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	30,52.11	19,244.03	11,268.08
16.	85-ग्रामीण विकास विभाग	3,44,955.53	3,36,116.76	8,838.77
17.	77-विद्युत मंत्रालय	22,284.79	14,940.49	7,344.30
18.	6-उर्वरक विभाग	1,39,386.53	1,32,084.34	7,302.19
19.	84-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1,96,544.85	1,89,789.88	6,754.97
20.	62- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	32,518.10	26,967.39	5,550.71
21.	35-ब्याज भुगतान	7,33,203.16	7,20,985.20	12,217.96
22.	36-ऋण का पुनर्भुगतान	68,90,921.56	61,84,635.33	7,06,286.23

22 अनुदानों / विनियोगों में से, 9 अनुदानों / विनियोगों में वित्तीय वर्ष 19 और वित्तीय वर्ष 20 में भी लगातार बचत थी, जैसा कि तालिका 4.7 में दिखाया गया है।

³⁰ यह एक ही अनुदान के तहत अतिरिक्त कुल है।

**तालिका 4.7: वित्तीय वर्ष 19 से वित्तीय वर्ष 21 के दौरान ₹5,000 करोड़
या उससे अधिक की लगातार बचत**

(₹ करोड़ में)

क्र सं	अनुदान विवरण	वित्तीय वर्ष 21	वित्तीय वर्ष 20	वित्तीय वर्ष 19
1.	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	25,985.30	35,973.85	21,295.20
2.	आर्थिक मामलों का विभाग	33,975.03	12,378.93	8,860.75
3.	ऋण का पुनर्भुगतान	7,06,286.23	19,840.23	1,26,622.11
4.	राज्यों को हस्तांतरण	45,421.12	6,718.00	27,811.48
5.	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	14,375.64	12,792.43	9,380.44
6.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	22,026.82	15,076.99	9,383.05
7.	उच्च शिक्षा विभाग	25,097.96	17,242.27	11,292.39
8.	रेलवे	1,05,325.15	56,744.21	18,404.04
9.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	6,754.97	14,455.31	7,412.99

सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में नियमित रूप से इंगित किए जाने के बावजूद और पीएसी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यथार्थवादी बजट पर एमओएफ द्वारा जारी अड्वाइज़री, बजट बनाने में उचित परिश्रम की निरंतर कमी और/या बजट निष्पादन में कमी को दर्शाता है।

4.2.2.2 लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण बचतें

97 सिविल अनुदानों की संवीक्षा में 69 अनुदानों/विनियोगों में महत्वपूर्ण बचत के 324 मामलों³¹ का पता चला, अर्थात् अनुदान/विनियोग के तहत लघु शीर्ष/उप शीर्ष स्तर पर ₹500 करोड़ या उससे अधिक की बचत और न्यूनतम ₹100 करोड़ होने पर, आवंटन के 25 प्रतिशत से अधिक की बचत। विवरण **अनुलग्नक 4.3क** में दिया गया है।

इसके अलावा, 324 मामलों में से 191 मामलों में लघु/उप-शीर्षों में महत्वपूर्ण बचत है और अनुदान/विनियोगों के स्तर पर ₹5,000 करोड़ से अधिक की बचत के साथ अनुदान/विनियोग के तहत आने वाले मामलों का उनकी भौतिकता के आधार पर, पैराग्राफ 4.2.2.1 में उल्लेख किया गया है। प्रत्येक अनुदान के तहत महत्वपूर्ण बचत के शेष 133 मामलों³² पर **अनुलग्नक 4.3ख** में चर्चा की गई है।

³¹ एनईआर से संबंधित मुख्य शीर्ष 2552 और 4552 के तहत बचत को बाहर रखा गया है क्योंकि वे गैर-कार्यात्मक शीर्ष हैं

³² अनुच्छेद 4.2.2.1 में शामिल अनुदानों के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण बचत मामलों को छोड़कर

4.2.2.3 बचत के कारणों का विश्लेषण

उप-शीर्ष स्तर पर बचत के उपर्युक्त 324 मामलों के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारणों के विश्लेषण से पता चला है कि कोविड -19 महामारी सबसे अधिक उद्धृत कारकों में से एक थी क्योंकि 101 मामलों में यही कारण बताया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि मंत्रालयों/विभागों ने बड़ी संख्या में मामलों में प्रस्तावों की गैर/कम प्राप्ति, मांग की गैर/कम प्राप्ति, गैर/कम दावों की प्राप्ति आदि जैसे सामान्यीकृत कारण बताए थे, जो खातों के उपयोगकर्ता की कम समझ को दर्शाता है। यह सिविल लेखा नियमावली के पैरा 11.5.2 के उल्लंघन में था जो यह निर्धारित करता है कि भिन्नताओं के कारण संक्षिप्त, स्पष्ट और विश्लेषणात्मक होने चाहिए जिनका उल्लेख उनके महत्व के अनुसार किया जाना चाहिए। सामान्य कारणों जैसे 'अधिक अनुमानों के कारण', 'वास्तविक व्यय पर आधारित', 'कम (या अधिक) व्यय के कारण', 'कम (या अधिक) मांगों के कारण' आदि से बचा जाना चाहिए और मंत्रालय/विभाग से सही और विशिष्ट कारणों को स्पष्ट करने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, पैराग्राफ 4.2.2.1 और 4.2.2.2 में चर्चा की गई बचत के मामलों को बचत के व्यापक कारणों के आधार पर तालिका 4.8 में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका 4.8: बचतों का वर्गीकरण

श्रेणी	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ
व्यय के नियमन के कारण	1,35,831.17	इस श्रेणी में मुख्य रूप से जीएसटी मुआवजा कोष/ एनआईएफ/ सीआरआईएफ आदि में स्थानांतरण के लिए आरई चरण में प्रावधान में कमी के कारण ₹59,800.94 करोड़ शामिल हैं; गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए एनडीआरएफ से राज्य को सहायता के लिए ₹16,742.89 करोड़; विशेष सहायता (राज्यों) के लिए ₹13,003.84 करोड़।
योजनाओं और गतिविधियों के निष्पादन में कमियां दर्शाने वाले कारण	81,931.15	इसमें प्रस्तावों की गैर/कम प्राप्ति; समझौते का गैर निष्पादन ; मांग की गैर/कम प्राप्ति; दावों की गैर/कम प्राप्ति; उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि की प्राप्ति न होना जैसे कारण शामिल थे।
कोविड-19 के कारण	88,292.31	इसमें कोविड -19 के कारण बचत शामिल है।
आरक्षित निधि में निधियों का अंतरण न करना	37,472.68	लेखांकन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप न देने के कारण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा; मध्यम और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके); सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ)निधि में स्थानांतरण के लिए संपूर्ण प्रावधान। <i>यह अनुशंसा की जाती है कि लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में तेजी लाई जाए और संबंधित लेखा अधिकारियों को सही प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी जाए।</i>

4.3 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 115(1) में प्रावधान है कि भुगतान किए जाने से पहले पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना आवश्यक है, जब धन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुदान खंड के भीतर बचत उपलब्ध नहीं है या यदि व्यय 'नई सेवा'³³ या 'सेवा के नए साधन'³⁴ पर किया जाना है।

उन मामलों की जांच, जहां मूल प्रावधानों के अतिरिक्त ₹10 करोड़ या उससे अधिक का अनुपूरक प्रावधान किया गया था, यह दर्शाता है कि 8 अनुदानों के तहत 11 लघु/उप-शीर्षों में, उच्च व्यय के अनुमान से वित्तीय वर्ष 21 के दौरान ₹1,680.17 करोड़ की राशि के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए थे, लेकिन ₹10,219.33 करोड़ का अंतिम व्यय, ₹13,017.06 करोड़ के मूल प्रावधान से भी कम था। इस तरह का अनावश्यक प्रावधान बजट प्रबंधन की अपर्याप्तता को इंगित करता है। अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों के मामलों का विवरण **अनुलग्नक 4** में दिया गया है।

4.4 लघु/ उप-शीर्षों से/को अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

पीएसी ने अपनी 83^{वीं} रिपोर्ट (15^{वीं} लोकसभा, 2012-13) में उल्लेख किया है कि निधियों का पुनर्विनियोजन तभी किया जा सकता है जब यह सकारात्मक रूप से ज्ञात हो या वास्तव में प्रत्याशित हो कि जिस इकाई से निधियों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता है या उचित निश्चितता है कि विनियोग की इकाई में बचत को प्रभावित किया जा सकता है।

₹10 करोड़ से अधिक के पुनर्विनियोग की संवीक्षा से पता चला कि आठ अनुदानों/विनियोगों के आठ मामलों में, कुल ₹3,377.23 करोड़ का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था क्योंकि लघु/उप-शीर्षों के तहत स्वीकृत प्रावधान जिसमें पुनर्विनियोग के माध्यम से वृद्धि की गई थी, पर्याप्त था और इन लघु/उप-शीर्षों के पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के परिणामस्वरूप, शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत इन शीर्षों में पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। विवरण **अनुलग्नक 4.5क** में दिया गया है।

³³ नई गतिविधि या निवेश के नए रूप सहित, पहले संसद के ध्यान में नहीं लाए गए, नए नीतिगत निर्णय से उत्पन्न होने वाले व्यय को संदर्भित करता है।

³⁴ मौजूदा गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न एक निश्चित सीमा से अधिक व्यय।

इसी प्रकार, दो अनुदानों के तीन मामलों में, कुल मिलाकर ₹612.62 करोड़ का पुनर्विनियोजन इन लघु/उप-शीर्षों से अन्य शीर्षों में अविवेकपूर्ण तरीके से किया गया और परिणामस्वरूप इन लघु/उप-शीर्षों में ₹47.44 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। विवरण **अनुलग्नक 4.5ख** में दिया गया है।

4.5 निधि का अनियमित पुनर्विनियोग

एमओएफ (सितंबर 2020) ने निर्देश जारी³⁵ किए कि मंत्रालय/ विभाग, राशियों पर ध्यान दिए बिना, वस्तु शीर्ष 'विदेशी यात्रा व्यय', 'घरेलू यात्रा व्यय', 'कार्यालय व्यय', 'अन्य प्रशासनिक व्यय' और 'विज्ञापन और प्रचार' के संबंध में पुनर्विनियोजन के लिए और पूंजीगत भाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष से उसी भाग या/और राजस्व भाग में वस्तु शीर्षों से पुनः विनियोग के लिए व्यय विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग की संवीक्षा से पता चला कि पूंजीगत खंड के अंतर्गत कुल ₹137.03 करोड़ और राजस्व भाग से ₹38.62 करोड़ की राशि का पुनर्विनियोजन वित्त मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना किया गया था।

इसके अलावा, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, 1978 के नियम 10 के नीचे भारत सरकार के निर्णय (2) में कहा गया है कि सभी पुनर्विनियोग, इस तथ्य के बावजूद कि ये वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुमानों के आधार पर किए गए हैं, जिनका उप-शीर्ष के तहत ₹5 करोड़ या उससे अधिक का बजट प्रावधान बढ़ाने का प्रभाव है, केवल सचिव (व्यय) के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।

अनुदान संख्या 12-डाक विभाग के विनियोग खातों और अन्य सहायक दस्तावेजों की जांच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 21 के लिए कुल ₹81.67 करोड़ की राशि के लिए निधि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव बजट प्रभाग, एमओएफ को सचिव (व्यय) के अनुमोदन के लिए 30 मार्च 2021 को प्रस्तुत किया गया था। तथापि, डाक विभाग द्वारा प्राप्त, कम प्राप्तियों के कारण एमओएफ द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था।

उत्तर में, डाक विभाग (अप्रैल 2021) ने एमओएफ को सूचित किया कि राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा, और प्राप्तियों के अंतिम आंकड़े मार्च अनुपूरक प्रस्तुत करने के बाद ही ई- लेखा में परिलक्षित होंगे और इसलिए, पुनर्विनियोग प्रस्ताव को

³⁵ एमओएफ का कार्यालय जापन, दिनांक 23 सितंबर 2020

स्वीकार किया जा सकता है। इस संबंध में डीओपी द्वारा एमओएफ का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था।

एमओएफ द्वारा डाक विभाग के पुनर्विनियोग प्रस्ताव का अनुमोदन न होने के कारण दिनांक 30 मार्च 2021 का ₹81.67 करोड़ का पुनर्विनियोजन आदेश अनियमित है।

4.6 निधि के पर्याप्त प्रावधान के बिना किया गया व्यय

जीएफआर, 2017 के नियम 61 के अनुसार, लेखा अधिकारी मुख्य लेखा प्राधिकरण के विशिष्ट अनुमोदन के बिना बजट प्रावधानों से अधिक की मंजूरी के प्रति किसी भी भुगतान की अनुमति नहीं देगा। बल्कि, एक शीर्ष के तहत किसी भी अतिरिक्त को मंजूरी देने से पहले, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा प्राधिकरण पुनर्विनियोग/ अनुदान की अनुपूरक मांग के माध्यम से राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

वित्तीय वर्ष 21 के लिए शीर्ष-वार विनियोग खातों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि ₹25 करोड़ या उससे अधिक का अतिरिक्त व्यय, कुल मिलाकर ₹9,376.84 करोड़, 10 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 31 लघु/ उप-शीर्षों के अंतर्गत, निधि का पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित किए बिना, किया गया। इस प्रकार, उपर्युक्त अधिकारियों ने जीएफआर का उल्लंघन किया। विवरण **अनुलग्नक 4.6** में दिया गया है।

4.7 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचत का अभ्यर्पण और गैर-अभ्यर्पण

जीएफआर, 2017 के नियम 62(2) में प्रावधान है कि बचत के साथ-साथ प्रावधान जिनका लाभकारी उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना तुरंत सरकार को सौंप दिया जाएगा। तदनुसार, मंत्रालय ने मंत्रालयों/ विभागों को विनियोग की प्रत्येक इकाई के अंतर्गत सभी बचतों के अभ्यर्पण की सूचना देने के लिए 20 मार्च 2021 की समय सीमा निर्धारित की (फरवरी 2021)³⁶।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सिविल अनुदान/विनियोग के तहत ₹10,35,637.35 करोड़ की बचत में से, वर्ष के दौरान कुल बचत का 7.64 प्रतिशत (₹79,168.07 करोड़) अभ्यर्पित नहीं किया गया था और व्यपगत होने की अनुमति दी गई थी।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण करने वाले अनुदानों/ विनियोगों की जांच / ₹100 करोड़ या उससे अधिक की व्यपगत राशि से पता चला कि 48

³⁶ वित्त मंत्रालय का OMFNo.2(12)-B(D)/2021 दिनांक 11 फरवरी 2021

अनुदानों / विनियोगों से संबंधित ₹9,73,987.84 करोड़ या तो 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किए गए थे या व्यपगत होने की अनुमति दी गई थी। विवरण **अनुलग्नक 4.7** में दिया गया है। इस प्रकार, कुल बचत का लगभग 93 प्रतिशत या तो 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित कर दिया गया था या व्यपगत होने की अनुमति दी गई थी।

नमूना-जांच किए गए विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत बचत में से विनियोग संख्या 36-ऋण की अदायगी के अंतर्गत ₹7,06,286.23 करोड़; अनुदान संख्या 42-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत ₹45,614.11 करोड़; अनुदान संख्या 38-राज्यों को हस्तांतरण के तहत ₹45,421.12 करोड़; अनुदान संख्या 01-कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के तहत ₹25,985.30 करोड़ और अनुदान संख्या 58-स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत ₹22,026.82 करोड़ को या तो व्यपगत होने दिया गया या वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित कर दिया गया।

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचत के अभ्यर्पण करने में विफलता अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को इंगित करती है। यह वित्तीय नियोजन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह उन गतिविधियों के लिए संसाधनों को पुनः आवंटित करने से रोकता है जहां धन की आवश्यकता होती है।

4.8 प्रावधानों को बढ़ाने के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता

एमओएफ ने निर्धारित किया³⁷ कि वस्तु शीर्षों (i) 'सहायता अनुदान' (ii) 'सब्सिडी' और (iii) 'मुख्य कार्य' के पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान में वृद्धि उसी सीमा को आकर्षित करेगी जो नई सेवा/ सेवा का नया साधन पर लागू होती है और यह केवल संसद के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है। इन आदेशों का पालन करने में विफलता को संघ सरकार के खातों पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार इंगित किया गया है।

इस संदर्भ में, पीएसी³⁸ का विचार था कि एमओएफ को यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए कि निर्दिष्ट सीमा से परे उपरोक्त वस्तु शीर्षों के प्रावधानों को संसद के अनुमोदन के बिना संवर्धित नहीं किया जाए। पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों

³⁷ आर्थिक मामलों के विभाग के आदेश (मई 2006) और उस पर स्पष्टीकरण (मई 2012 और जुलाई 2015)

³⁸ पीएसी 83^{वाँ} रिपोर्ट (2012-13), 15^{वाँ} लोकसभा

और पीएसी सिफारिशों के बावजूद, वस्तु शीर्ष - 'सहायता अनुदान' और 'पूँजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान' से संबंधित दो अनुदानों के तहत निम्नलिखित पांच मामलों में कुल निर्दिष्ट से अधिक, ₹7.58 करोड़ का व्यय हुआ था। वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना, जैसा कि तालिका 4.9 में दर्शाया गया है।

ग्राफ 4.9: पूर्वानुमोदन के बिना वस्तु शीर्ष के प्रावधान में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	खाते का शीर्ष	टीए*	टीई*	टीए से अधिक
वस्तु शीर्ष 31-सहायता अनुदान-सामान्य				
अनुदान संख्या 18- रक्षा मंत्रालय (सिवल)				
1.	2052.00.092.02.01.31- अन्य कार्यालय-रक्षा लेखा विभाग	0.04	0.08	0.04
2.	2052.00.092.03.01.31-अन्य कार्यालय-रक्षा संपदा संगठन	304.60	305.56	0.96
अनुदान संख्या 91- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय				
3.	2230.03.102.15.11.31- शिक्षता का संवर्धन	8.43	10.00	1.57
	मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2021) कि वृद्धि संसद से सांकेतिक अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने के बाद की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुपूरक अनुदान उप-योजना 'कौशल विकास' (2230.03.102.15.07) के तहत प्राप्त किया गया था न कि उक्त उप-योजना के लिए।			
वस्तु शीर्ष 35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान				
अनुदान संख्या 91- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय				
4.	2230.03.789.08.11.35- संस्थागत प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण (एससीएसपी घटक)	4.56	9.51	4.95
5.	2230.03.796.09.11.35- संस्थागत प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण (टीएसपी घटक)	1.28	1.34	0.06
	मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2021) कि चूंकि पुनर्विनियोग की राशि ₹5 करोड़ से कम थी, सचिव पुनर्विनियोग को अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 'वस्तु शीर्ष-35' के तहत प्रावधान को बढ़ाने के लिए संसद की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।			
			कुल	7.58

*टीए = कुल प्राधिकरण (एनईआर प्रावधानों सहित), टीई = कुल व्यय

4.9 व्यय का गलत वर्गीकरण

संविधान के अनुच्छेद 112(2) में प्रावधान है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करेगा। राजस्व खाते और पूँजीगत खाते पर व्यय को वर्गीकृत करने के सिद्धांतों का तदनुसार पालन किया जाना चाहिए।

जीएफआर, 2017 के नियम 78 में प्रावधान है कि सरकारी खातों में लेन-देन का वर्गीकरण उस विभाग के बजाय सरकार के कार्यों, कार्यक्रमों और गतिविधियों और व्यय की वस्तु के संदर्भ में होगा, जिसमें प्राप्ति या व्यय होता है। इसके अलावा, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 (डीएफपीआर) के नियम 8 में लेनदेन की प्रकृति/प्रकार का वर्णन किया गया है जिसे विनियोग की प्रत्येक मानक प्राथमिक इकाई के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

छ: चयनित अनुदानों³⁹ से संबंधित लेनदेनों की नमूना-जांच से निम्नलिखित का पता चला।

4.9.1 मुख्य शीर्षों के साथ वस्तु शीर्षों का गलत उपयोग

डीएफपीआर का नियम 8 वस्तु शीर्ष (51-56 और 60) को निर्दिष्ट करता है जो 'वस्तु वर्ग VI' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो 'पूँजीगत परिसंपत्ति और अन्य पूँजीगत व्यय का अधिग्रहण' से संबंधित है। इसलिए, इन वस्तु शीर्षों का उपयोग केवल पूँजीगत प्रकृति के व्यय को वर्गीकृत करने के लिए किया जा सकता है और केवल पूँजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप हो सकता है। अन्य वस्तु वर्गों (वर्ग I से V) के अंतर्गत आने वाले वस्तु शीर्षों का उपयोग आमतौर पर राजस्व व्यय को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है और आमतौर पर पूँजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप नहीं होना चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 21 के लिए तीन अनुदानों के चार मामलों में, कुल ₹28.87 करोड़ का व्यय वस्तु शीर्षों और पूँजीगत/राजस्व मुख्य शीर्षों के गलत संयोजन के तहत दर्ज किया गया था (अनुलग्नक 4.8)।

4.9.2 राजस्व और पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण

जीएफआर, 2017 के नियम 84 में प्रावधान है कि एक चालू क्रम में परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक रखरखाव, मरम्मत, रखरखाव और काम करने के खर्च के साथ-साथ एक संगठन के दिन-प्रतिदिन चलने वाले अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

³⁹ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और दूरसंचार विभाग

अनुदान 03-परमाणु ऊर्जा विभाग की लेखापरीक्षा नमूना-जांच में व्यय के गलत वर्गीकरण के दो मामले सामने आए। एक मामले में, ₹5.76 करोड़ के कुल राजस्व प्रकृति के व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था और अन्य मामले में, ₹70.00 करोड़ के पूंजीगत प्रकृति के व्यय को गलत तरीके से राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था (अनुलग्नक 4.9)।

4.9.3 विनियोग की प्राथमिक इकाइयों के बीच गलत वर्गीकरण

लेखापरीक्षा नमूना-जांच से पता चला कि 16 मामलों में, ₹502.13 करोड़ की कुल निधि को विनियोग की प्राथमिक इकाइयों के बीच गलत वर्गीकृत किया गया था। ₹25 करोड़ और उससे अधिक के गलत वर्गीकरण के मामलों में '33-सब्सिडी' का '31-सहायता अनुदान' (₹149.00 करोड़ - भारी उद्योग विभाग) के रूप में गलत वर्गीकरण शामिल है; '26-विज्ञापन और प्रचार' का '20-अन्य प्रशासनिक व्यय' के रूप में गलत वर्गीकरण (₹84.00 करोड़-वाणिज्य विभाग); '30-अन्य संविदात्मक सेवाओं' का '50-अन्य शुल्क' (₹179.19 करोड़ - ग्रामीण विकास विभाग) के रूप में गलत वर्गीकरण (अनुलग्नक 4.10)।

4.10 गैर-कार्यात्मक शीर्ष 2552 से पुनर्विनियोग के लिए बजट प्रावधानों का अनुपालन करना

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के विकास के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए बजट प्रावधान⁴⁰, व्यय के उपयुक्त कार्यात्मक शीर्षों के अंतिम पुनर्विनियोग के लिए, राजस्व व्यय के लिए मुख्य शीर्ष '2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र', पूंजीगत व्यय के लिए मुख्य शीर्ष '4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय' और मुख्य शीर्ष '6552-पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ऋण', के तहत 'एकमुश्त' के रूप में तैयार किया जाता है। विभिन्न कार्यात्मक प्रमुख/उप-प्रमुख/लघु शीर्षों के अनुरूप वस्तु शीर्ष स्तर तक पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के विकास के लिए एकमुश्त प्रावधान का विवरण, विवरण दर्शाते हुए, अंतिम पुनर्विनियोग के लिए मुख्य शीर्ष 2552/4552/6552 के अंतर्गत अनुदान के लिए विस्तृत अनुदान मांग में दर्शाया जा सकता है।

अनुदान 91-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत निधि के पुनर्विनियोग की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एनईआर के अंतर्गत गैर-कार्यात्मक शीर्षों से

⁴⁰ वित्तीय वर्ष 20 और 21 के बजट परिपत्र के पैरा 6.3

संबंधित शीर्षों का कार्यात्मक शीर्षों के अनुपालन के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, जबकि निधि के पुनर्विनियोग का विस्तृत रूप से पालन नहीं किया गया है। जैसा तालिका 4.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.10: एनईआर शीर्षों से कार्यात्मक शीर्षों में अनियमित पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पुनर्विनियोग आदेश दिनांक	से		प्रति		टिप्पणियां
		शीर्ष	राशि	शीर्ष	राशि	
1.	26 दिनांक 06 जनवरी 2021	2552.00.507.01.11.31	2.54	3601.06.101.36.07.31	2.54	विस्तृत शीर्ष जिसमें निधियों का पुनर्विनियोजन किया गया है, भिन्न हैं।
2.	31 दिनांक 16 फरवरी 2021	2552.00.507.01.08.31	0.50	3601.06.101.36.07.35	0.50	वस्तु शीर्ष जिसमें निधियों का पुनर्विनियोजन किया गया है, भिन्न हैं।
3.	29 दिनांक 10 फरवरी 2021	2552.00.507.01.11.31	11.10	3601.06.101.36.07.35	11.10	विस्तृत और वस्तु शीर्ष जिनमें निधियों का पुनर्विनियोजन किया गया है, भिन्न हैं।
4.	46 दिनांक 19 मार्च 2021	2552.00.507.01.02.31	16.87	3601.06.101.36.07.35	18.59	विस्तृत और वस्तु शीर्ष जिनमें निधियों का पुनर्विनियोजन किया गया है, भिन्न हैं।
		2552.00.507.01.08.31	1.72			
5.	49 दिनांक 25 मार्च 2021	2552.00.507.01.10.31	1.16	2230.03.102.15.12.35	1.16	विस्तृत और वस्तु शीर्ष जिनमें निधियों का पुनर्विनियोजन किया गया है, भिन्न हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मुख्य शीर्ष 2552 के तहत इन एकमुश्त प्रावधानों के संबंध में उप-शीर्ष, विस्तृत-शीर्ष और वस्तु शीर्ष को पुनः विनियोग के समय अंतिम कार्यात्मक शीर्षों में बदल दिया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि मंत्रालय ने उक्त बजट प्रावधानों के उल्लंघन में गैर-कार्यात्मक शीर्ष 2552 में 2552.00.507.01.10.31 से 2552.00.507.01.02.31 तक विस्तृत शीर्ष स्तर पर ₹11.50 करोड़ का पुनः विनियोजन किया।

मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2021) कि सभी मामले गैर-कार्यात्मक एमएच-2552 से कार्यात्मक शीर्ष एमएच-3601 में निधियों के पुनर्विनियोजन से संबंधित हैं। यह भी कहा गया कि एनईआर के लिए एकमुश्त प्रावधान से संबंधित योजनाओं के लिए निधियों के पुनर्विनियोजन की शक्ति मंत्रालय/विभाग के सचिवों को सौंप दी गई है, जैसा कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 22 जुलाई 2015 के कार्यालय ज्ञापन में निहित है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय को व्यय के उपयुक्त कार्यात्मक शीर्षों के अंतिम पुनर्विनियोग के लिए एकमुश्त प्रावधानों का पुनर्विनियोजन करते समय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र और कार्यालय ज्ञापन का अनुपालन करना चाहिए था।

4.11 कटौती वसूली के रूप में ब्याज आय का गलत वर्गीकरण

अनुदान संख्या 70-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) में यह देखा गया कि अनुदानकर्ताओं से पिछले वर्षों से संबंधित अप्रयुक्त सहायता अनुदान पर ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि को मंत्रालय द्वारा लघु शीर्ष '2810.000.911 - अधिक भुगतान की कटौती की वसूली' के तहत दर्ज किया गया था। 2020-21 के दौरान, मंत्रालय ने सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) से प्राप्त कटौती वसूली के रूप में अप्रयुक्त अनुदान पर ₹0.93 करोड़ की ब्याज आय का गलत वर्गीकरण किया, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 21 के दौरान वसूली और कुल व्यय को कम बताया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2021) और कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज के लिए लेखा शीर्ष 0049.03.190 खोल दिया गया है।

शीर्ष 0049.03.190 खोलने का मंत्रालय का उत्तर उचित नहीं है। इस मामले में, एलएमएमएचए को सामान्य निर्देशों के पैरा 2.5 के संदर्भ में, अप्रयुक्त शेष राशि पर

अनुदान के उपयोग न किए गए अनुदान पर ब्याज को मंत्रालय के कार्यात्मक प्राप्ति शीर्ष के तहत लघु शीर्ष 801-ब्याज या अनुदान प्राप्तकर्ता से अन्य आय के तहत दर्ज किया जाना चाहिए।

4.12 वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना परियोजना पर व्यय

डीएफपीआर के नियम 18 में प्रावधान है कि किसी योजना या परियोजना पर व्यय सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय रूप से स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी योजनाओं या परियोजना का लागत अनुमान तैयार किया जाएगा और एक उप शीर्ष (विनियोग की कार्यात्मक प्राथमिक इकाई) के तहत परियोजना या योजना के लागत अनुमान के आधार पर निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय रूप से स्वीकृत किया जाएगा। इसके अलावा, नियम 18 के नीचे भारत सरकार का निर्णय 3 स्पष्ट करता है कि एक परियोजना/योजना के घटक जो परस्पर स्वतंत्र हैं उन्हें एक अलग 'उप शीर्ष' के तहत एक अलग योजना के रूप में माना जाना चाहिए।

वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान संख्या 94-अंतरिक्ष विभाग की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एक 'नई सेवा/सेवा का नया साधन' परियोजना क्षमता निर्माण कार्यक्रम (लेखा शीर्ष: 3402.00.101.82 - क्षमता निर्माण कार्यक्रम) को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर ₹2.01 करोड़ का व्यय करने से पहले वित्तीय रूप से स्वीकृत नहीं किया गया था।

विभाग ने बताया (जुलाई/ अगस्त/ नवंबर 2021) कि परियोजना/योजना (उप-शीर्ष), 'क्षमता निर्माण कार्यक्रम' को अक्टूबर 2019 में अंतरिक्ष आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने न तो परियोजना/ योजनाओं के लिए लागत अनुमान तैयार किया और न ही परियोजना 'क्षमता निर्माण कार्यक्रम' के लिए सक्षम प्राधिकारी की वित्तीय स्वीकृति जारी की। इसके अलावा, डीएफपीआर के अनुसार, उपरोक्त पारस्परिक रूप से स्वतंत्र योजनाओं को एक अलग परियोजना के रूप में वित्तीय रूप से स्वीकृत किया जाना चाहिए था।

4.13 एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करके अनधिकृत वृद्धि

वित्तीय वर्ष 21 के लिए कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदान संख्या 09 की जांच से पता चला कि मंत्रालय ने अनुदान की अनुपूरक मांग में सामान्य घटक, अनुसूचित जातियों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष घटक योजना के लिए विशिष्ट घटक-वार

ब्योरा दिए बिना, अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत से योजना 'कोयले और लिग्नाइट की खोज' की उप योजना 'क्षेत्रीय अन्वेषण'⁴¹ के तहत सामान्य अनुदान प्रदान करने के लिए ₹230 करोड़ के पुनर्विनियोग के लिए एक टोकन पूरक प्राप्त किया।

तीन घटकों के प्रावधानों को पुनः विनियोग आदेश दिनांक 05 जनवरी 2020 के माध्यम से ₹30 करोड़ तक बढ़ाया गया था। चूंकि व्यय ने बजट डिवीजन ओएम दिनांक 25 मई 2006 के संदर्भ में एनएस/एनआईएस की सीमाओं को आकर्षित किया, व्यय वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान' के तहत किया गया था, तीन घटकों के लिए विशिष्ट रूप से संसद का विशिष्ट पूर्वानुमोदन आवश्यक था, लेकिन उसे प्राप्त नहीं किया गया जैसा कि तालिका 4.11 में वर्णित है।

तालिका 4.11: एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करके अनधिकृत वृद्धि

(₹ करोड़ में)

खाता शीर्ष	अनुपूरक टोकन	प्रस्तावित पुनर्विनियोग	वास्तविक पुनर्विनियोग
2803.00.102.03.01.31	0.0025	230	21.87
2803.00.789.02.00.31	0.0025		2.49
2803.00.796.02.00.31	0.0025		5.64
2803.00.796.06.00.33	0.0025	20	--
कुल	0.01	250	30

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2021) कि चूंकि उक्त केंद्रीय क्षेत्र योजना के तीन घटक हैं, इसलिए 'क्षेत्रीय अन्वेषण' के अंतर्गत प्राप्त सांकेतिक पूरक अनुदान तीनों घटकों के अंतर्गत वितरित किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय को प्रत्येक घटक के लिए राशि का विशिष्ट अनुमोदन स्पष्ट रूप से प्राप्त करना चाहिए था क्योंकि सभी तीन घटकों की अलग-अलग बजट लाइनें थीं।

4.14 वस्तु शीर्ष 'पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान' और 'सहायता अनुदान- वेतन' का गैर-संचालन

वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कोयला मंत्रालय के अनुदान संख्या 09 के विनियोग खातों की नमूना जांच और अनुदान प्राप्तकर्ता संगठनों द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाण पत्र से पता चला कि जारी किए गए अनुदानों में से, सीएमपीडीआई⁴² ने पूँजीगत उपकरणों

⁴¹ लेखा शीर्ष 2803.00.102.03.01.31

⁴² सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

की खरीद पर ₹2.38 करोड़ का व्यय किया था और सीएमपीएफओ⁴³ ने वेतन व्यय पर ₹0.47 करोड़ की राशि खर्च की थी और इन राशियों को वस्तु शीर्ष 35 (पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान) और वस्तु शीर्ष 36 (अनुदान-सहायता-वेतन) के तहत अनुदान को अलग करने के बजाय वस्तु शीर्ष-31 (सहायता अनुदान-सामान्य) के तहत गलत तरीके से बुक किया गया था।

प्रधान लेखा कार्यालय ने बताया (अक्टूबर 2021) कि लेखापरीक्षा अवलोकन का अनुपालन करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

4.15 व्यय की बुकिंग न करना

रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) ने 25 मार्च 2021 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के माध्यम से निर्देश दिया कि रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) को किसी भी लेखा शीर्ष के तहत व्यय की बुकिंग बंद कर देनी चाहिए जहां व्यय उसके आवंटित बजट से अधिक हो। कार्यवृत्त में यह भी उल्लेख किया गया था कि वित्तीय वर्ष 21 में सभी संबंधितों द्वारा शून्य अतिरिक्त व्यय सुनिश्चित किया जाना था।

वित्तीय वर्ष 21 के लिए जर्नल प्रविष्टियों से संबंधित फाइलों की जांच से पता चला कि जब पूँजीगत शीर्षों के तहत व्यय बजटीय सीमा से अधिक होने के कगार पर था, तो स्टॉप बुकिंग प्रोटोकॉल को शामिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय (वित्त) से सीजीडीए को एक निर्देश प्राप्त हुआ था। परिणामस्वरूप, सीजीडीए ने खर्च की बुकिंग बंद कर दी। हालांकि, बुकिंग रोकने से पहले, नियंत्रक कार्यालय द्वारा पहले ही खर्च किया जा चुका था, जिसे संकलित किया जाना बाकी था। स्टॉप बुकिंग प्रोटोकॉल के कारण जो व्यय संकलित नहीं हुआ वह ₹521 करोड़ (राजस्व खंड के तहत ₹240 करोड़ और पूँजी खंड के तहत ₹281 करोड़) था जैसा कि तालिका 4.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.12: रक्षा मंत्रालय का असंकलित व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र सं	पीसीडीए/ सीडीए	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	कुल व्यय
1.	सीडीए गुवाहाटी	102.94	128.88	231.82
2.	पीसीडीए (एनसी) जम्मू	51.20	32.04	83.23
3.	पीसीडीए (बीआर) दिल्ली कैंट	0	2.39	2.39
4.	सीडीए चेन्नई	0.21	52.79	53.01
5.	पीसीडीए बंगलोर	10.00	1.40	11.40
6.	पीसीडीए (एससी) पुणे	1.06	35.28	36.34
7.	पीसीडीए (डब्ल्यूसी) चंडीगढ़	17.57	10.35	27.92
8.	सीडीए पटना	0	0.11	0.11

⁴³ कोयला खान भविष्य निधि संगठन

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

9.	पीसीए (एफवाईएस) कोलकाता	0	3.38	3.38
10.	सीडीए (सेना) मेरठ	40.19	13.78	53.97
11.	पीसीडीए (सीसी) लखनऊ	16.63	0.72	17.35
	कुल	239.8 0	281.12	520.92

इससे रक्षा मंत्रालय के राजस्व और पूंजीगत अनुदान के तहत राजस्व और पूंजीगत व्यय को कम करके दिखाया गया और परिणामस्वरूप भारत सरकार के राजस्व घाटे को कम बताया गया। मंत्रालय के जवाब का इंतजार था।

4.16 मुख्य शीर्ष-2552 के तहत व्यय की सीधी बुकिंग

बजट परिपत्र (2020-21) में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए आवंटन से संबंधित निर्देश शामिल हैं, जिसमें कहा गया है कि एनईआर और सिक्किम के विकास के लिए परियोजनाओं / योजनाओं के लिए व्यय के उपयुक्त कार्यात्मक शीर्षों के अंतिम पुनर्विनियोजन के लिए बजट प्रावधान राजस्व व्यय के लिए एमएच - 2552 और पूंजीगत व्यय के लिए एमएच - 4552/ 6552 के तहत 'एकमुश्त' के रूप में प्रदान किया जाता है। संसद द्वारा बजट के अनुमोदन के बाद, व्यय प्रावधान को पुनर्विनियोजन के माध्यम से व्यय करने के लिए कार्यात्मक शीर्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है।

अनुदान संख्या 85-ग्रामीण विकास विभाग की संवीक्षा में यह पाया गया कि उप-शीर्ष 2552.00.797.03 (सीआरएफ/सीआरआईएफ में अंतरण) के तहत ₹1,950 करोड़ का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था और पूरी राशि को उप-शीर्ष के प्रति व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। एमएच-2552 के तहत व्यय की यह सीधी बुकिंग बजट परिपत्र (2020-21) में निहित निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। गैर-कार्यात्मक शीर्ष से कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में प्रावधान के पुनर्विनियोजन के बाद, स्थानांतरण कार्यात्मक मुख्य शीर्ष से किया जाना चाहिए था।

विभाग ने कहा (नवंबर 2021) कि ₹1,950 करोड़ की बुकिंग एक सामान्य नहीं है और यह केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष में अंतर खाता हस्तांतरण के समायोजन के कारण था, जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत खोला गया था, जैसा कि आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग द्वारा निर्देशित किया गया है। हालांकि, इसे भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

विभाग का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मान्य नहीं है कि बजट परिपत्र (2020-21) में जारी निर्देशों के आलोक में एमएच-2552 के तहत व्यय की सीधी

बुकिंग और पुनर्विनियोजन के माध्यम से आवश्यक कार्यात्मक शीर्ष के लिए व्यय प्रावधान का गैर-हस्तांतरण अनियमित था।

4.17 रेल मंत्रालय के तहत अस्वीकृत व्यय

भारतीय रेलवे द्वारा स्वीकृत अनुमानों से अधिक व्यय, विस्तृत अनुमानों के बिना किए गए व्यय और विविध अधिक भुगतान आदि को क्षेत्रीय रेलवे प्रशासन द्वारा आपत्ति पुस्तकों में दर्ज किया जाता है और अस्वीकृत व्यय के रूप में माना जाता है। वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, भारतीय रेलवे द्वारा ₹8,127.97 करोड़ का अस्वीकृत व्यय किया, जिसमें 2775 मामले शामिल थे, जबकि वित्तीय वर्ष 20 में भारतीय रेलवे द्वारा ₹4,999.87 करोड़ का व्यय किया गया, जिसमें 3426 मामले शामिल थे। इस प्रकार, स्थिति में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

4.18 सरकार की प्रतिक्रिया

जनवरी 2022 के दौरान इस रिपोर्ट को टिप्पणियों के लिए सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और सीजीए के साथ साझा किया गया था। विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से संबंधित मुद्दों के संबंध में प्रतिक्रिया भी मांगी गई थी। मंत्रालयों/विभागों/सीजीए से प्राप्त उत्तरों (अगस्त 2022 तक) को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

नई दिल्ली

दिनांक: 02 दिसम्बर 2022

(रोली शुक्ला माल्गे)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

वित्त एवं संचार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 07 दिसम्बर 2022

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक 3.1

(पैराग्राफ 3.2.2 देखें)

सीपीएसई के बकाया मूलधन और ब्याज के बीच अंतर

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सीपीएसई	मंत्रालय द्वारा मार्च 2021 के तिमाही गारंटी विवरण के अनुसार बकाया गारंटी	सीपीएसई के वार्षिक खातों के अनुसार बकाया गारंटी (मूलधन/ ब्याज)	बकाया गारंटी के आंकड़ों में अंतर	टिप्पणियाँ
1.	एनटीपीसी	1,610.66	1,613.45	2.79	विद्युत मंत्रालय द्वारा संघ खातों में 31 मार्च 2021 तक बकाया गारंटी को दर्शाते हुए ब्याज राशि को शामिल न करने के कारण भिन्नता है।
2.	पीएफसी	150.83	150.92	0.09	मूलधन की बकाया राशि में अंतर है। इसके अलावा, बकाया गारंटी की गणना करते समय अर्जित लेकिन भुगतान नहीं किए गए ब्याज को विवरण में शामिल किया गया है।
3	आरईसी	365.78	367.28	1.5	विद्युत मंत्रालय द्वारा संघ खातों में 31 मार्च 2021 तक बकाया गारंटी को दर्शाने के दौरान मूलधन की बकाया राशि में अंतर है।
4	पीजीसीआईएल	29,810.46	29,874.73	64.27	विद्युत मंत्रालय द्वारा संघ खातों में 31 मार्च 2021 तक बकाया गारंटी को दर्शाने के दौरान मूलधन की बकाया राशि में अंतर है।
5		968.62	968.62	Nil	विद्युत मंत्रालय द्वारा संघ खातों में 31 मार्च 2021 तक बकाया गारंटी को दर्शाते हुए ब्याज राशि को शामिल न करने के कारण भिन्नता है।
6	एसजेवीएनएल	1691.32	1691.32	-	मूलधन के साथ, भारत सरकार द्वारा ब्याज की गारंटी भी दी जाती है। बकाया गारंटी को दर्शाते हुए ₹3.54 करोड़ की राशि के ब्याज (उपार्जित लेकिन देय नहीं) को शामिल नहीं किया गया है।
7	टीएचडीसी	981.52	985.06	3.54	विद्युत मंत्रालय द्वारा संघ खातों में 31 मार्च 2021 तक बकाया गारंटी में अंतर है।
8	ईईएसएल	2,840.60	2,848.32	7.72	संघ के खाते में, कुल आठ बकाया गारंटियाँ ₹2,840.60 करोड़ की बकाया गारंटी राशि के साथ दिखाई गई हैं, जबकि ₹2,848.32 करोड़ की राशि के पांच ऋण ईईएसएल के वार्षिक खातों में दिखाए जा रहे हैं। इस प्रकार, बकाया गारंटियों की राशि में ₹7.72 करोड़ का अंतर है।
9	नीपको	511.35	512.53	1.18	बकाया गारंटियों की राशि में अंतर है।
कुल अंतर				81.09	

अनुलग्नक 3.2
(पैराग्राफ 3.3.2 देखें)

विवरण 11 और सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट की जानकारी में भिन्नता

क्रम संख्या	मंत्रालय	कंपनी	भिन्नता			मंत्रालय/विभाग का उत्तर
			निवेश की गई कुल राशि	इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का %	
1.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी)	हाँ	हाँ	हाँ	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
2.	इस्पात मंत्रालय	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	नहीं	हाँ	नहीं	प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (दिसंबर 2021) कि अप्रैल 2012 में, इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य 10 प्रत्येक में विभाजित किया गया था और परिणामस्वरूप जारी शेयर पूंजी प्रत्येक 1000 के 48,898,462 इक्विटी शेयरों से 10 के 4,889,846,200 इक्विटी शेयरों में विभाजित हो गई थी। हालांकि यूजीएफए में सुधार नहीं किया गया था।
3.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	* हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई	नहीं	नहीं	हाँ	प्रधान लेखा कार्यालय ने बताया (नवंबर 2021) कि संशोधित विवरण 11 यूजीएफए में सुधार के लिए सीजीए कार्यालय को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन, विसंगति को दूर नहीं किया गया।
4.	उर्वरक विभाग	भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (एफसीआईएल)	हाँ	हाँ	हाँ	उर्वरक विभाग ने बताया (नवंबर 2021) कि विभाग ने प्रधान लेखा कार्यालय से मई 2018 और अक्टूबर 2019 में अपने खातों में ₹750.92 करोड़ के रूप में सरकारी निवेश को अद्यतन / सही करने का अनुरोध किया था। प्रधान लेखा कार्यालय ने हालांकि सूचित किया (नवंबर 2021) कि वित्त लेखों में सुधार के लिए विभाग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।
5.	उर्वरक विभाग	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड (एफएजीएमआईएल)	हाँ	हाँ	नहीं	मार्च 2015 में विभाग ने एफएजीएमआईएल को अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर ₹30 करोड़ करने की मंजूरी दी थी। तदनुसार, एफएजीएमआईएल ने नवंबर 2017 में 2,26,70,200 बोनस शेयर जारी किए और विभाग को सूचित किया (दिसंबर 2017) कि

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

क्रम संख्या	मंत्रालय	कंपनी	भिन्नता			मंत्रालय/विभाग का उत्तर
			निवेश की गई कुल राशि	इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का %	
						बोनस शेयर जारी करने के बाद सरकार की कुल होल्डिंग ₹30 करोड़ थी। प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा कि विभाग ने एफएजीएमआईएल की शेयरधारिता में परिवर्तन के संबंध में सूचित नहीं किया था।
6.	उर्वरक विभाग	ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड (बीवीएफसीएल)	हाँ	हाँ	नहीं	उर्वरक विभाग ने कहा (सितंबर 2021) कि उसने मई 2018 और अक्टूबर 2019 में प्रधान लेखा कार्यालय से अपने खातों में ₹365.82 करोड़ के रूप में सरकारी निवेश को अद्यतन/सही करने का अनुरोध किया था। हालांकि प्रधान लेखा कार्यालय ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि वित्त लेखों में सुधार के लिए विभाग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।
7.	रक्षा मंत्रालय	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद	-	हाँ	नहीं	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
8.	रक्षा मंत्रालय	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु	-	हाँ	नहीं	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
9.	रक्षा मंत्रालय	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता	-	नहीं	हाँ	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
10.	रक्षा मंत्रालय	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	-	हाँ	हाँ	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
11.	कोयला मंत्रालय	कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता	हाँ	हाँ	नहीं	कोयला मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2021) कि 09 अप्रैल 2015 को सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए ऑफ मार्केट लेनदेन के माध्यम से 83104 शेयरों का विनिवेश विवरण 11 की तैयारी के दौरान छूट गया। अंतर को सुधारा गया था और संशोधित विवरण 11 सीजीए कार्यालय को भेजा गया था। तथापि, यूजीएफए में अभी तक विसंगति को दूर नहीं किया गया था।
12.	कोयला मंत्रालय	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेवेली	हाँ	हाँ	नहीं	विवरण 11 की तैयारी के दौरान कर्मचारियों को बिक्री के प्रस्ताव के माध्यम से 3,86,080 शेयरों का विनिवेश छूट गया। अंतर

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

क्रम संख्या	मंत्रालय	कंपनी	भिन्नता			मंत्रालय/विभाग का उत्तर
			निवेश की गई कुल राशि	इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का %	
						को सुधारा गया था और संशोधित विवरण 11 सीजीए कार्यालय को भेजा गया था। तथापि, यूजीएफए में अभी तक विसंगति को दूर नहीं किया गया था।
13.	विद्युत मंत्रालय	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	विद्युत मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2022) कि 31-03-2021 को सरकारी निवेश ₹4,955.35 करोड़ (51.10% शेयरधारिता के साथ) था। तथापि, यूजीएफए में विसंगति को ठीक नहीं किया गया था।
14.	विद्युत मंत्रालय	इंडिया लिमिटेड का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन।	नहीं	नहीं	हाँ	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
15.	विद्युत मंत्रालय	उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, शिलांग	-	हाँ	नहीं	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
16.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	भारत भारी उद्योग लिमिटेड	हाँ	हाँ	नहीं	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
17.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ	हाँ	हाँ	हाँ	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
18.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	हाँ	हाँ	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
19.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	-	हाँ	हाँ	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
20.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	हाँ	हाँ	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

क्रम संख्या	मंत्रालय	कंपनी	भिन्नता			मंत्रालय/विभाग का उत्तर
			निवेश की गई कुल राशि	इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का %	
21.	रेल मंत्रालय	कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया	-	हाँ	हाँ	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
22.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	-	हाँ	नहीं	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
23.	कपड़ा मंत्रालय	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड कानपुर	हाँ	हाँ	हाँ	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
24.	राज्य सहकारी बैंक / अन्य बैंक	एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया	हाँ	-	नहीं	वित्तीय सेवा विभाग ने कहा (दिसंबर 2021) कि 30.03.2002 (पूर्ण होने की तिथि 29.03.2022) को भारत सरकार को जारी किए गए कुल ₹559.37 करोड़ के एक्जिम बैंक बॉन्ड (टियर I) को आरबीआई के साथ उचित परामर्श के बाद दिनांक 03.12.2012 के सरकार के आदेश के माध्यम से एक्जिम बैंक अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुसरण में इक्विटी पूंजी में परिवर्तित किया गया था। हालांकि यूजीएफए में विसंगति को ठीक नहीं किया गया था।
25.	राज्य सहकारी बैंक / अन्य बैंक	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	हाँ	-	नहीं	वित्तीय सेवा विभाग ने कहा (दिसंबर 2021) कि सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम लिमिटेड (आईडब्ल्यूआरएफसी) के इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के साथ विलय के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 2016, से भारत सरकार ने आईआईएफसीएल (22 जुलाई 2016) में आईडब्ल्यूआरएफसी में भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी के बदले में ₹102.32 करोड़ इक्विटी जारी की और इसलिए यूजीएफए ने इक्विटी निवेश को ₹9897.60 करोड़ के रूप में दर्शाया जबकि आईआईएफसीएल के वार्षिक खाते में कुल इक्विटी ₹9999.92 करोड़ के रूप में दर्शाई गई थी।
26.	राज्य सहकारी	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	हाँ	हाँ	हाँ	विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

क्रम संख्या	मंत्रालय	कंपनी	भिन्नता			मंत्रालय/विभाग का उत्तर
			निवेश की गई कुल राशि	इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का %	
	बैंक / अन्य बैंक					
27.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	एंड्रयू यूल् कंपनी लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
28.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	
29.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	Hindustan Cables Ltd.	Yes	Yes	Yes	
30.	नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	हाँ	-	-	प्रधान लेखा कार्यालय, नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2021) कि ₹200 करोड़ का अंतर एएआई की प्रारंभिक पूंजी (जो 1994-95 की अवधि से संबंधित था) से संबंधित था और यूजीएफए में प्रारंभिक पूंजी को अपनाने के लिए मामले को सीजीए कार्यालय के समक्ष रखा गया।
31.	एम/ओ शिपिंग	# हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	-	-	-	

* बिना किसी नए लेनदेन के वित्तीय वर्ष 20 (₹0.02 करोड़) से वित्तीय वर्ष 21 के यूजीएफए में कुल इक्विटी राशि में अंतर था।

बिना किसी नए लेनदेन के वित्तीय वर्ष 20 (₹0.25 करोड़) से वित्तीय वर्ष 21 के यूजीएफए में कुल इक्विटी राशि में अंतर था।

अनुलग्नक 3.3
(पैराग्राफ 3.3.3 देखें)

विवरण 11 में संस्थाओं का गलत वर्गीकरण

क्रम संख्या	संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रूप में सूचीबद्ध संस्थाएं	विवरण 11 में क्रम
1	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम	11
2	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	13
3	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	18
4	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद	22
5	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता	30
6	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिंपरी, पुणे	33
7	हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड, नई दिल्ली	34
8	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई	35
9	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुडगांव	36
10	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली	41
11	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	42
12	प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, सिंदरी, धनबाद	46
13	पाइराइट्स, फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	47
14	एयर इंडिया लिमिटेड (पूर्ववर्ती नैसिल)	50
15	एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड	51
16	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई	55
17	प्रोजेक्ट एंड इन्वियमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	57
18	भारत व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली	59
19	दूरसंचार सलाहकार (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली	64
20	भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	66
21	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली	67

अनुलग्नक 3.4
(पैराग्राफ 3.5 देखें)

31-03-2021 की स्थिति के अनुसार प्रतिकूल शेष की सूची

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष (मुख्य /लघु शीर्ष)		31.03.2021 को शेष राशि		वह अवधि जिससे शेष राशि प्रतिकूल हो जाती है
	लेखा शीर्ष	विवरण संख्या 14ए	डेबिट/क्रेडिट	राशि (₹ हजार में)	
1	6001	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां- पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक		-4,04,339	
2	6001	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां- कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि		-2,12,992	
		विवरण संख्या 14			
3	6002.00.207	यूरोपीय आर्थिक समुदाय से ऋण		-14,67,747	2016-17
4	6002.00.226	एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसए से ऋण		-1,68,38,679	2016-17
5	6002.00.503	आईडीए से ऋण के समायोजन की प्रतीक्षा में ऋण		-72,69,563	2018-19
6	6002.00.504	आईबीआरडी से ऋण के समायोजन की प्रतीक्षा में ऋण		-85,70,374	2014-15
7	6002.00.507	(जीओजेपी), जापान से ऋण के समायोजन की प्रतीक्षा में ऋण		-3,83,172	2015-16
		विवरण संख्या 15			
8	6202.01.203	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के लिए ऋण		-1,119	2016-17
9	6215.02.800	जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण सीवेज और स्वच्छता अन्य ऋण		-60,013	2016-17
10	6216.02.190	आवास के लिए ऋण - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को शहरी आवास ऋण		-5,79,267	2016-17
11	6216.80.190	आवास के लिए ऋण-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सामान्य ऋण		-2	2020-21
12	6216.80.800	आवास के लिए ऋण - सामान्य आवास अन्य ऋण		-12,190	2020-21
13	6225.01.800	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए अन्य ऋण		-829	1994-95
14	6245.01.101	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए ऋण सूखा मुक्त राहत		-896	1986-87
15	6245.02.101	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए ऋण बाढ़ चक्रवात निःशुल्क राहत		-2,157	1997-98
16	6401.00.104	फसल पालन कृषि फार्म के लिए ऋण		-775	2016-17

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

17	6402.00.102	मृदा और जल संरक्षण के लिए ऋण मृदा संरक्षण		-8,127	1995-96
18	6402.00.203	भूमि और जल संरक्षण के लिए ऋण भूमि सुधार और विकास		-592	2007-08
19	6405.00.106	मत्स्य पालन के लिए ऋण मत्स्यन शिल्पों का मशीनीकरण		-532	2016-17
20	6425.00.107	समितियों को ऋण के लिए सहकारिता ऋण के लिए ऋण		-5,20,312	2017-18
21	6425.00.108	समितियों को ऋण के लिए सहकारिता ऋण के लिए ऋण		-8,94,076	2003-04
22	6515.00.102	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण सामुदायिक विकास		-180	1986-87
23	6801.00.201	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण जल विद्युत उत्पादन		-8,80,938	2004-05
24	6801.00.205	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण पारेषण और वितरण		-13,91,766	2005-06
25	6851.00.102	ग्राम और लघु उद्योगों के लिए ऋण लघु उद्योग		-11,623	2006-07
26	6851.00.106	ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए ऋण कयर उद्योग		-1,186	2020-21
27	7051.01.190	बंदरगाहों और लाइट हाउसों के लिए ऋण प्रमुख बंदरगाह सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण		-38,82,965	2018-19
28	7053.00.190	नागरिक उड्डयन के लिए ऋण सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण		-3,77,537	2010-11
29	7601.01.436	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम, गैर योजना योजना के लिए ऋण, फसल पालन वाणिज्यिक फसलें		-1	2018-19
30	7601.04.312	केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण शहरी विकास-छोटे/मध्यम शहरों का एकीकृत विकास		-1	2012-13
31	7601.04.360	केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं- अन्य ऋण		-408	2012-13
32	7601.04.501	केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण मिट्टी और जल संरक्षण-मृदा संरक्षण योजनाएं		-34,180	2012-13
33	7601.04.726	केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण योजनाएँ ग्राम और लघु उद्योग- हथकरघा उद्योग		-6,960	2012-13
34	7601.04.786	केंद्र प्रायोजित योजना योजनाओं के लिए ऋण बाढ़ नियंत्रण-अन्य ऋण		-4,115	2012-13
35	7601.04.825	केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण योजनाएँ अंतर्राज्यीय सड़कें या आर्थिक महत्व-सड़क कार्य		-18,359	2012-13
36	7601.04.826	केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण, अंतर-राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें-मशीनरी और उपकरण		-106	2012-13

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

37	7601.04.871	केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण अंतर्देशीय जल परिवहन-अन्य ऋण		-897	2012-13
38	7601.07.800	पूर्व 1984-1985 ऋण अन्य ऋण		-1,580	2012-13
39	7602.04.412	केंद्र प्रायोजित योजना योजनाओं के लिए ऋण सहकारिता-उपभोक्ता सहकारिता		-593	2012-13
40	7605.00.061	कम्बोडिया सरकार को विदेशी सरकारी ऋणों के लिए अग्रिम		-58,745	2019-20
41	7605.00.099	श्रीलंका सरकार को विदेशी सरकारी ऋणों के लिए अग्रिम		-5,47,560	2019-20
42	7610.00.202	सरकारी सेवकों को ऋण आदि, मोटर वाहन आदि की खरीद के लिए अग्रिम		-1,06,428	2019-20
43	7610.00.203	सरकारी सेवकों को अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम ऋण		-45,200	2004-05
		विवरण संख्या 16			
44	8002.00.103	ट्रेजरी बचत जमा प्रमाणपत्र	क्रेडिट	-6,962	1976-77
45	8002.00.105	बचत प्रमाणपत्र-बैंक श्रृंखला	क्रेडिट	-189	2007-08
		विवरण संख्या 14			
46	8012.00.109	विशेष जमा और खाते आयकर वार्षिकी जमा		-13,983	2015-16
47	8014.01.106	पीएलआई संयुक्त बंदोबस्ती बीमा योजनाएं		-23,52,948	2019-20
48	8014.02.105	आरपीएलआई प्रत्याशित बंदोबस्ती आश्वासन योजनाएं		-10,33,174	2015-16
		विवरण संख्या 13			
49	8115.00.101	मूल्यहास आरक्षित निधि - रेलवे (वाणिज्यिक लाइनें)	डेबिट	2,80,28,363	2009-10
50	8117.00.102	रेलवे विकास निधि-रणनीतिक लाइनें	डेबिट	605	2018-19
51	8121.00.103	रेलवे पेंशन फंड-वाणिज्यिक लाइनें	डेबिट	1,44,87,059	2016-17
52	8229.00.200	अन्य विकास और कल्याण निधि	डेबिट	21,07,063	2007-08
53	8232.00.101	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि	डेबिट	1	2020-21
54	8235.00.135	राष्ट्रीय स्वच्छता निधि	डेबिट	15,93,805	2015-16
55	8337.00.102	भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ ईपीएफ	डेबिट	32,666	2019-20
56	8443.00.112	भारत में खरीद आदि के लिए जमा	डेबिट	23,29,271	2018-19
57	8446.00.800	डाक जमा-अन्य जमा	डेबिट	1,18,723	2005-06
58	8448.00.104	स्थानीय निधियों की जमाराशियां- भारतीय बीमा संघ की निधि	डेबिट	291	Pre-1976-77
59	8449.00.106	भारत-अमेरिका समझौते के तहत खाते 1974	डेबिट	3	2018-19
60	8449.00.119	एडीबी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम जमा	डेबिट	6,386	2017-18
61	8451.00.101	भोपाल गैस रिसाव आपदा राहत कोष- दावे एवं राहत कोष	डेबिट	93,73,505	2007-08
62	8451.00.102	भोपाल गैस रिसाव आपदा राहत कोष- दावे एवं राहत कोष निवेश खाता	क्रेडिट	92,82,200	2007-08
63	8455.00.101	आईपीपीबी के साथ लेनदेन	डेबिट	37,25,059	2018-19
64	8551.00.101	रक्षा अग्रिम	क्रेडिट	1,60,23,725	2015-16
65	8670.00.104	ट्रेजरी चेक	डेबिट	13,34,636	2018-19

अनुलग्नक 3.5
(पैराग्राफ 3.6.2 देखें)
अप्रयुक्त आरक्षित निधि

(₹ हजार में)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	31 मार्च 2021 को शेष राशि	कब से निष्क्रिय
1	8117.XXX-विकास निधि -निवेश खाता	-10,99	वित्तीय वर्ष 17
2	8117.XXX-रेलवे - शाखा लाइन कंपनियों को ऋण	-11,77	वित्तीय वर्ष 17
3	8121.108-कर्मचारी लाभ निधि (रेलवे रणनीतिक लाइन)	47,88	वित्तीय वर्ष 17
4	8223.101 अकाल राहत कोष	3	वित्तीय वर्ष 09
5	8226.101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों और उपक्रमों की मूल्यहास आरक्षित निधि	3,06,95,69	वित्तीय वर्ष 20
6	8229.101 शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	7	वित्तीय वर्ष 03
7	8229.102 चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए विकास निधि	60	वित्तीय वर्ष 03
8	8229.108 खनन क्षेत्र विकास निधि	1,02	वित्तीय वर्ष 03
9	8229.200 अन्य विकास एवं कल्याण कोष	-2,10,70,63	वित्तीय वर्ष 19
10	8235.101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधि	75,86	वित्तीय वर्ष 09
11	8235.105 सामान्य बीमा कोष	215	वित्तीय वर्ष 20
12	8235.129 राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष	1	वित्तीय वर्ष 19
13	8235.135-राष्ट्रीय स्वच्छता कोष	-1,59,38,05	वित्तीय वर्ष 19
सकारात्मक शेष		308.23 करोड़	
नकारात्मक शेष		-370.31 करोड़	
निवल शेष		-62.08 करोड़	

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

अनुलग्नक 3.6
(पैराग्राफ 3.6.2 देखें)
निष्क्रिय जमा खाते

(₹ हजार में)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	31 मार्च 2021 को शेष राशि	तब से निष्क्रिय	टिप्पणियां
1	8337.102 - भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ कर्मचारी भविष्य निधि	-3,26,66	वित्तीय वर्ष 21	प्रतिकूल शेष राशि की जांच की जा रही है।
2	8342.107 - संपदा शुल्क के भुगतान के लिए जमा	1,03	वित्तीय वर्ष 03	
3	8342.108 - आयकर, सुपर टैक्स, अतिरिक्त लाभ कर और अधिभार की जमा राशि	1,21,07	वित्तीय वर्ष 03	₹1,21,61 हजार वित्तीय वर्ष 03 से निष्क्रिय पड़ा था, लेकिन वित्तीय वर्ष 18 के दौरान (-) 5,40,00 शेष राशि 3 वर्षों से अधिक समय से अप्रयुक्त पड़े रहने के कारण जमा (प्राप्ति) की गई थी।
4	8342.110 - टेलीफोन आवेदन जमा	223,98,06	वित्तीय वर्ष 07	₹223,98,01 हजार वित्तीय वर्ष 07 से अप्रयुक्त पड़े थे लेकिन वित्तीय वर्ष 17 के दौरान 5,000 की एक छोटी राशि जमा की गई थी।
5	8342.111 - टैलेक्स आवेदन जमा	7,93,06	वित्तीय वर्ष 03	
6	8342.114 - पट्टे पर दी गई दूरसंचार सुविधा जमा	1,69,47	वित्तीय वर्ष 03	
7	8443.102 - सीमा शुल्क और अफीम जमा	466,49,26	वित्तीय वर्ष 10	₹466,49,13 हजार वित्तीय वर्ष 2010 से अप्रयुक्त पड़े थे लेकिन वित्तीय वर्ष 21 के दौरान 13,000 की एक छोटी राशि जमा की गई थी।
8	8443.114 - निर्यात व्यापार जमा	15,25,27	वित्तीय वर्ष 03	
9	8443.120 - स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय निधि की जमाराशि (असम, मेघालय और मिजोरम)	64,11	वित्तीय वर्ष 03	₹64,21 हजार वित्तीय वर्ष 03 से अप्रयुक्त पड़े थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 11 के दौरान 10,000 की छोटी राशि जमा की गई थी।
10	8443.122 - खान श्रम कल्याण जमा	23,71	वित्तीय वर्ष 03	₹23,35 हजार वित्तीय वर्ष 03 से अप्रयुक्त पड़े थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 15 के दौरान 37,000 की एक छोटी राशि जमा की गई थी।
11	8443.127 - पाकिस्तान चले गए ठेकेदारों/कर्मचारियों/पेंशनभोगियों आदि के दावों को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों की जमाराशि	21,06	वित्तीय वर्ष 03	
12	8443.130 - प्रोविडेंट सोसाइटीज लिक्विडेशन अकाउंट्स	13	वित्तीय वर्ष 09	

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	31 मार्च 2021 को शेष राशि	तब से निष्क्रिय	टिप्पणियां
13	8447.800 - अन्य जमा	50,15,43	वित्तीय वर्ष 14	
14	8448.103 - छावनी निधि	1	वित्तीय वर्ष 04	
15	8448.104 - भारतीय बीमा संघ की निधि	-2,91	वित्तीय वर्ष 03	प्रतिकूल शेष राशि की जांच की जा रही है।
16	8448.106 - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की निधि	45,56,59	वित्तीय वर्ष 19	
17	8448.109 - पंचायत निकाय निधि	2	वित्तीय वर्ष 20	
18	8448.111 - चिकित्सा और धर्मार्थ निधि	52	वित्तीय वर्ष 04	
19	8448.120 - अन्य निधि	2,26	वित्तीय वर्ष 05	
20	8449.102 - सीमेंट विनियमन खाता	57,64,46	वित्तीय वर्ष 21	
21	8449.104 - खान भविष्य निधि की जमाराशियां	16,01	वित्तीय वर्ष 03	
22	8449.106 - भारत-अमेरिका समझौते के तहत खाते 1974	-3	वित्तीय वर्ष 20	प्रतिकूल शेष राशि की जांच की जा रही है।
23	8449.107 - आयकर जमा, सुपर टैक्स, ब्याज और सरचार्ज सहित अतिरिक्त लाभ कर	1,33,93	वित्तीय वर्ष 03	
24	8449.111 - औषध मूल्य समकारी कोष	29,96,911	वित्तीय वर्ष 20	
25	8449.112 - नारियल विकास कोष	58,69	वित्तीय वर्ष 13	
26	8449.114 - आईडीए सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम जमा	200,62,89	वित्तीय वर्ष 16	
27	8449.115 - आईबीआरडी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम जमा	83,73,52	वित्तीय वर्ष 20	
28	8449.117 - आईएफएडी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम जमा	117,05,26	वित्तीय वर्ष 21	
29	8449.118 जापानी अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम जमा	1,03,60	वित्तीय वर्ष 96	
30	8449.119 - एडीबी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम जमा	-63,86	वित्तीय वर्ष 19	प्रतिकूल शेष राशि की जांच की जा रही है।
31	8449.120 - विविध जमा	5237,55,71	वित्तीय वर्ष 20	
32	8450.101 - पुडुचेरी का शेष	40,12,90	वित्तीय वर्ष 09	
33	8450.102 - गोवा, दमन और दीव का शेष	-16,30,26	वित्तीय वर्ष 03	
34	8450.04 - अरुणाचल प्रदेश का शेष	-56,82,51	वित्तीय वर्ष 03	
35	8450.105 - मिजोरम का शेष	-124,41,38	वित्तीय वर्ष 03	
36	8453.101 - सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय हेतु राशि	29,07,44	वित्तीय वर्ष 14	
कुल योग		6,680.57 करोड़		
शेष ऋण		-201.48 करोड़		
जमा राशि		6,882.05 करोड़		

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

अनुलग्नक 3.7

(पैराग्राफ 3.7.1 देखें)

बकाया ऋण और अग्रिम

31 मार्च 2021 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बकाया ऋण और अग्रिम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	ऋण की अवधि	राज्य	मूलधन	ब्याज	कुल
1	>25	आंध्र प्रदेश	878.10	0	878.10
2		असम	15,561.61	1,03,270.64	1,18,832.25
3		बिहार	566.56	0	566.56
4		गोवा	8,300.52	36,591.36	44,891.88
5		गुजरात	316.21	0	316.21
6		हरियाणा	83.82	0	83.82
7		हिमाचल प्रदेश	12.25	0	12.25
8		जम्मू और कश्मीर	4,787.46	12,841.96	17,629.42
9		कर्नाटक	233.66	0	233.66
10		केरल	139.27	0	139.27
11		मध्य प्रदेश	460.53	0	460.53
12		महाराष्ट्र	824.37	0	824.37
13		मणिपुर	448.26	1,297.72	1,745.98
14		मेघालय	266.64	5,206.42	5,473.06
15		मिजोरम	2,488.2	5,931.75	8,419.95
16		उड़ीसा	126.05	0	126.05
17		पंजाब	26.55	0	26.55
18		राजस्थान	270.86	0	270.86
19		तमिलनाडु	740.14	0	740.14
20		उत्तर प्रदेश	1,332.54	0	1,332.54
21		पश्चिम बंगाल	600.76	1,294.04	1,894.80
22		पुदुचेरी	24,213.71	9,206.90	33,420.61
कुल			62,678.07	1,75,640.79	2,38,318.86
1	15-25	अरुणाचल प्रदेश	598.55	3,655.70	4,254.25
2		नगालैंड	352.38	2,697.09	3,049.47
3		सिक्किम	331.95	609.02	940.97
4		त्रिपुरा	183.14	3,476.63	3,659.77
5		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	2,66,111.20	2,40,044.18	5,06,155.38
कुल			2,67,577.22	2,50,482.62	5,18,059.84
कुल योग			3,30,255.29	4,26,123.41	7,56,378.70

31-03-2021 को अन्य संस्थाओं को बकाया ऋण और अग्रिम

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अन्य ऋणी संस्थाओं या संस्थानों की संख्या	वर्षों का बकाया	मूलधन	ब्याज	राशि
1	80	25 और ऊपर	6,42,147.96	26,75,175.16	33,17,323.12
2	11	20-25	2,17,156.32	4,95,688.82	7,12,845.14
3	24	15-20	2,84,083.47	1,72,131.50	4,56,214.97
4	20	10-15	4,32,598.74	4,51,368.26	8,83,967.00
5	14	5-10	1,46,733.54	5,767.53	1,52,501.07
6	6	05 से कम	92,650.50	4,406.98	97,057.48
	155	कुल	18,15,370.53	38,04,538.25	56,19,908.78

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

अनुलग्नक 4.1
(पैराग्राफ 4.1.1 देखें)
अधिकृत और व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल	वास्तविक संवितरण	बचत (-) अतिरिक्त (+)
क - सिविल					
दतमत्त					
राजस्व	19,36,327.39	6,13,196.17	25,49,523.56	24,01,776.72	(-)1,47,746.84
पूँजीगत (ऋण और अग्रिम सहित)	3,97,247.25	1,75,632.43	5,72,879.68	4,23,044.76	(-)1,49,834.92
कुल	23,33,574.64	7,88,828.60	31,22,403.24	28,24,821.48	(-)2,97,581.76
प्रभारित					
राजस्व	8,89,527.45	46,647.20	9,36,174.65	9,09,827.28	(-)26,347.37
पूँजीगत (ऋण और अग्रिम और सार्वजनिक ऋण सहित)	69,16,189.86	7,025.00	69,23,214.86	62,11,506.64	(-)7,11,708.22
कुल	78,05,717.31	53,672.20	78,59,389.51	71,21,333.92	(-)7,38,055.59
कुल योग	101,39,291.95	8,42,500.80	109,81,792.75	99,46,155.40	(-)10,35,637.35
व्यय की कमी में वसूली			6,02,729.77	4,85,860.32	
कुल शुद्ध प्रावधान			1,03,79,062.98		
कुल शुद्ध व्यय				94,60,295.08	
ख - डाक					
दतमत्त					
राजस्व	34,056.42	--	34,056.42	29,260.62	(-)4,795.80
पूँजीगत	1,131.21	--	1,131.21	897.42	(-)233.79
कुल	35,187.63	--	35,187.63	30,158.04	(-)5,029.59
प्रभारित					
राजस्व	0.80	--	0.80	0.57	(-)0.23
पूँजीगत	--	--	--	--	--
कुल	0.80	--	0.80	0.57	(-)0.23
कुल योग	35,188.43	--	35,188.43	30,158.61	(-)5,029.82
व्यय की कमी में वसूली			953.00	933.59	
कुल शुद्ध प्रावधान			34,235.43		
कुल शुद्ध व्यय				29,225.02	

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल	वास्तविक संवितरण	बचत (-) अतिरिक्त (+)	
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत्त						
राजस्व	2,29,898.67	0.05	2,29,898.72	2,24,290.46	(-)5,608.26	
पूँजीगत	1,13,626.50	20,616.50	1,34,243.00	1,34,098.10	(-)144.90	
कुल	3,43,525.17	20,616.55	3,64,141.72	3,58,388.56	(-)5,753.16	
आरोपी						
राजस्व	101.02	--	101.02	61.30	(-)39.72	
पूँजीगत	107.50	159.50	267.00	206.82	(-)60.18	
कुल	208.52	159.50	368.02	268.12	(-)99.90	
कुल योग	3,43,733.69	20,776.05	3,64,509.74	3,58,656.68	(-)5,853.06	
व्यय की कमी में वसूली			11,631.21	8,838.03		
कुल शुद्ध प्रावधान			3,52,878.53			
कुल शुद्ध व्यय				3,49,818.65		
घ - रेलवे						
दत्तमत्त						
राजस्व	2,83,481.64	520.00	2,84,001.64	1,94,375.85	(-)89,625.79	
पूँजीगत	2,37,526.79	100.01	2,37,626.80	2,22,135.79	(-)15,491.01	
कुल	5,21,008.43	620.01	5,21,628.44	4,16,511.64	(-)1,05,116.80	
प्रभारित						
राजस्व	497.00	--	497.00	287.74	(-)209.26	
पूँजीगत	102.63	336.00	438.63	439.54	(+)0.91	
कुल	599.63	336.00	935.63	727.28	(-)208.35	
कुल योग	5,21,608.06	956.01	5,22,564.07	4,17,238.92	(-)1,05,325.15	
व्यय की कमी में वसूली			2,46,729.48	1,64,296.05		
कुल शुद्ध प्रावधान			2,75,834.59			
कुल शुद्ध व्यय				2,52,942.87		
कुल						
कुल	दत्तमत्त	32,33,295.87	8,10,065.16	40,43,361.03	36,29,879.72	(-)4,13,481.31
सीएफआई	प्रभारित	78,06,526.26	54,167.70	78,60,693.96	71,22,329.89	(-)7,38,364.07
कुल योग सीएफआई		1,10,39,822.13		1,19,04,054.99	1,07,52,209.61	(-)11,51,845.38
व्यय की कमी में कुल वसूली					6,59,927.99	
विनियोग लेखा के अनुसार कुल प्रावधान और व्यय					100,92,281.62	
वित्त खातों के साथ अंतर					0	
वित्त लेखों के अनुसार सीएफआई से कुल संवितरण					1,00,92,281.62	

नोट: प्रभारित और दत्तमत्त व्यय के प्रावधान को क्रमशः विनियोग और अनुदान कहा जाता है।
सीएफआई - भारत की समेकित निधि

अनुलग्नक 4.2
(पैराग्राफ 4.2.2 देखें)
₹100 करोड़ या अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	स्वीकृत प्रावधान	बचत	स्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
राजस्व (दतमत्त)				
1.	1-कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	1,34,544.49	25,943.77	19.28
2.	2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	8,362.61	677.09	8.10
3.	3-परमाणु ऊर्जा	15,796.11	1,132.13	7.17
4.	6-उर्वरक विभाग	1,38,573.25	7,302.15	5.27
5.	9-कोयला मंत्रालय	882.63	310.99	35.23
6.	10-वाणिज्य विभाग	5,531.83	1,376.51	24.88
7.	12-डाक विभाग	34,056.42	4,795.79	14.08
8.	13-दूरसंचार विभाग	48,756.64	3,601.93	7.39
9.	14-उपभोक्ता मामले विभाग	12,264.72	909.23	7.41
10.	17-संस्कृति मंत्रालय	3,057.58	934.14	30.55
11.	18-रक्षा मंत्रालय (नागरिक)	30,391.35	2,616.41	8.61
12.	19-रक्षा सेवाएं (राजस्व)	2,29,898.72	5,608.26	2.44
13.	21-रक्षा पेंशन	1,33,819.10	5,761.05	4.31
14.	22-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	2,330.14	792.50	34.01
15.	23-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1,902.46	684.20	35.96
16.	24-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6,524.06	1,351.49	20.72
17.	25-पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3,052.26	1,022.42	33.50
18.	26-विदेश मंत्रालय	16,110.42	2,887.07	17.92
19.	27-आर्थिक मामलों का विभाग	6,387.63	324.72	5.08
20.	28-व्यय विभाग	535.56	246.25	45.98
21.	29-वित्तीय सेवा विभाग	12,180.57	1,891.41	15.53
22.	31-राजस्व विभाग	2,72,440.50	3,562.70	1.31

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	स्वीकृत प्रावधान	बचत	स्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
23.	32-प्रत्यक्ष कर	7,733.39	503.47	6.51
24.	33-अप्रत्यक्ष कर	7,820.00	651.89	8.34
25.	34-भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	5,228.82	362.88	6.94
26.	37-पेंशन	62,676.48	157.09	0.25
27.	38-राज्यों को स्थानान्तरण	46,930.00	27,425.67	58.44
28.	40-पशुपालन एवं डेयरी विभाग	3,657.47	693.43	18.96
29.	41-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,382.98	230.30	16.65
30.	42-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	1,36,433.94	44,829.22	32.86
31.	43-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	4,575.01	1,450.42	31.70
32.	44-भारी उद्योग विभाग	972.81	387.82	39.87
33.	46-गृह मंत्रालय	7,749.49	4,164.09	53.73
34.	48-पुलिस	96,743.95	8,650.85	8.94
35.	50-चंडीगढ़	4,603.27	403.80	8.77
36.	51-दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2,768.10	805.00	29.08
37.	52-लद्दाक	2,331.83	746.37	32.01
38.	57-आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	46,533.43	3,520.53	7.57
39.	58-स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	1,06,040.78	22,026.82	20.77
40.	59-उच्च शिक्षा विभाग	57,552.05	23,076.69	40.10
41.	60-सूचना और प्रसारण मंत्रालय	4,361.65	987.53	22.64
42.	61-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	8,641.53	1,492.03	17.27
43.	62- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	32,518.10	5,550.71	17.07
44.	63-श्रम और रोजगार मंत्रालय	16,881.52	3,977.80	23.56
45.	64-कानून और न्याय	2,160.00	728.48	33.73
46.	67-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	7,513.24	1,889.04	25.14
47.	68-खान मंत्रालय	1,737.05	353.58	20.36

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	स्वीकृत प्रावधान	बचत	स्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
48.	69-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	4,868.99	980.42	20.14
49.	70-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	5,701.02	2,769.15	48.57
50.	71-पंचायती राज मंत्रालय	900.96	214.69	23.83
51.	75-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	42,722.02	2,845.14	6.66
52.	77-विद्युत मंत्रालय	20,236.71	5,680.20	28.07
53.	79-लोकसभा	809.81	250.33	30.91
54.	83-रेल मंत्रालय	2,84,001.64	89,625.79	31.56
55.	84-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	19,686.32	419.87	2.13
56.	85-ग्रामीण विकास विभाग	3,44,855.53	8,738.77	2.53
57.	86-भूमि संसाधन विभाग	2,251.27	1,014.77	45.08
58.	87-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	6,212.63	1,385.78	22.31
59.	88-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	3,136.76	877.04	27.96
60.	89-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	5,375.20	1,135.74	21.13
61.	90-नौवहन मंत्रालय	2,035.01	446.58	21.94
62.	91-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	2,923.04	364.77	12.48
63.	92-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	9,557.60	1,420.76	14.87
64.	93-विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग	1,325.38	463.75	34.99
65.	94-अंतरिक्ष विभाग	5,703.62	850.07	14.90
66.	95-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	5,426.07	2,990.73	55.12
67.	97-वस्त्र मंत्रालय	3,463.79	364.91	10.53
68.	98-पर्यटन मंत्रालय	2,506.10	1,367.67	54.57
69.	99-आदिवासी मामलों के मंत्रालय	2,492.99	420.52	16.87
70.	100-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	30,507.10	11,263.54	36.92

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	स्वीकृत प्रावधान	बचत	स्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
71.	101-युवा मामले और खेल मंत्रालय	2,775.94	988.11	35.60
राजस्व (प्रभारित)				
72.	35-ब्याज भुगतान	7,33,203.16	12,217.96	1.67
73.	37-पेंशन	474.45	173.62	36.59
74.	38-राज्यों को स्थानान्तरण	1,96,527.23	12,464.73	6.34
75.	83-रेल मंत्रालय	497.00	209.26	42.10
76.	99-आदिवासी मामलों के मंत्रालय	4,768.01	1,345.84	28.23
पूँजीगत (दत्तमत्त)				
77.	3-परमाणु ऊर्जा	10,884.62	3,431.78	31.53
78.	10-वाणिज्य विभाग	687.00	260.00	37.85
79.	11-उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग	1,469.00	671.65	45.72
80.	12-डाक विभाग	1,131.21	233.79	20.67
81.	13-दूरसंचार विभाग	30,675.07	22,318.96	72.76
82.	15-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	51,197.02	40,008.67	78.15
83.	22-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	768.59	410.24	53.38
84.	23-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	172.00	102.30	59.48
85.	24-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	467.99	117.36	25.08
86.	25-पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	157.55	124.46	79.00
87.	26-विदेश मंत्रालय	1377.29	234.80	17.05
88.	27-आर्थिक मामलों का विभाग	54,443.09	33,650.31	61.81
89.	29-वित्तीय सेवा विभाग	48,600.07	9,950.07	20.47
90.	32-प्रत्यक्ष कर	332.03	158.89	47.85
91.	33-अप्रत्यक्ष कर	438.02	221.92	50.66
92.	38-राज्यों को स्थानान्तरण	1,22,208.00	169.71	0.14
93.	42-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	4,371.88	784.89	17.95
94.	44-भारी उद्योग विभाग	559.64	248.08	44.33

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	स्वीकृत प्रावधान	बचत	स्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
95.	48-पुलिस	9,854.46	4,788.65	48.59
96.	49-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	622.42	279.50	44.91
97.	51-दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	752.44	375.11	49.85
98.	52-लद्दाक	3,626.29	2,837.71	78.25
99.	54-दिल्ली में स्थानान्तरण	150.00	150.00	100.00
100.	57-आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	21,104.23	10,823.86	51.29
101.	59-उच्च शिक्षा विभाग	2,227.01	2,021.27	90.76
102.	61-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	409.01	250.94	61.35
103.	67-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	1,059.00	1,035.37	97.77
104.	75-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4,091.00	1,778.00	43.46
105.	77-विद्युत मंत्रालय	2,048.08	1,664.10	81.25
106.	83-रेल मंत्रालय	2,37,626.80	15,491.01	6.52
107.	84-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1,76,848.53	6,325.11	3.58
108.	85-ग्रामीण विकास विभाग	100.00	100.00	100.00
109.	92-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	546.00	446.00	81.68
110.	94-अंतरिक्ष विभाग	7,774.89	3,138.41	40.37
111.	99-आदिवासी मामलों के मंत्रालय	150.01	150.01	100.00
पूँजीगत (प्रभारित)				
112.	36-ऋण की अदायगी	6890921.56	706286.23	10.25
113.	38-राज्यों को स्थानान्तरण	32125.00	5361.01	16.69
कुल			12,68,488.40	

अनुलग्नक 4.3क
(पैराग्राफ 4.2.2.2 देखें)
महत्वपूर्ण बचत के अनुदानवार मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	मामलों की संख्या	बचत
1.	42-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	22	52,064.67
2.	48-पुलिस	18	10,509.68
3.	1-कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	17	11,533.10
4.	59-उच्च शिक्षा विभाग	15	23,048.35
5.	35-ब्याज भुगतान	14	27,827.84
6.	77-विद्युत मंत्रालय	12	5,605.34
7.	94-अंतरिक्ष विभाग	12	2,464.10
8.	26-विदेश मंत्रालय	11	2,236.25
9.	57-आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	11	18,207.56
10.	58-स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	10	21,763.53
11.	84-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	10	11,974.70
12.	3-परमाणु ऊर्जा	9	3,022.50
13.	27-आर्थिक मामलों का विभाग	9	39,369.01
14.	38-राज्यों को स्थानान्तरण	8	48,141.40
15.	100-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8	8,232.53
16.	29-वित्तीय सेवा विभाग	7	15,628.71
17.	85-ग्रामीण विकास विभाग	7	13,812.85
18.	13-दूरसंचार विभाग	6	27,262.61
19.	62- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	6	4,410.86
20.	63-श्रम और रोजगार मंत्रालय	6	2,939.25
21.	75-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	6	14,444.39
22.	24-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	5	1,082.42
23.	36-ऋण की अदायगी	5	10,10,241.50
24.	67-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	5	1,887.54
25.	10-वाणिज्य विभाग	4	1,271.73
26.	11- उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग	4	1,124.50
27.	21-रक्षा पेंशन	4	5,350.85
28.	31-राजस्व विभाग	4	30,279.12

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	मामलों की संख्या	बचत
29.	70-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	4	2,074.84
30.	99-आदिवासी मामलों के मंत्रालय	4	1,253.11
31.	44-भारी उद्योग विभाग	3	668.82
32.	52-लद्दाक	3	2,719.26
33.	61-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	3	970.53
34.	87-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	3	852.71
35.	92-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	3	531.00
36.	6-उर्वरक विभाग	2	7,297.84
37.	17-संस्कृति मंत्रालय	2	434.43
38.	23-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2	465.43
39.	25-पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	2	249.31
40.	37-पेंशन	2	956.38
41.	46-गृह मंत्रालय	2	3,726.84
42.	49-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	226.88
43.	51-दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2	615.16
44.	79-लोकसभा	2	242.21
45.	86-भूमि संसाधन विभाग	2	778.12
46.	97-वस्त्र मंत्रालय	2	306.42
47.	98-पर्यटन मंत्रालय	2	798.95
48.	2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	1	116.55
49.	4- आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	1	232.82
50.	9-कोयला मंत्रालय	1	153.23
51.	14-उपभोक्ता मामले विभाग	1	238.08
52.	15- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	1	40,000.00
53.	18-रक्षा मंत्रालय (नागरिक)	1	2,594.79
54.	22-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	1	177.40
55.	28-व्यय विभाग	1	232.32
56.	32-प्रत्यक्ष कर	1	136.14
57.	39- मत्स्य पालन विभाग	1	351.50
58.	40-पशुपालन एवं डेयरी विभाग	1	403.53
59.	43-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1	1,303.92

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	मामलों की संख्या	बचत
60.	54-दिल्ली में स्थानान्तरण	1	150.00
61.	60-सूचना और प्रसारण मंत्रालय	1	152.74
62.	64-कानून और न्याय	1	186.13
63.	71-पंचायती राज मंत्रालय	1	140.77
64.	88-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	1	248.03
65.	89-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	1	1,110.00
66.	90-नौवहन मंत्रालय	1	129.45
67.	93-विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग	1	184.30
68.	95-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1	2,851.85
69.	101-युवा मामले और खेल मंत्रालय	1	341.80
	कुल	324	14,92,340.48

अनुलग्नक 4.3ख

(पैराग्राफ 4.2.2.2 देखें)

लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 2- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग				
1.	2415.01.150.07-कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं	382.67	266.12	116.55
अनुदान संख्या 3- परमाणु ऊर्जा				
2.	2852.09.203.01- भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र	394.83	280.25	114.58
3.	4861.01.204.22- भारी जल का परिचालन व्यय	1443.18	1035.89	407.29
4.	4861.01.207.01- एचडब्ल्यूपीएस से उत्पादन	1243.76	900.00	343.76
5.	4861.60.203.44- फास्ट रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा (एफआरएफसीएफ)	600.00	235.57	364.43
6.	4861.60.204.01- विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	119.12	12.10	107.02
7.	5401.00.201.94- बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग में अनुसंधान और विकास	995.00	632.26	362.74
8.	5401.00.202.99- रिएक्टर संचालन और संसाधन प्रबंधन	280.00	127.54	152.46
9.	5401.00.283.19- अवसंरचना विकास परियोजनाएं	214.20	110.98	103.22
10.	6801.0.206.01- न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ऋण	3237.00	2170.00	1067.00
अनुदान संख्या 4- आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)				
11.	3601.06.101.05- राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)	523.00	290.18	232.82
अनुदान संख्या 9- कोयला मंत्रालय				
12.	2803.00.102.03- कोयले और लिग्नाइट की खोज	511.70	358.47	153.23
अनुदान संख्या 10-वाणिज्य विभाग				
13.	3453.00.107.06- शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकारी योजना	2300.00	1667.00	633.00
14.	3453.00.194.03- निर्यात प्रोत्साहन और बाजार विकास संगठन को सहायता अनुदान	701.32	472.28	229.04
15.	3453.00.194.05- निर्यात प्रोत्साहन योजना	326.00	176.31	149.69
16.	5465.02.190.39- निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं	650.00	390.00	260.00
अनुदान संख्या 11-उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग				
17.	2852.08.204.03- भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम	370.00	153.10	216.90
18.	2852.80.800.26- स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता	235.73	71.64	164.09
19.	2852.80.800.40- मेक इन इंडिया	227.00	108.47	118.53
20.	4875.60.190.05- निधियों की निधि	1054.97	429.99	624.98
अनुदान संख्या 14- उपभोक्ता मामले विभाग				
21.	3456.00.001.04- उपभोक्ता कल्याण कोष के तहत परियोजनाएं	261.00	22.92	238.08
अनुदान संख्या 15- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग				

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

क्रम संख्या	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
22.	6408.01.190.02- एफसीआई को देय अर्थोपाय ऋण	50000.00	10000.00	40000.00
अनुदान संख्या 17- संस्कृति मंत्रालय				
23.	2205.00.102.15- स्वायत्त निकाय और अनुदान प्राप्त करने वाले निकाय	566.85	378.98	187.87
24.	2205.00.106.14- प्राचीन स्मारकों का संरक्षण	679.26	432.70	246.56
अनुदान संख्या 18- रक्षा मंत्रालय (नागरिक)				
25.	2075.00.108.01- कैंटीन सेवा निदेशालय	20098.50	17503.71	2594.79
अनुदान संख्या 22- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय				
26.	3601.08.102.07- पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधनों के गैर- व्यपगत पूल से केंद्रीय सहायता	193.24	15.84	177.40
अनुदान संख्या 23- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय				
27.	3403.00.101.10- महासागर सेवा मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओ-स्मार्ट)	550.00	227.60	322.40
28.	3455.00.001.06- वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणाली और सेवाएं (एक्रॉस)	310.00	166.98	143.02
अनुदान संख्या 24- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
29.	2852.07.102.01- जनशक्ति विकास कार्यक्रम	317.20	130.00	187.20
30.	2852.07.102.04- इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना (एमएसआईपीएस ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर)	683.45	418.62	264.83
31.	2852.07.102.06- सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और सीसीबीटी में अनुसंधान एवं विकास	555.99	406.41	149.58
32.	2852.07.102.09- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान	298.81	190.00	108.81
33.	3454.02.206.01- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)	985.00	613.00	372.00
अनुदान संख्या 25- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय				
34.	3435.04.103.22- प्रदूषण नियंत्रण	414.00	267.41	146.59
35.	5425.00.208.13- संलग्न/अधीनस्थ कार्यालय	118.00	15.28	102.72
अनुदान संख्या 26-विदेश मंत्रालय				
36.	2052.00.090.02 - विदेश मंत्रालय	535.94	396.91	139.03
37.	2061.0.105.01- केंद्रीय पासपोर्ट संगठन	1171.22	786.39	384.83
38.	2061.00.798.06- दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय	325.00	61.28	263.72
39.	3605.00.101.12- श्रीलंका-अन्य सहायता कार्यक्रम	200.00	44.81	155.19
40.	3605.00.101.13- मालदीव को सहायता	300.00	160.19	139.81
41.	3605.00.101.17- आईटीईसी कार्यक्रम	220.00	85.49	134.51
42.	3605.00.101.20- अफ्रीकी देशों को सहायता	350.00	226.28	123.72
43.	3605.00.101.38- चाहबहार पोर्ट	100.00	--	100.00
44.	3605.00.101.40- मॉरीशस को सहायता	1025.00	652.06	372.94
45.	4059.60.051.17- विदेश मामले	350.00	220.51	129.49
46.	7605.00.097.01-भूटान में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	802.00	509.00	293.00

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

क्रम संख्या	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 28- व्यय विभाग				
47.	2052.00.090.10 - व्यय विभाग	472.64	240.32	232.32
अनुदान संख्या 31-राजस्व विभाग				
48.	2052.00.090.11- राजस्व विभाग	285.37	176.75	108.62
49.	3601.08.797.02- माल और सेवा कर मुआवजा कोष में स्थानांतरण	127440.03	100632.46	26807.57
50.	3602.08.106.01- विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश सरकार को राजस्व हानि के लिए मुआवजा	7928.00	6808.53	1119.47
51.	3602.08.797.02- माल और सेवा कर मुआवजा कोष में स्थानांतरण	7928.00	5684.54	2243.46
अनुदान संख्या 32- प्रत्यक्ष कर				
52.	4059.01.051.20- आयकर विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण एवं कार्यालय भवन का निर्माण	223.85	87.71	136.14
अनुदान संख्या 37- पेंशन				
53.	2071.01.102.01- साधारण पेंशन	5150.00	4347.00	803.00
54.	2071.01.106.01- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन शुल्क राज्य सरकार (एस) से वसूली योग्य	310.23	156.85	153.38
अनुदान संख्या 39- मात्स्यिकी विभाग				
55.	3601.06.101.39- नीली क्रांति	351.50	--	351.50
अनुदान संख्या 40 - पशुपालन और डेयरी विभाग				
56.	2403.00.101.36- श्वेत क्रांति	967.06	563.53	403.53
अनुदान संख्या 43 - स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग				
57.	2210.05.105.47- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अनुदान	4190.71	2886.79	1303.92
अनुदान संख्या 44 - भारी उद्योग विभाग				
58.	2852.80.800.37- ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	707.94	331.87	376.07
59.	2852.80.800.38- पूंजीगत माल क्षेत्र का विकास	179.31	72.27	107.04
60.	6858.60.800.01- राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना के लिए ऋण	300.00	114.30	185.70
अनुदान संख्या 46 - गृह मंत्रालय				
61.	3454.01.001.04- गणना	3825.00	303.72	3521.28
62.	3601.08.111.04- आपदा की तैयारी	296.00	90.44	205.56
अनुदान संख्या 49 - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				
63.	5052.80.201.01- जहाजों की खरीद	103.70	1.32	102.38
64.	5052.80.796.01- जहाजों की खरीद	124.50	0.00	124.50
अनुदान संख्या 51 - दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव				
65.	2515.00.196.02- पंचायतें	384.25	144.09	240.16
66.	2801.05.103.01- संचालन और रखरखाव	1345.00	970.00	375.00
अनुदान संख्या 52 - लद्दाक				
67.	2575.04.001.02- सचिव वित्त- यूटी लद्दाख	139.99	38.47	101.52
68.	4575.04.001.01- लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद	464.85	304.18	160.67
69.	4575.04.001.02- सचिव वित्त- यूटी लद्दाख	2859.99	402.92	2457.07

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

क्रम संख्या	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 54 - दिल्ली में स्थानान्तरण				
70.	7602.07.106.01- जेआईसीए द्वारा सहायता प्राप्त बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	150.00	--	150.00
अनुदान संख्या 60 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय				
71.	2221.80.102.05- ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट (बीआईएनडी)	329.20	176.46	152.74
अनुदान संख्या 61 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग				
72.	3435.04.101.08- राष्ट्रीय गंगा योजना	800.00	500.00	300.00
73.	3601.06.101.62- बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम	618.40	70.14	548.26
74.	4702.00.800.06- भूजल प्रबंधन और विनियमन	196.76	74.49	122.27
श्रम और रोजगार मंत्रालय				
75.	2230.01.111.06- श्रम के लिए सामाजिक सुरक्षा	3753.93	2409.17	1344.76
76.	2230.01.789.20- सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ	961.66	609.45	352.21
77.	2230.01.796.20- सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ	498.21	325.37	172.84
78.	2230.02.101.10- रोजगार प्रोत्साहन योजना	1711.01	896.68	814.33
79.	2230.02.789.03- रोजगार प्रोत्साहन योजना	426.08	271.45	154.63
80.	2230.02.796.03- रोजगार प्रोत्साहन योजना	222.80	122.32	100.48
अनुदान संख्या 64-कानून और न्याय				
81.	2015.00.104.01- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति	200.00	13.87	186.13
अनुदान संख्या 67 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय				
82.	2851.00.102.98- उद्यमिता और कौशल विकास	236.58	133.96	102.62
83.	2851.00.102.99- अवसंरचना विकास कार्यक्रम	1139.09	697.21	441.88
84.	2851.00.105.15- खादी ग्राम एवं कॉइर उद्योग का विकास	755.29	467.15	288.14
85.	2851.00.800.53- उद्यमिता और कौशल विकास	178.90	24.00	154.90
86.	4851.0.102.35- निधियों की निधि	900.00	--	900.00
अनुदान संख्या 70- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय				
87.	2810.00.101.01- ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा	3336.00	2072.78	1263.22
88.	2810.00.101.02- ऑफ-ग्रिड/वितरित और विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा	686.20	308.26	377.94
89.	2810.00.789.05- ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा	406.00	198.84	207.16
90.	2810.0.796.03- ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा	423.00	196.49	226.51
अनुदान संख्या 71- पंचायती राज मंत्रालय				
91.	3601.06.101.63- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	444.39	303.62	140.77
अनुदान संख्या 75- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
92.	2802.02.800.02- भारतीय गैस प्राधिकरण - फूलपुर धामरा हल्दिया पाइपलाइन परियोजना	1456.03	728.03	728.00
93.	2802.80.102.08- एलपीजी के लिए डीबीटी	30818.93	20544.54	10274.39
94.	2802.80.789.01- एलपीजी के लिए डीबीटी	3154.84	2057.66	1097.18
95.	2802.80.796.01- एलपीजी के लिए डीबीटी	1631.23	1064.41	566.82
96.	4802.01.800.02- राष्ट्रीय भूकंप कार्यक्रम	207.00	63.00	144.00

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्रम संख्या	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
97.	4802.03.101.01- क्रूड ऑयल रिजर्व के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान	3884.00	2250.00	1634.00
अनुदान संख्या 79- लोकसभा				
98.	2011.01.101.02- सदस्य	287.29	186.30	100.99
99.	2011.01.102.01-सचिवालय	494.41	353.20	141.21
अनुदान संख्या 86 - भूमि संसाधन विभाग				
100.	3601.06.101.53- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - एकीकृत वाटरशेड विकास घटक	1234.01	631.85	602.16
101.	3601.06.789.45- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - एकीकृत वाटरशेड विकास घटक	332.01	156.05	175.96
अनुदान संख्या 87 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग				
102.	3425.60.200.46- विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड	937.15	693.85	243.30
103.	3425.60.200.70- नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती	733.54	433.45	300.09
104.	3425.60.200.71- अनुसंधान और विकास	628.00	318.68	309.32
अनुदान संख्या 88 - जैव प्रौद्योगिकी विभाग				
105.	3425.60.200.02- स्वायत्त संस्थानों को सहायता	853.03	605.00	248.03
अनुदान संख्या 89 - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग				
106.	3425.60.151.02- राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ	4912.00	3802.00	1110.00
अनुदान संख्या 90 - जहाजरानी मंत्रालय				
107.	3051.01.01.01- सागरमाला	241.00	111.55	129.45
अनुदान संख्या 92 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग				
108.	2225.01.789.05- अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	300.00	119.00	181.00
109.	4225.01.789.02- कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम	220.00	40.00	180.00
110.	4225.80.190.16- कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम	200.00	30.00	170.00
अनुदान संख्या 93 - विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग				
111.	2235.02.101.10- अन्य योजनाएं	517.71	333.41	184.30
अनुदान संख्या 94 - अंतरिक्ष विभाग				
112.	5402.00.101.01- विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी)	355.45	201.09	154.36
113.	5402.00.101.07- द्रव नोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी)	435.95	176.01	259.94
114.	5402.00.101.17- सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) - शेयर	323.93	173.74	150.19
115.	5402.00.101.20- ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान निरंतरता परियोजना	638.00	346.92	291.08
116.	5402.00.101.25- जीएसएलवी निरंतरता परियोजना	138.00	29.82	108.18
117.	5402.00.101.31- नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम	178.00	57.44	120.56
118.	5402.00.101.35- मानवयुक्त मिशन पहल	1190.00	709.17	480.83
119.	5402.00.101.48- इसरो प्रणोदन परिसर (आईपीआरसी)	435.91	274.36	161.55

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

क्रम संख्या	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
120.	5402.00.101.65- पीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम (चरण 6)	215.55	99.94	115.61
121.	5402.00.101.70- यूआर राव उपग्रह केंद्र	314.99	127.79	187.20
122.	एल्युमिनियम एलॉय टैंकेज का विकास और आपूर्ति - पूर्व निवेश	100.00	0.00	100.00
123.	5402.00.102.01- अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी)	530.95	196.34	334.61
अनुदान संख्या 95- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
124.	2553.00.101.01- अनुदान सहायता	3960.00	1108.15	2851.85
अनुदान संख्या 97 - वस्त्र मंत्रालय				
125.	2852.08.202.63- अनुसंधान और विकास और संस्थागत विकास	167.01	66.10	100.91
126.	2852.08.202.65- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	761.90	556.38	205.52
अनुदान संख्या 98 - पर्यटन मंत्रालय				
127.	3452.01.101.14- स्वदेश दर्शन - थीम आधारित पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास	883.00	511.76	371.24
128.	3452.80.104.01- प्रत्यक्ष व्यय	567.00	139.29	427.71
अनुदान संख्या 99 - जनजातीय कार्य मंत्रालय				
129.	3601.06.794.01- अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए छाता कार्यक्रम: विशेष केंद्रीय सहायता	1210.01	707.50	502.51
130.	3601.06.796.37- अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अंबरेला कार्यक्रम: वनबंधु कल्याण योजना	264.99	144.80	120.19
131.	3601.08.796.05- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत अनुदान	1198.51	718.10	480.41
132.	4225.80.796.03- अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए छाता कार्यक्रम: जनजातीय संस्थाओं को सहायता	150.00	0.00	150.00
अनुदान संख्या 101 - युवा मामले और खेल मंत्रालय				
133.	2204.00.104.56- खेलो इंडिया	594.72	252.92	341.80

अनुलग्नक 4.4

(पैराग्राफ 4.3 देखें)

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लघु/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	अदायगी	बचत
1	20	4076.01.202- निर्माण कार्य	6,043.67	826.03	3,733.15	3,136.55
2	24	5475.00.052.07- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	232.00	92.99	231.89	93.10
3	34	2016.00.102.02- सिविल लेखा कार्यालय	1,649.02	50.01	1,640.08	58.95
4	42	2210.06.001.09- संचारी रोगों के लिए लचीला पूल	2,438.35	89.75	2,389.66	138.44
5	59	2202.80.789.21- डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग	67.19	16.60	49.28	34.51
6	59	2202.80.800.44- डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग	317.69	74.80	206.56	185.93
7	59	2203.00.003.02- राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	135.70	39.90	135.44	40.16
8	59	2203.00.112.81- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटीएस)	343.55	13.55	304.32	52.78
9	77	2801.80.102.01- सांविधिक प्राधिकारी	200.51	153.50	125.77	228.24

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

10	84	5054.01.337.06- केंद्रीय सड़क अवसंरचना कोष से वित्तपोषित विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें	194.65	78.46	115.75	157.36
11	88	3425.60.200.29- जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	1,394.73	244.58	1,287.43	351.88
		कुल	13,017.06	1,680.17	10,219.33	4,477.90

अनुलग्नक 4.5क
(पैराग्राफ 4.4 देखें)

**लघु/उप-शीर्षों का पुनर्विनियोग जो उपयोग न करने के कारण अविवेकपूर्ण थे
(₹10 करोड़ या उससे अधिक का पुनर्विनियोजन)**

(₹ करोड़ में)

अनुदान / विनियोग	लघु/उप-शीर्ष	शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	शीर्ष के तहत अंतिम बचत
1-कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	2401.00.796.42-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	70.67	220.54
12-डाक विभाग	3201.03.101.07-पीएलआई निदेशालय	12.34	18.36
18-रक्षा मंत्रालय (नागरिक)	2052.00.092.02-रक्षा लेखा विभाग (डीएडी)	36.74	54.23
27- आर्थिक मामलों का विभाग	5466.00.201.01-इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) की सदस्यता	16.00	24.17
31- राजस्व विभाग	2047.00.110.02-माल और सेवा-कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के लिए उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान	22.44	23.11
35- ब्याज भुगतान	2049.03.109.12-ईपीएफ/ईडीएलआई की विशेष जमा राशि	20.36	277.65
42- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	3602.06.110.03-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	10.80	32.58
58-स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	3601.06.797.01-प्रारम्भिक को स्थानांतरण के लिए निधि शिक्षा कोष	3,187.88	4,831.66
	कुल	3,377.23	5,482.30

अनुलग्नक 4.5ख
(पैराग्राफ 4.4 देखें)

**लघु/उप-शीर्षों से पुनर्विनियोग जिसके परिणामस्वरूप अंतिम अतिरिक्त व्यय हुआ
₹10 करोड़ या अधिक से अधिक का पुनर्विनियोजन)**

(₹ करोड़ में)

अनुदान / विनियोग	लघु/उप-शीर्ष	कुल प्रावधान	शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम अतिरिक्त व्यय
19-रक्षा सेवाएं (राजस्व)	2076.00.109-निरीक्षण संगठन	1,254.28	248.79	12.38
	2077.0.105-परिवहन	498.13	122.83	24.20
20-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076.01.050-भूमि	271.00	241.00	10.86
	कुल	2,023.41	612.62	47.44

अनुलग्नक 4.6
(पैराग्राफ 4.6 देखें)

निधियों के पर्याप्त प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम अतिरिक्त व्यय
अनुदान संख्या 12 - डाक विभाग				
1	3201.02.101.10 ग्रामीण डाक सेवक	5,259.01	5,416.75	157.74
2	3201.02.104.01 अनुसंधान एवं विकास	267.74	312.63	44.89
3	3201.07.104.01 उपदान	953.05	1,086.21	133.16
4	3201.07.110.01 लेखापरीक्षा स्टाफ के अलावा निर्धारित अंशदान पेंशन योजना के लिए सरकार का अंशदान	442.11	566.76	124.65
5	3201.08.101.02 डाक टिकटों की छपाई और अधिक छपाई की लागत	21.05	57.76	36.71
6	5201.00.104.62 परियोजना प्रबंधन इकाई	452.00	545.45	93.45
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग				
7	2071.01.101.01- साधारण पेंशन	8,660.77	9,344.24	683.47
8	2071.1.105.02- पारिवारिक पेंशन	1,199.51	2,007.40	807.89
9	3275.00.800.94- स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त बीएसएनएल और एमटीएनएल कर्मचारी को वृद्धिशील पेंशन भुगतान	2,160.30	3,028.26	867.96
अनुदान संख्या 19 - रक्षा सेवाएं (राजस्व)				
10	2077.00.110-स्टोर	7,133.05	7,242.44	109.39
11	2077.00.111-कार्य	1,636.55	1,813.81	177.26
12	2078.00.101-वायु सेना के वेतन और भत्ते	15,852.64	15,984.12	131.48
13	2078.00.110- स्टोर	12,683.25	12,805.25	122.00
अनुदान संख्या 20 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
14	4076.01.102-भारी और मध्यम वाहन	1,165.96	1,358.69	192.73
15	4076.01.103-अन्य उपकरण	17,287.79	17,426.26	138.47
16	4076.02.205-नौसेना डॉकयार्ड	3,338.00	3,431.29	93.29

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्रम संख्या	लघु/उप-शीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम अतिरिक्त व्यय
17	4076.03.101-विमान और एयरो-इंजन (मतदान)	35,597.23	35,680.98	83.75
18	4076.03.103-अन्य उपकरण	20,241.39	20,370.07	128.68
19	4076.03.202-निर्माण कार्य	1,563.04	1,605.27	42.23
अनुदान संख्या 21 - रक्षा पेंशन				
20	2071.02.102.03-छुट्टी का नकदीकरण	186.89	223.39	36.50
विनियोग संख्या 35-ब्याज भुगतान				
21	2049.03.104.04-राज्य रेलवे भविष्य निधि	2,785.02	2,871.77	86.75
अनुदान संख्या 37-पेंशन				
22	2071.1.105.02-पारिवारिक पेंशन	8,846.00	8,974.78	128.78
23	2071.01.115.01- साधारण पेंशन	2,230.00	2,410.35	180.35
अनुदान संख्या 42-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग				
24	2210.06.800.52-स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया	11.40	948.83	937.43
25	2210.80.101.02- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (जीबीएस)	125.42	151.14	25.72
26	2210.80.798.09-डब्ल्यूएचओ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को योगदान	32.99	64.56	31.57
27	3601.06.101.13-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	12,111.08	12,340.64	229.56
28	3601.06.102.04- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	8,746.84	8,813.15	66.31
अनुदान संख्या 62 - पेयजल, जल एवं स्वच्छता विभाग				
29	अनुदान संख्या 62 - पेयजल, जल एवं स्वच्छता विभाग	10,697.79	10,861.60	163.81
अनुदान संख्या 85-ग्रामीण विकास विभाग				
30	2505.02.797.01-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कोष में स्थानांतरण	1,08,500.00	1,11,170.86	2,670.86
31	3602.06.797.04 - सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ) में ट्रांसफर	700.00	1,350.00	650.00
		कुल	9,376.84	

अनुलग्नक 4.7
(पैराग्राफ 4.7 देखें)

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचत का अभ्यर्पण और गैर अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या और विवरण	कुल बचत	कुल अभ्यर्पण	अंतिम दिन सरेंडर की गई राशि	सरेंडर नहीं की गई राशि
1.	1-कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	25,985.30	23,824.54	23,824.54	2,160.76
2.	6-उर्वरक विभाग	7,302.19	7,302.19	7,300.35	0.00
3.	9-कोयला मंत्रालय	310.99	310.91	310.91	0.08
4.	11-उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग	695.54	686.97	686.97	8.57
5.	14-उपभोक्ता मामले विभाग	931.26	694.56	673.35	236.70
6.	18-रक्षा मंत्रालय (नागरिक)	2,630.22	1,999.67	0.00	630.55
7.	21-रक्षा पेंशन	5,760.53	4,826.41	0.00	934.12
8.	22-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	1,202.74	1,202.73	1,202.73	0.01
9.	26-विदेश मंत्रालय	3,121.90	2,576.53	0.00	545.37
10. 1	27-आर्थिक मामलों का विभाग	33,975.03	33,023.62	4,541.98	951.41
11.	28-व्यय विभाग	246.25	243.78	243.78	2.47
12.	31-राजस्व विभाग	3,653.78	2,880.28	2,880.28	773.50
13.	32-प्रत्यक्ष कर	662.35	580.71	580.71	81.64
14.	33-अप्रत्यक्ष कर	874.31	762.11	0.00	112.20
15.	34-भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	390.13	365.72	365.72	24.41
16.	35-ब्याज भुगतान	12,217.96	4,628.74	4,628.74	7,589.22
17.	36-ऋण की अदायगी	7,06,286.23	6,98,264.31	6,98,264.31	8,021.92
18.	37-पेंशन	330.71	125.00	0.00	205.71
19.	38-राज्यों को स्थानान्तरण	45,421.12	45,384.46	45,384.46	36.66
20.	40-पशुपालन एवं डेयरी विभाग	736.62	722.05	722.05	14.57
21.	42-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	45,614.11	22,643.16	22,643.16	22,970.95
22.	43-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1,450.42	1,450.41	1,450.41	0.01
23.	44-भारी उद्योग विभाग	635.90	635.72	635.72	0.18
24.	46-गृह मंत्रालय	4,172.17	4,111.45	125.00	60.72
25.	48-पुलिस	13,446.04	13,041.66	188.02	404.38

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्रम संख्या	अनुदान संख्या और विवरण	कुल बचत	कुल अभ्यर्पण	अंतिम दिन सरेंडर की गई राशि	सरेंडर नहीं की गई राशि
26.	57-आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	14,375.64	13,254.86	13,254.86	1,120.78
27.	58-स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	22,026.82	17,192.35	17,192.35	4,834.47
28.	59-उच्च शिक्षा विभाग	25,097.96	9,403.26	8,590.76	15,694.70
29.	60-सूचना और प्रसारण मंत्रालय	994.77	972.60	230.13	22.17
30.	62- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	5,550.71	5,548.67	5,548.67	2.04
31.	63-श्रम और रोजगार मंत्रालय	3,995.69	3,238.21	0.00	757.48
32.	67-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2,924.41	1,740.48	1,740.48	1,183.93
33.	68-खान मंत्रालय	416.13	412.23	412.23	3.90
34.	69-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	1,030.44	1,030.44	1,030.44	0.00
35.	70-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2,789.18	2,435.75	0.00	353.43
36.	71-पंचायती राज मंत्रालय	214.69	214.60	214.60	0.09
37.	75-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4,623.14	4,323.11	2,845.12	300.03
38.	77-विद्युत मंत्रालय	7,344.30	7,343.81	7,343.81	0.49
39.	84-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	6,754.97	6,264.68	0.00	490.29
40.	85-ग्रामीण विकास विभाग	8,838.77	945.66	517.84	7,893.11
41.	88-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	877.04	870.31	870.31	6.73
42.	89-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	1,140.12	1,133.51	1,133.51	6.61
43.	91-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	369.78	369.54	369.54	0.24
44.	95-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	3,005.80	3,005.75	3,005.75	0.05
45.	97-वस्त्र मंत्रालय	374.01	349.92	349.92	24.09
46.	99-आदिवासी मामलों के मंत्रालय	1,916.37	1,912.06	1,912.06	4.31
47.	100-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	11,268.08	11,247.54	11,247.54	20.54
48.	101-युवा मामले और खेल मंत्रालय	1,039.14	1,030.46	1,030.46	8.68
कुल				8,95,493.57	78,494.27

अनुलग्नक 4.8

(पैराग्राफ 4.9.1 देखें)

मुख्य शीर्षों के साथ वस्तु शीर्षों का गलत उपयोग

अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
03-परमाणु ऊर्जा विभाग	2852	51/52/60	8.53	<p>विभाग ने कहा (जुलाई 2021) कि व्यय भले ही पूंजीगत प्रकृति का प्रतीत हो रहा हो, वास्तव में परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभारों से संबंधित था और इसलिए, राजस्व अनुभाग में तदनुसार दर्ज किया गया था।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओएफ ने मौजूदा नियमों के अनुरूप राजस्व और पूंजीगत व्यय और संबंधित वस्तु शीर्ष को फिर से परिभाषित करने के लिए डीएई को सलाह दी थी (सितंबर 2017)। इसके अलावा, भले ही व्यय राजस्व प्रकृति का हो, पैरा गलत वस्तु शीर्षों के उपयोग के बारे में है।</p>
	3401	51/52	6.63	
84-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	5054	13	7.46	<p>मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2021) कि उप शीर्ष 01.99.50- मुख्य शीर्ष 5054 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी-सड़क विंग के तहत सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय/मंडल/आरओ कार्यालय के लिए आईटी से संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद पर खर्च करने के लिए खोला गया था। इसे एनएच कार्यों के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खोला गया था। यह शीर्ष 1999 में योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की सिफारिशों पर खोला गया था। बाद में, लेखापरीक्षा और प्रधान सीसीए कार्यालय की सलाह पर इस शीर्ष को 04.99.13 - कार्यालय व्यय के रूप में बदल दिया गया था।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वस्तु शीर्ष 13- कार्यालय व्यय पूंजीगत शीर्षों के साथ संचालित नहीं किया जा सकता है जो कि डीएफपीआर का उल्लंघन है।</p>

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

90- बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय	5052	13	6.25	विभाग ने कहा (सितम्बर 2021) कि आईटी मर्दों की खरीद के लिए व्यय किया गया था जो एक पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण करेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वस्तु शीर्ष 13-कार्यालय व्यय पूंजीगत शीर्षों के साथ संचालित नहीं किया जा सकता है जो कि डीएफपीआर का उल्लंघन है।
			28.87	

अनुलग्नक 4.9

(पैराग्राफ 4.9.2 देखें)

राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण

क्रम संख्या	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)
पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण		
1.	अनुदान संख्या 03- परमाणु ऊर्जा विभाग	5.76
<p>विभाग ने कोटा एवं मनुगुरु में हैवी वाटर प्लांट के कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले परमाणु ऊर्जा विद्यालय को ₹5.76 करोड़ की राशि का अनुदान जारी किया और अनुदान के राजस्व भाग में 'सहायता अनुदान' से संबंधित वस्तु शीर्ष के तहत बुक करने के बजाय इसे गलत तरीके से पूंजीगत भाग में 4861.01.204.22.01.31 के लेखा शीर्ष के तहत बुक किया था।</p> <p>विभाग ने बताया (अक्टूबर 2021) कि भारी पानी को राष्ट्र की एक परिसंपत्ति (पूंजीगत) माना जाता है और भारी जल बोर्ड इसका संरक्षक है। इसलिए, पूंजीगत मुख्य शीर्ष के तहत बजट प्रावधान किए जाते हैं।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परमाणु ऊर्जा विद्यालय को 'सहायता अनुदान' सीधे भारी पानी के उत्पादन से संबंधित नहीं है और इसलिए, व्यय को राजस्व भाग के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था।</p>		
पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण		
2.	अनुदान संख्या 03- परमाणु ऊर्जा विभाग	70.00
<p>विभाग ने एनपीसीआईएल³² को ₹70 करोड़ की राशि के ऋण स्वीकृत और जारी किए थे और इसे राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष 50 - अन्य प्रभार के तहत बुक करने के बजाय गलत तरीके³³ से अनुदान के पूंजीगत भाग में वस्तु शीर्ष 55 - ऋण और अग्रिम (मुख्य शीर्ष 6801) के तहत बुक किया था, जैसा कि संबंधित स्वीकृति आदेश में उल्लिखित है।</p>		

³² न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

³³ लेखा शीर्ष 3451.00.090.21.00.50 (बिल संख्या CP00001963 दिनांक 31 मार्च 2021)

अनुलग्नक 4.10

(पैराग्राफ 4.9.3 देखें)

विनियोग की प्राथमिक इकाइयों के बीच गलत वर्गीकरण

क्रम संख्या	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)
1.	07 - फार्मास्यूटिकल्स विभाग	1.68
<p>विभाग ने डाटा एंट्री ऑपरेटरों, ड्राइवरों, दैनिक मजूदरों और सफाई कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसियों को भुगतान के कारण ₹1.68 करोड़ का व्यय किया और इसे वस्तु शीर्ष 13 - कार्यालय व्यय के तहत इसे बुक करने के बजाय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष 02 - मजदूरी के तहत बुक किया था।</p> <p>विभाग ने बताया (सितम्बर 2021) कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से आवश्यक सुधार कर लिया गया है।</p>		
2.	10 - वाणिज्य विभाग	84.00
<p>विभाग ने वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में भारतीय पवेलियन के निर्माण के लिए एनबीसीसी डीडब्ल्यूसी एलएलसी, दुबई को ₹84.00 करोड़ की राशि जारी की थी, जिसकी कुल निर्माण लागत ₹299 करोड़ की तीसरी और अंतिम किस्त थी। इस व्यय को डीएफपीआर के अनुसार वस्तु शीर्ष 26 - विज्ञापन और प्रचार के तहत बुक करने के बजाय गलत तरीके से³⁴ वस्तु शीर्ष 20 - अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत दर्ज किया गया था।</p>		
3.	13- दूरसंचार विभाग	2.28
<p>विभाग ने सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम को मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग वीपीएन सेवाएं प्रदान करने के लिए मेसर्स बीएसएनएल को ₹2.28 करोड़ का भुगतान किया और इसे वस्तु शीर्ष 13 - 'कार्यालय व्यय' के तहत बुक करने के बजाय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष 28 - 'व्यावसायिक सेवाओं' (3451.00.091.17.00.28) के तहत बुक किया गया था।</p>		
4.	25 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	4.07
<p>अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान भारतीय पैविलियन की अवधारणा और प्रबंधन के लिए विशेष एजेंसियों को काम पर रखने के लिए ₹4.07 करोड़ की राशि खर्च की गई थी और इसे वस्तु शीर्ष 28- 'व्यावसायिक सेवाओं' के तहत बुक करने के बजाय वस्तु शीर्ष 13 - 'कार्यालय व्यय' (₹3.35 करोड़) और वस्तु शीर्ष-20 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (₹0.72 करोड़) के तहत दर्ज किया गया था।</p> <p>मंत्रालय ने स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2021) कि भविष्य में इस तरह के गलत वर्गीकरण से बचने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।</p>		

³⁴ लेखा शीर्ष 3453.00.800.09.00.20

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्रम संख्या	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)
5.	44- भारी उद्योग विभाग	149.00
<p>विभाग ने योजना घटक 'मांग प्रोत्साहन वितरण तंत्र' के तहत राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड को कुल ₹149 करोड़ का अनुदान जारी किया था और इसे 'फेम-इंडिया चरण-II' योजना के तहत 'वस्तु शीर्ष 31- 'सब्सिडी' के तहत बुक करने के बजाय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष 33 - 'अनुदान-सहायता-सामान्य' के तहत बुक किया गया था।</p>		
6.	57 - आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	21.06
<p>मंत्रालय ने मिजोरम में पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹21.06 करोड़ का व्यय किया था और इसे वस्तु शीर्ष 31- सहायता अनुदान-सामान्य के तहत गलत तरीके से बुक किया था । चूंकि परियोजना कार्य (जल सेवाएं) से संबंधित थी, इसलिए राशि को वस्तु शीर्ष 35 - पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान के तहत सही ढंग से बुक किया जाना चाहिए था।</p>		
7.	57 - आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	1.26
<p>मंत्रालय ने मेघालय में उत्तर पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹1.26 करोड़ का व्यय किया था और इसे गलत तरीके से वस्तु शीर्ष 31- सहायता अनुदान-सामान्य के तहत बुक किया था । चूंकि परियोजना निर्माण (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) से संबंधित थी, इसलिए राशि को वस्तु शीर्ष 35 - पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान के तहत सही ढंग से दर्ज किया जाना चाहिए था।</p>		
8.	62- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	3.84
<p>विभाग ने राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के तीसरे दौर के लिए अंतिम सुपुर्दगी को पूरा करने के लिए कंसल्टेंसी फर्म मेसर्स आईपीई ग्लोबल लिमिटेड को ₹3.84 करोड़ का भुगतान किया और इसे वस्तु शीर्ष 50 - 'अन्य प्रभार' के तहत बुक करने के बजाय डीएफपीआर के अनुसार गलत तरीके से वस्तु शीर्ष 28 - 'व्यावसायिक सेवाओं' के तहत बुक किया गया ।</p>		
9.	62- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	3.30
<p>विभाग ने मेसर्स नीलसन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को घरेलू नल कनेक्शन 2020 की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए को ₹3.30 करोड़ का भुगतान किया और इसे डीएफपीआर के अनुसार वस्तु शीर्ष 28 - 'व्यावसायिक सेवाओं' के तहत बुक करने के बजाय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष 50 - 'अन्य प्रभार' के तहत बुक किया गया।</p>		
10.	62- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	1.78
<p>जीवन मिशन को प्रदान की जाने वाली परामर्श सेवाओं के लिए मेसर्स ईएंडवाई एलएलपी गुडगांव को ₹1.78 करोड़ का भुगतान किया और इसे डीएफपीआर के अनुसार वस्तु शीर्ष 28 - 'व्यावसायिक सेवाओं' के तहत बुक करने के बजाय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष 50 - 'अन्य प्रभार' के तहत बुक किया गया।</p>		

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्रम संख्या	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)
11.	85- ग्रामीण विकास विभाग	179.19
<p>विभाग ने जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान मनरेगा के तहत डीबीटी लेनदेन को संसाधित करने के लिए निश्चित प्रोत्साहन और परिवर्तनीय प्रोत्साहन के लिए मेसर्स नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई), मुंबई को कुल ₹179.19 करोड़ का भुगतान जारी किया और इसे डीएफपीआर के अनुसार वस्तु शीर्ष 30 - 'अन्य संविदात्मक सेवाओं' के तहत बुक करने के बजाय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष 50 - 'अन्य प्रभार' के तहत बुक किया गया।</p>		
12.	85- ग्रामीण विकास विभाग	10.66
<p>विभाग ने झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों को मनरेगा के तहत क्लस्टर सुविधा परियोजना (सीएफपी) के लिए केंद्रीय सहायता के अग्रिम भुगतान के रूप में कुल ₹10.66 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया और इसे सहायता अनुदान से संबंधित उपयुक्त वस्तु शीर्षों के तहत बुक करने के बजाय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष 50 - 'अन्य प्रभार' के तहत बुक किया। ।</p>		
13.	85- ग्रामीण विकास विभाग	6.72
<p>विभाग ने ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्यों में डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्लेसमेंट लिंकड कौशल विकास परियोजनाओं के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल ₹6.72 करोड़ का आंशिक भुगतान जारी किया और इसे डीएफपीआर के अनुसार वस्तु शीर्ष 28 - 'व्यवसायिक सेवाओं' के तहत इसे बुक करने के बजाय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष 31 - 'अनुदान-सहायता-सामान्य' के तहत बुक किया गया।</p>		
14.	85 - ग्रामीण विकास विभाग	5.92
<p>विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित (एनआईसीएसआई), दिल्ली को एनआईसी-डीआरडी आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर / जनशक्ति परियोजना के तहत एनआईसीएसआई द्वारा प्रदान की गई जनशक्ति और सहायता सेवाओं के लिए ₹5.92 करोड़ का अग्रिम भुगतान जारी किया और इसे डीएफपीआर के अनुसार वस्तु शीर्ष 28 - 'व्यवसायिक सेवाओं' के तहत बुक करने के बजाय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष 13 - 'कार्यालय व्यय' के तहत बुक किया गया।</p>		
15.	85 - ग्रामीण विकास विभाग	2.92
<p>विभाग ने एआरडीओ के कॉर्पस फंड में भारत के योगदान के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (एएआरडीओ), नई दिल्ली को ₹2.92 करोड़ का भुगतान जारी किया और इसे डीएफपीआर के अनुसार वस्तु शीर्ष - 32 'अंशदान' के तहत बुक करने के बजाय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष - 50 'अन्य शुल्क' के तहत बुक किया गया।</p>		

संघ सरकार के वित्त वर्ष 21 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्रम संख्या	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)
16.	87 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	24.45
<p>इन्सपायर योजना के उच्च शिक्षा घटक के लिए छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने के कारण विभाग द्वारा कुल ₹24.45 करोड़ का व्यय किया गया था और इसे वस्तु शीर्ष 34 - 'छात्रवृत्ति/वजीफा' के अंतर्गत बुक करने के बजाय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष 31 - 'सहायता अनुदान-सामान्य' के तहत बुक किया गया था।</p> <p>विभाग ने कहा (सितम्बर 2021) कि यह वस्तु शीर्ष 34 का संचालन नहीं करता है और इसलिए वस्तु शीर्ष-31 का उपयोग छात्रवृत्तियों पर व्यय की बुकिंग के लिए किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को वस्तु शीर्ष 34 के तहत बजट प्राप्त करना चाहिए था और तदनुसार व्यय को बुक करना चाहिए था।</p>		

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in